खण्ड-278, अंक-5
सोमवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1891
(11 अगस्त, 1969 ई0)

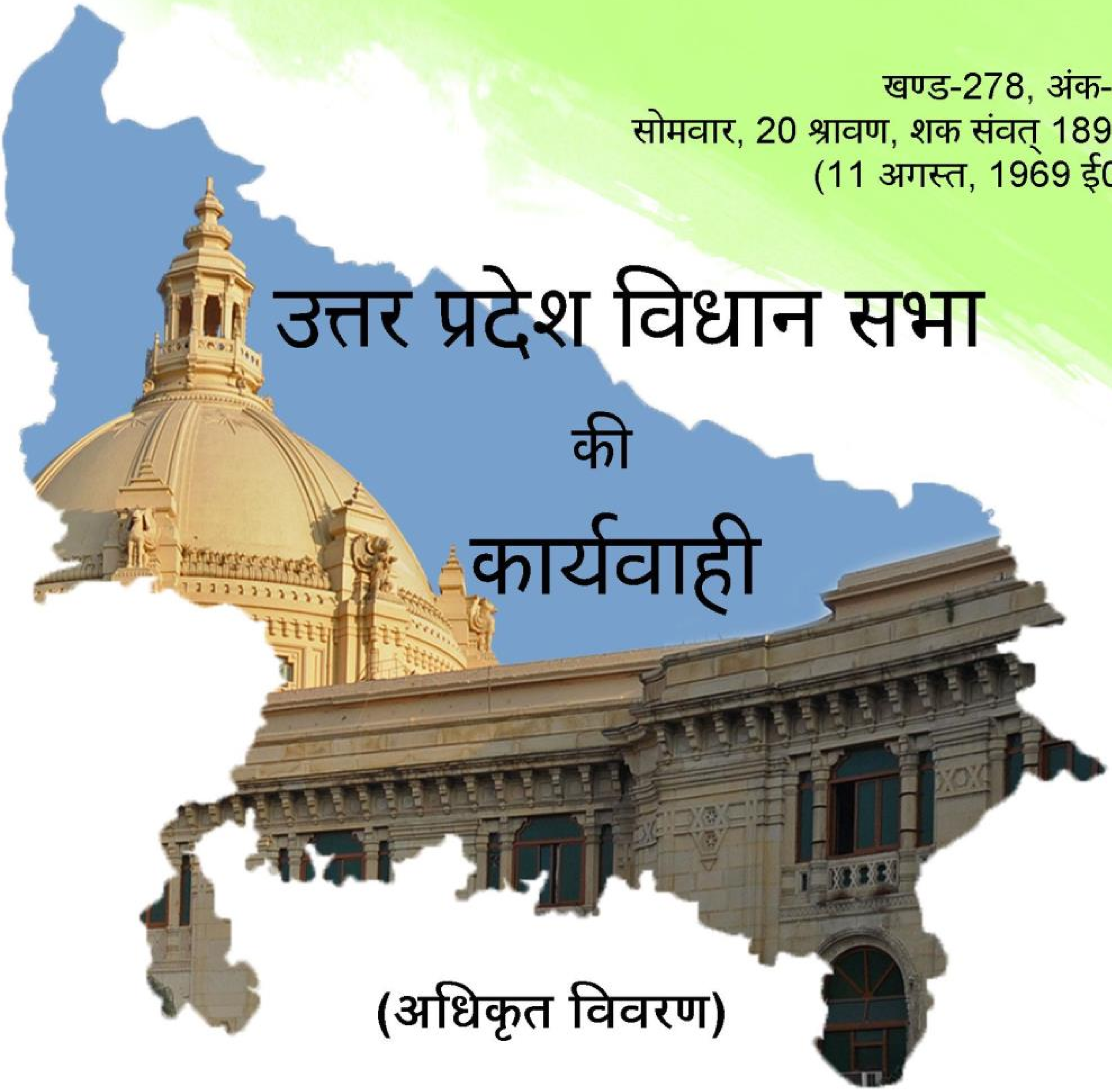

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 278 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ११ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९२

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृप दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरो सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेई, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन, श्री
नारायणदत्तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनासह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह, यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेई, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री

रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सेठ, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुलतानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री

शिवबक्स सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सब सुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद साही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बक्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ११ अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हरदोई जिले में वनस्पति घी बनाने का प्लांट लगाने की कथित योजना

**१—श्रीमती आशा सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में सरकार ने वनस्पति घी बनाने का प्लान्ट लगाने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो इसके लिये जिले का कौन-सा स्थान चुना गया है और कब से लगाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रसाद शर्मा)--

हरदोई जिले में वनस्पति घी बनाने का प्लांट लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

नई बाजार, भदोही में कब्र का स्थान बदलना

**२--श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक २४ जुलाई, १९६९ को मृतक अहमद सब्जी फरोश उम्र ६५ वर्ष, नई बाजार, भदोही, वाराणसी की लाश को कब्रगाह के अन्दर से उखाड़ कर पुलिस भदोही ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के आदेश से दूसरी जगह फेंक दिया? यदि हां, तो क्यों?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

एक श्री मादे सब्जी फरोश के शव को जो भ्रांतिवश कब्रिस्तान की हद के बाहर गाड़ा गया था, उसे उसके पुत्र ने स्वतः वहां से निकाल कर कब्रिस्तान के अन्दर गाड़ दिया।

श्री शिवदास--

किसके आदेश से ऐसा किया गया?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, भदोही का जो नया बाजार है वहां पर कब्रिस्तान और रामलीला का मैदान सटा है। जून में मादे कुंजड़े की कब्र वहां बना दी गई। उससे बड़ी तनातनी हुई। तो दोनों पार्टियों ने मिलकर कहा कि पैमाइश करवा दें। १८ जुलाई और २४ जुलाई को दोबार पैमायश हुई। वह कब्र रामलीला मैदान में पाई गई। तो उसके वारिसों ने खुद और उप प्रधान दोनों ने कहा कि इस कब्र को शिफ्ट करवा देते हैं। तो दोनों की सलाह से कब्र शिफ्ट की गई।

श्री शिवदास--

यह पैमाइश मैजिस्ट्रेट या तहसीलदार के द्वारा करवाई गई?

श्री कृष्णानन्द राय--

मैजिस्ट्रेट जरूर वहां पर गये थे क्योंकि काफी तनातनी थी। दोनों पार्टियों ने कहा कि पैमाइश करवा दी जाय। चकबन्दी अधिकारी ने स्वतः वहां जाकर १८ जुलाई और २४ जुलाई को पैमाइश करवाई और पैमाइश के बाद जब लोग संतुष्ट हो गए, कब्र रामलीला के मैदान में पाई गई तो स्वतः सद्भावनापूर्ण वातावरण में उसे वहां से हटा कर कब्रगाह की सीमा के अन्दर कर दिया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब लाश उखाड़ी गई तो कोई मैजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे या मैजिस्ट्रेट की गैरहाजिरी में पुलिस वालों ने यह काम करा दिया?

श्री अध्यक्ष--

पुलिस वालों का सवाल नहीं आता। मैजिस्ट्रेट वहां मौजूद था या नहीं इस का जवाब दे सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

पत्रावली में यह नहीं है कि निश्चित रूप से किस-किस की मौजूदगी में हुआ। लेकिन पत्रावली में यह है कि मैजिस्ट्रेट मौके पर गये थे। दोनों पार्टियों के कहने से पैमाइश हुई। पैमाइश में जब लोगों ने देखा कि कब्र कब्रगाह से थोड़ा सा हटा कर बनाई गई है तो उसे हटा कर

कब्रिस्तान में कर दिया। आप चाहें तो मैं उस पत्र को भी पढ़ सकता हूं जो उसके लड़के ने स्वतः लिखा है कि कब्र हटा दी गई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लाश वहां से हटाकर दूसरी जगह गाड़ी गई, उसके बाद से दोनों सम्प्रदायों में तनातनी तो नहीं हुई? अशान्ति तो नहीं हुई?

श्री कृष्णानन्द राय—

इसका कोई प्रश्न नहीं, वास्तविकता तो यह है कि इसकी वजह से वहां की अशान्ति खत्म हो गई। पहले तो हो गई थी, यदि यह कब्र न हटाई जाती तो शान्ति भंग हो जाने का खतरा हो गया था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जिनकी कब्र थी उनके लोग खुद उस कब्र को मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हटाकर दूसरी जगह ले गये, अथवा पुलिस ने उनकी गैर मौजूदगी में उनके प्रोटेस्ट के बाद भी उखाड़ दिया?

श्री कृष्णानन्द राय—

इसे पुलिस या मैजिस्ट्रेट ने हटाकर नहीं फेंका, यह स्वतः उसके लड़कों ने, उसके गांव के प्रधान ने, जब खुद देखा कि वह रामलीला मैदान में आ रही है तो उन्होंने खुद हटा दिया, यह तो एक पंचायती बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो इस प्रश्न के मूल उत्तर में ही स्पष्ट लिखा हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि साधारण नियम यह है कि एक दफ लाश दफन हो जाय तो वह बिना मैजिस्ट्रेट की इजाजत के नहीं हटाई जा सकती? यदि हां, तो क्या इस संबंध में मैजिस्ट्रेट की आज्ञा पहले से ली गई थी?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, स्वाभाविक चीज यह है कि जब एक कब्र तैयार की जाती है तो वह मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से ही वह हटाई जा सकती है, लेकिन इसमें पुलिस या मैजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ नहीं किया गया। दोनों पार्टियों ने पैमाइश करायी, चकबन्दी अधिकारी ने पैमाइश की और जब यह साफ हो गया कि यह रामलीला के मैदान में है तो एक सद्भावनापूर्ण वातावरण कायम करने के लिये उनके लड़कों ने और गांव वालों ने दूसरी जगह हटाकर गाड़ दिया।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

यह नियम है कि जब कोई लाश एक बार गाड़ दी जाती है तो बिना मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के वहां से नहीं हटाई जा सकती। चाहे उसमें पैमाइश हुई हो या न हुई हो, प्रश्न यह नहीं है। तो यह लाश का हटाना वहां पर मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुआ या नहीं, क्या इस बात की आपको जानकारी है? यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो उस पुलिस के एस० एस० पी० को क्या अधिकार था कि उसने लाश को निकलवा दिया?

श्री अध्यक्ष—

क्या आपको ऐसे कानून की जानकारी है कि दोनों पक्षों के राजी होने पर भी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा बिना लाश नहीं हटाई जायेगी?

श्री कृष्णानन्द राय—

इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नियम है भी नहीं कि यदि दोनों पार्टी राजी होकर हटा दें तो उसमें पुलिस बीच में आ जाय।

श्री वीरनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह लाश गाड़ने के कितने दिन बाद निकाली गई तथा क्या पहले पुलिस ने लाश निकलवा ली और बाद में बस्तखत लड़कों से लिये गये, इसकी भी जानकारी सरकार को है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

२८/२९ जून को यह लाश गाड़ दी गई और छोटे-मोटी कच्ची कब्र बना दी गई और जब रिपोर्ट मिली तो परगनाधीश उस स्थल पर गये और लोगों ने कहा उस पर थोड़ा विवाद हुआ, इस पर लोगों ने कहा कि पंचाइश करा दी जाय। १८ जुलाई को पंचाइश हुई, लेकिन इसमें कुछ भ्रम रह गया, फिर २४ जुलाई को पंचाइश हुई। यह बिलकुल स्पष्ट है कि चबूतरे पर पहले कब्र बना दी गई थी जिसकी वजह से वहां पर उत्तेजना थी। इसलिये मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर यह किया गया। यह बात नहीं है कि पुलिस ने उसको छिपवाया हो। इस बारे में अगर कोई भ्रम है कि पुलिस ने कुछ किया है तो वह निकाल देना चाहिये।

तारांकित प्रश्न

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हल्द्वानी से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी

*१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी में माह अगस्त सन् १९६३ ई० से ३१ मार्च, १९६९ तक कुल कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और इनमें से अब तक कितनों को शासन द्वारा व्यवसाय पर लगाया गया ?

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

१—(अ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हल्द्वानी के माह अगस्त, १९६३ ई० से ३१ मार्च सन् १९६९ ई० तक कुल ४१६ प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

(ब) इनमें से अब तक कितनों को शासन द्वारा व्यवसाय पर लगाया गया इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विगत माह जून में राजकीय रोडवेज, कुमायूं रीजन वर्कशाप, काठगोदाम में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति आई० टी० आई० से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में से की गई और क्या यह सही है कि इसमें अनुसूचित जाति के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति इसलिये नहीं की गई क्योंकि वह अनुसूचित जाति के थे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसकी सूचना इसमें उपलब्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह देखते हुये कि ऐसे विद्यार्थी जो प्रशिक्षित हैं या जिनको प्रशिक्षण मिल चुका है इनमें से बहुत से विद्यार्थी बेकार पड़े हुये हैं और इधर इंस्टीट्यूशंस खुलते जा रहे हैं और उनमें भर्ती होती जा रही है जिसकी वजह से जो विद्यार्थी पहले टर्न आउट हुये हैं वे बेकार पड़े हुये हैं, तो क्या सरकार ऐसी नीति पर विचार कर रही है कि पहले जो विद्यार्थी प्रशिक्षित

हैं पहले उनको कार्य देने की बात चलाये और उन सब को कार्य देने के बाद ही और संस्थायें लोगों को प्रशिक्षित करने के लिये खोले ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दृष्टिकोण से इन संस्थाओं के हेतु एक टैक्नीकल कमेटी बना दी गई है। यह टैक्नीकल कमेटी इन सारी बातों पर विचार करेगी कि कितने प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकता है और इनका स्लेबस क्या हो, कितने इंस्ट्रक्टर्स की आवश्यकता है और उन प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये कितनी मशीनों की आवश्यकता है, और कितने प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को इनमें से रोजगार मिलना चाहिये था और कितनों को रोजगार मिला, यह सारे प्रश्न इस समिति के विचाराधीन हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट देगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस समिति के सामने यह सब टैक्नीकल प्रश्न विचाराधीन हैं। इसलिये समय की कोई बात नहीं कही गई है। उनसे यह कहा गया है कि शीघ्र से शीघ्र अपनी रिपोर्ट दें।

एक सदस्य—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना देंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हलद्वानी पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह कोई सूचना इसमें नहीं है। लेकिन बजट में इस सम्बन्ध में जो प्राविधान किया गया है वह माननीय सदस्यों के सामने पेश किया गया है।

श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ४१६ प्रशिक्षार्थी थे इनमें से कितनों ने अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री गोपाल दत्त —

क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जिन ४१६ प्रशिक्षार्थियों ने हलद्वानी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनमें से कितनों ने स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय चलाया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कोई ऐसी योजना तो नहीं है कि प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को अवश्य ही व्यवसाय दिया जायगा। यह तो व्यवसाय की उपलब्धि पर, उनकी स्वयं की इच्छा पर और जो रोजगार खुलते रहते हैं उनकी आवश्यकता आदि पर निर्भर करता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जब तक कि इस कमेटी की रिपोर्ट आये तब तक क्या मंत्री जी इस बात की घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि जब तक इन संस्थाओं से प्रशिक्षित विद्यार्थी मिलते हैं तब तक बाहर के लोगों को काम में नहीं लिया जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, सम्मानित सदन जानता है कि जो विभिन्न संस्थान हैं उनमें से अधिकांश निजी संस्थान हैं। उनको हम बाध्य नहीं कर सकते कि हमारे आई० टी० आई० ट्रेन्ड लोगों को ही लेना पड़ेगा लेकिन एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा आई० टी० आई० और आई० टी० आई० से बाहर के लोगों के, दोनों के नाम भेजे जाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक आई० टी० आई० से प्रशिक्षित लोग ही लिये जायं।

कानपुर में बिक्री कर की वसूली

*२—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर तथा जिला में सेल्स टैक्स का कितना रुपया ३० जून, १९६९ तक बकाया है?

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

कानपुर नगर तथा जिला में सेल्स टैक्स का ४.५४ करोड़ रुपया ३० जून, १९६९ तक बकाया था।

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी को पता है कि १ अक्तूबर, १९६८ से ३१ दिसम्बर, १९६८ तक लगभग १५ जगह सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने कानपुर शहर पर छापा मारा और कागजात पकड़े, किन्तु एक का भी केस नहीं चला? यदि हां, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कानपुर शहर में बिक्री-कर अधिकारियों ने १ अक्तूबर, १९६८ से ३१ दिसम्बर, १९६८ तक ३५ जगहों पर छापे मारे और कागजात पकड़े। इनमें से तीन मामलों में जांच के बाद कर-निर्धारण किया जा चुका है। शेष मामलों में विभाग द्वारा जांच जारी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ सेल्स टैक्स का जिस में इन्कम टैक्स शामिल नहीं है, ४.५ करोड़ रुपया केवल कानपुर में बाकी है और हमको पैसे की जरूरत है चतुर्थ योजना के लिये और नये टैक्स लगाने की सोचना पड़ता है, तो क्या वित्त मंत्री जी तुरन्त ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे पूरा का पूरा बाकी रुपया वसूल हो जाय?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह रुपया अलग-अलग तरह का बाकी है। कुछ रुका हुआ है, कुछ स्टेल है लेकिन ३.४२ करोड़ रुपया ऐसा है जिसके सम्बन्ध में निरंतर कार्यवाही चल रही है और दिसम्बर से अब तक काफी धनराशि इसमें से वसूल हुई है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

जिस तरह से किसानों से बकाया वसूलने में उनके बैल वगैरह नीलाम किये जाते हैं और कांजीहाउस में बन्द कर दिये जाते हैं उसी तरह से पूंजीपतियों पर जो सेल्स टैक्स का बकाया है उसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही हुई?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यदि जरूरत पड़ गयी तो उनके घर और मिल दोनों को नीलाम कर दिया जायगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

इस ४.५ करोड़ रुपये में से सब से अधिक धनराशि किस व्यक्ति पर है और कब से बाकी है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस समय यह सूचना नहीं है।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

अब तक कितने व्यक्तियों की सम्पत्ति नीलाम करके वसूली करने का प्रयत्न किया गया है और कितने रुपयों की सम्पत्ति नीलाम हो चुकी है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अगर मेरे मित्र चाहेंगे तो सूचना मंगा कर दे सकता हूं। इस समय मेरे पास वह नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

किन-किन वर्षों का कितना-कितना रुपया किस-किस पर इन साढ़े चार करोड़ रुपयों में से बाकी है, इसका विवरण देने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह सूचना भी मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

इसमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर १० लाख रुपये से ज्यादा बकाया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मेरे पास सूचना नहीं है। मेरे ख्याल से १० लाख रुपये से शायद ही कोई ज्यादा हो।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन व्यक्तियों के विरुद्ध तो कर निर्धारण हो चुका उसी अवधि में लेकिन जो दूसरे व्यापारी थे जिनके यहां छापा डाला था उनके कर निर्धारण अभी तक क्यों नहीं हुये हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जो कागजात पकड़े जाते हैं उनकी जांच होती है। कहीं पर कागजात ज्यादा होते हैं और कहीं पर कम होते हैं और कम्पलीट नहीं होते तो उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाती है। एक बार पूरी जांच होने के बाद ही कर निर्धारण के लिये कागज उनको दिये जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मामले पकड़े गये उनमें से किसी के लिये यह सिफारिश की गई कि उनको खत्म कर दिया जाय?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरी नोटिस में यह बात नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बकायेदारों की रकम-मुद्दत वगैरह के बारे में जानकारी सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे कोई एतराज नहीं है। वे कोई प्रश्न पूछें तो उत्तर दिया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार किसी राजनीतिक या अन्य कारणों से ऐसा सोच रही है कि इनकी रकम को राइट आफ कर दिया जाय?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी नहीं, कतई नहीं और कदापि नहीं।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस पूंजीपति को उसने कितने दिन तक जेल में रखा और उनके नाम क्या हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, रखा तो है लेकिन इस समय बताना कठिन है।

बाराबंकी की ट्रक दुर्घटना में आई० टी० आई० के प्रशिक्षार्थियों की मृत्यु

*४—श्री गंगा प्रसाद, श्री आनन्द सिंह (जिला गोंडा), श्री महेश्वरदत्त सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जून माह, १९६९ ई० में आई० टी० आई०, गोंडा से ट्रक द्वारा मशीन इत्यादि सीतापुर आई० टी० आई० को ले जाते समय बाराबंकी में ट्रक उलट जाने से कितने व्यक्ति घायल हुये और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उनके नाम तथा पते क्या हैं और उक्त ट्रक पर कितने कर्मचारी थे, और कितने बाहरी व्यक्ति थे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दुर्घटना के समय ट्रक में दो विभागीय कर्मचारी, ३ प्रशिक्षार्थी एवं लगभग १०–११ बाहरी व्यक्ति थे। दुर्घटना में चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई और आठ घायल हुए जिनके नाम तथा पतों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६२ पर)

श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सही है कि जिस समय यह ट्रक गोंडा से चला तो प्रिंसिपल, श्री दिलीपसिंह इसमें बैठे हुये थे और उन विद्यार्थियों को भी उन्होंने जबरदस्ती उसमें बिठाया जो जाना नहीं चाहते थे और २० सवारी और बिठाई थी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सही है कि दो प्रशिक्षार्थी कलक्टर सिंह और भग्गा उसमें बैठे हुये थे जिनकी मृत्यु हुई। उसमें श्री दिलीपसिंह, प्रिंसिपल भी थे या नहीं यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नियमानुसार ६ से अधिक व्यक्ति प्रत्येक ट्रक के अन्दर नहीं बैठ सकते हैं तो इस विषय में जांच करायेंगे कि किसका दोष था?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह माननीय सदस्य का कथन सिद्धान्ततः ठीक है। यह जांच हो रही है। विभागीय जांच भी हो रही है और पुलिस के द्वारा भी जांच हो रही है ताकि मामला अदालत में भेजा जा सके।

श्री त्रिवेणी सहाय

क्या इस तरह की कोई शिकायत माननीय मंत्री जी के पास पहुंची है कि श्री दिलीपसिंह, प्रिंसिपल उस दिन ट्रक पर मौजूद थे और विद्यार्थियों को उन्होंने जबरदस्ती बिठाया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है।

श्री रामगोपाल संड--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें जितने लोग मरे उनमें से कितने लोगों को सरकार ने मुआविजा दिया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जहां तक मेरी सूचना है अभी तक कोई मुआविजे की अर्जी नहीं आई है। आयेगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री गंगाप्रसाद--

क्या यह सही है कि श्री दिलीपसिंह ने ही बाहरी आदमियों को किराया लेकर ट्रक पर बैठाया था और जब दुर्घटना हो गयी तो भाग गये और थाने पर सूचना भी नहीं दी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं अभी निवेदन कर चुका हूं कि श्री दिलीप सिंह का इस कांड में हाथ होने की सूचना मेरे पास नहीं आयी है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ट्रक की दुर्घटना किन हालतों में हुई ? क्या यह सही है कि मशीन को ठीक प्रकार बांधा नहीं गया, इसलिए हो गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

दुर्घटना होने का यह कारण तो उल्लिखित नहीं हुआ है। यह मालूम हुआ है कि बहुत तेज चाल से ट्रक चल रहा था।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि ६ से ज्यादा आदमी बैठे हुए थे और श्री दिलीपसिंह भी बैठे थे। तो क्या इस बात की सूचना मान करके कि ये अनियमितताएं प्रिंसिपल की मौजूदगी में बरती गयीं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार मंत्री जी कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, जहां तक सम्मानित सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है कि ६ व्यक्तियों से ज्यादा बैठे थे, यह तो सही है और इस पर कार्यवाही हो रही है। जहां तक दूसरे भाग का प्रश्न है तो इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि श्री दिलीपसिंह जी भी मौजूद थे।

*५--श्री ओमप्रकाश सिंह--

[५वें गुरुवार के लिये प्र० सं० ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैं व्यवस्था चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको स्थगित किया गया। इसकी जानकारी कहीं बाहर से नहीं करानी है, सचिवालय से संबंधित प्रश्न है। इसको ४८ वें नम्बर पर रखा गया है, यह बड़ी ज्यादती की जा रही है। जब टाला गया है तो

प्राथमिकता देनी चाहिए। मालूम होता है कि इसका उत्तर ही नहीं देना चाहते हैं। आपको अधिकार है कि इसको पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष—

यह स्थानान्तरित हो सकता है। अगर और कुछ कहना है तो मेरे कमरे में आकर कहिये। मैं देखूंगा तब पता लगेगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यकता से अधिक मशीनों की खरीद

*६—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, सन् १९६७ में पौने दो करोड़ रुपये का माल आई० टी० आई० में हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी से टेक्निकल आफ़िसर और डाइरेक्टर, आई० टी० आई० की मंजूरी से खरीदा गया? यदि हां, तो उक्त माल का प्रयोग किस प्रकार तथा कहां-कहां हो रहा है? क्या यह सही है कि कुछ सामान का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मार्च, सन् १९६७ में विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु एच० एम० टी० बंगलौर से रु० १,५७,५४,३०० की कीमत की ४४३ मशीनों की खरीद के लिये डाइरेक्टर जनरल आफ़ सप्लाइज ऐण्ड डिस्पोजल्स, नई दिल्ली को मांग-पत्र भेजे गये और क्रयादेश डाइरेक्टर जनरल आफ़ सप्लाइज ऐण्ड डिस्पोजल्स, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये। उक्त ४४३ मशीनों में से ३४० मशीनें विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयोग हेतु भेज दी गई हैं। शेष १०३ मशीनें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त स्थान तथा पावर उपलब्ध न होने के कारण प्रयोग में नहीं लाई जा सकी हैं जिसके लिये समुचित व्यवस्था की जा रही है।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १०३ मशीनें जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वह कितनी कीमत की हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ये मशीनें करीब ३०–४० लाख रुपये की हैं।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १०३ मशीनें कौन से स्थान पर रखी हुई हैं और कब से?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ये लखनऊ जी० टी० आई० की बिल्डिंग में रखी हुई हैं जो चारबाग स्टेशन के पास है।

एक सदस्य—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी ने ४४५ मशीनों के लिए आर्डर दिया था क्या उसने उचित आर्डर दिया था? उसने कम मशीनें क्यों नहीं मंगायीं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौर में ४,९२० सीटों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी और पहले वर्ष में १ करोड़ ८२ लाख रुपये का प्राविधान बजट में किया गया था। इसको दृष्टिकोण में रखते हुए डायरेक्टर, आई० टी० आई० ने एच० एम० टी० से मशीनें खरीदने का फैसला किया।

श्री दीपनारायण मणि—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि दो मशीनें देवरिया में गयीं जो कि बेकार पड़ी हुई हैं, प्रयोग में नहीं आयीं ? क्या वे इसकी सूचना दे सकते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

देवरिया में दो मशीनें भेजी गयी हैं। ये किस कारण बेकार पड़ी हैं इसकी सूचना नहीं है। हो सकता है मरम्मत की वजह से पड़ी हों।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट, ए० जी० की रिपोर्ट और प्रश्नों से यह पता चलता है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट, बिजली विभाग और आई० टी० आई० डिपार्टमेंट में मशीन बेकार पड़ी हुई हैं। क्या सरकार ऐसा सरकुलर भेजने का कष्ट करेगी कि जो आफिसर आर्डर देता है बिना यह देखे हुए कि ये मशीनें कारगर होंगी या नहीं, तो वह दण्ड का भागी होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक बिजली विभाग और सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है, मैं उसके लिए कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूं। लेकिन सामान्यतः ऐसे आदेश जरूर प्रसारित हुये होंगे क्यों कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो टिप्पणी होती है उस पर सरकार आदेश प्रसारित करती है। जहां तक आई० टी० आई० का सम्बन्ध है तो इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित हो चुके हैं। एक टेक्निकल कमेटी भी है जो कि यह देखती है कि हर मशीन क्या कार्य करेगी और जो मशीन बेकार पड़ी हैं उनका भविष्य में किस प्रकार उपयोग होगा।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

क्या श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये मशीन कब तक खाली पड़ी रहेंगी ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये पुकारा नहीं गया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मशीनें जिलों में भेजी हैं उनमें से कितनी चालू हैं और कितनी बेकार पड़ी हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जो अब तक सारे प्रदेश में हैं उनमें १२ मोलिंग ड्रिलिंग मशीनें हैं, १३ वर्टीकल मिलिंग मशीनें हैं, यूनिवर्सल मिलिंग १४ हैं, लेथ ४८१ हैं और ग्राइंडिंग मशीनें २० हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर के आदेश से ये मशीनें खरीदी गयी थीं। क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खपत से ज्यादा मशीनों की खरीद के लिये आदेश देने के लिये उन डायरेक्टर महोदय के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस सारे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि आवश्यकता से अधिक मशीनें क्यों खरीदी गयीं, इस प्रश्न पर भी विभाग विचार कर रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्न उठता है आवश्यकता से अधिक तो वह कितनी अधिक थी? इसका आधार क्या था? किस आधार पर इस आवश्यकता को जांचा गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी (नियोजन मंत्री)--

आवश्यकता यह थी कि टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइन्डर और फिटर यह चार ट्रेड बहुत पापुलर हैं और इनके लिये मशीनों की आवश्यकता थी और यह भी सोचा गया कि चौथी योजना में २१ नये आई० टी० आई० खोले जायेंगे और पुराने आई० टी० आई० में ९००० सीटें बढ़ाई जायेंगी। इस खयाल से १ करोड़ ८१ लाख रुपये का प्राविधान किया गया था और विधान मंडल द्वारा स्वीकृत हुआ था और उसी के अनुसार यह कहा गया कि यह आर्डर दिये गये थे।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में जो मशीनें हैं उनमें से कुछ को रस्ट लग गया है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कुछ मशीनों में रस्ट लग गया है ऐसी सूचना आई थी। मैंने भी वहां पर इसका निरीक्षण किया था और वहां सुपरिन्टेन्डेंडिंग इंजीनियर जांच के लिये भेजे गये थे। अब मशीनों की सफाई हो गई है और अब वे ठीक हालत में हैं ऐसा मुझे बताया गया है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में कुछ ऐसी मशीनें बेकार पड़ी हैं? यह कौन सी मशीनें हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इलाहाबाद में १० मशीनें भेजी गई थीं। यह हो सकता है कि किसी कारण से उनमें कुछ काम न कर रही हों। सारे प्रदेश में यह आदेश दे दिया गया है कि जो मशीनें चालू हालत में नहीं हैं उनको ठीक से मेंटेन किया जाय और टेकनिकल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री मंजूर अहमद--

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन मशीनों की खरीद के सिलसिले में किसी अधिकारी को सजा दी गई?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस प्रश्न पर दूसरे प्रश्नों के साथ विजिलेन्स कमीशन ने भी विचार किया था। उसमें केवल मशीनों के खरीदने का ही प्रश्न नहीं था बल्कि यह भी था कि मशीनें कीमत से कुछ ज्यादा पर भी खरीदी गईं। इस दृष्टिकोण से एक ज्वाइंट डाइरेक्टर को चौथाई पेंशन पर कम्पलसरी रिटायर किया गया, कुछ अधिकारियों को मुअत्तल किया गया और रिवर्ट किया गया है।

श्री राम गोपाल संड--

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि ४४५ जो मशीनें खरीदी गई उनमें से कितनी बेकार पड़ी हैं जो आई० टी० आई० को भेजी गई?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार अधिकांश मशीनें चालू हालत में हैं ।

*७--श्री चिरंजीलाल--

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बदायूं जिला परिषद् में नकली सगीर अहमद द्वारा शपथ ग्रहण

*८--श्री रियासतहुसैन--

क्या पंचायतराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन लोग सरकार की तरफ से जिलों-जिलों में जिला परिषद् के मेम्बर सन् १९६९ में नियुक्त किये गये?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

शासन ने सन् १९६९ में जिन व्यक्तियों को जिन परिषदों की सदस्यता के लिये नामांकित किया है, उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६३ पर)

*९--श्री रियासत हुसैन--

क्या पंचायत मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन मेम्बरों में से आज तक किन-किन लोगों ने शपथ ग्रहण कर ली है और क्या जिला बदायूं में दिनांक ५ जुलाई, १९६९ ई० के शपथ ग्रहण करने के समय कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ था ? यदि हां, तो वह क्या था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

संलग्न सूची में से केवल जिला परिषद नैनीताल तथा बदायूं के सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर ली है ।

दिनांक ५ जुलाई, १९६९ को जिला परिषद, बदायूं की बैठक में शासन द्वारा नामांकित सदस्यों को शपथ दिलाने के समय दो व्यक्ति शपथ लेने के लिये खड़े हो गये थे, एक श्री सगीर अहमद, निवासी सहसवान जिनका पूरा नाम श्री सैयद सगीर अहमद नकवी है, जिन्हें शासन ने मनोनीत किया था तथा सहसवान में ही रहने वाले एक दूसरे श्री सगीर अहमद ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो दो आदमी नैनीताल और बदायूं में शपथ लेने से रह गये उसका क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उसका कारण यह था कि वल्दियत नहीं लिखी थी और इस कारण इस बात पर मतभेद हो गया जिला परिषद में कि कौन सगीर अहमद है जिनको शपथ दिलानी है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ तारीख को बदायूं जिला परिषद में जब शपथ ग्रहण की कार्यवाही हो रही थी तो उस वक्त जो नकली सगीर अहमद खड़े हुये उनको किसकी शिनाख्त पर शपथ दिलाई गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय सदस्य क्षमा करेंगे, जिला परिषद् की कार्यवाही का पूरा विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने सदस्य की वल्दियत की बात अब दूसरे आदेश द्वारा साफ कर दी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां ।

श्री शिवराज सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस सदस्य को नामजद किया है उसकी वल्दियत क्या है और क्या यह वही शख्स है जिसने शपथ ली या वह है जिसे शपथ नहीं दिलाई गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इस संबंध में जो असाधारण गजट निकला है वह २१ जुलाई को प्रकाशित हुआ है जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि नामांकित सदस्य सैयद सगीर अहमद नकवी, आत्मज सैयद मोहम्मद ताहिर, निवासी काजी मुहल्ला सहसवान, जिला बदायूं । और जो दूसरे सगीर अहमद भ्रमवश हो गये थे वह सदस्य नहीं है, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ३ तारीख को मुन्सिफ़, बदायूं ने श्री सैयद सगीर अहमद नकवी के हक में फ़ैसला दे दिया, बावजूद इसके दूसरे सगीर अहमद को जिला परिषद् के चेयरमैन और मुख्य अधिकारी और दूसरे जिम्मेदार लोगों ने जो जबरदस्ती शपथ दिलाई, इसके संबंध में उनका क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, इस संबंध में कोई कार्यवाही इसलिये नहीं हो सकती कि वल्दियत की गलती यहीं से हुई थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रदेश सरकार से वल्दियत की गलती हुई, है उसमें कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इस संबंध में जो गलती हुई है इसका शासन को खेद है । लेकिन कभी- कभी ऐसा हो जाता है । अब इसकी जांच की विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सैयद सगीर अहमद का उन्होंने नामांकन किया था उन्होंने सरकार का वह नामांकन का कागज पेश किया था, लेकिन दूसरे सगीर अहमद के पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र न होते हुये भी उन्हें शपथ दिलाई गई । यदि, हां तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह सही है कि जो साहब नामांकित हुये थे उन्होंने एक पत्र शासन के पास भेजा है जिसमें लिखा है कि उन्होंने नामांकन पत्र की प्रतिलिपि वहां प्रस्तुत की थी । अब इस संबंध में तो निर्णय हो चुका है । अब स्पष्ट आदेश हो जाने के बाद इसमें ज्यादा विवाद अगर न हो तो अच्छा है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी के पास नकली सगीर अहमद ने पत्र भेजा है कि मंत्री जी के करेक्शन करने के बाद, और फिर असरार किया है उस पत्र द्वारा कि मैं ही असली सगीर अहमद हूं और मुझे सही शपथ दिलाई गई थी, तो इस धोखे बाजी के सिलसिले में मंत्री जी का कोई कार्यवाही करने का इरादा है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस असाधारण गजट के प्रकाशित होने बाद कोई पत्र किन्हीं सगीर अहमद का मुझे प्राप्त नहीं हुआ ।

छंटनी किये गये कर्मचारियों को नौकरी देने में वरीयता

*१०—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६६ में छंटनी शुदा कर्मचारियों को पुनः सरकारी नौकरी में नियुक्ति होने पर उनके वेतन निर्धारित करते समय उनके पूर्व सरकारी सेवा काल का विचार किया गया है ? यदि हां, तो निदेशक, कोषागार कार्यालय, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई हैं जिनका मूल वेतन पूर्व सेवा काल को विचार करते हुए निर्धारित किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस विषय में विचार करेंगे कि जो लोग छंटनी किये जाते हैं और फिर दोबारा सेवा में लिये जाते हैं उनको उनके पुराने वेतन क्रमों पर लिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस संबंध में कुछ निर्धारित नियम हैं जिनके अन्तर्गत छंटनी शुदा कर्मचारियों को लिया जाता है । वह नियम यह है, उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि छंटनीशुदा कर्मचारी वही समझा जायेगा जो एक वर्ष तक निरन्तर स्थायी या अस्थायी सेवा कर चुका हो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह परिभाषा कौन से इंडस्ट्रियल ला के अन्तर्गत है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, इंडस्ट्रियल ला तो मैं नहीं जानता, लेकिन शासन की एक विज्ञप्ति है, उसके अनुसार यह परिभाषा है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार की कोई स्पष्ट ऐसी नीति है कि भविष्य में जो नियुक्तियां हों उनमें इन छंटनी शुदा कर्मचारियों को वरीयता दी जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह तो श्रीमन्, एक जनरल सवाल है । लेकिन आम तौर से यह नीति है कि छंटनी शुदा कर्मचारियों को दूसरे के मुकाबले प्रीफरेन्स दिया जाना चाहिये ।

जिला परिषद् कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश

*११—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि राज्यों में जिला परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन महंगाई भत्ते में १ अप्रैल सन् १९४९ से कब-कब वृद्धि हुई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला परिषदों में दो प्रकार के कर्मचारी हैं यानी (१) अध्यापकगण (२) अध्यापकों के अतिरिक्त। अध्यापकों के वेतन आदि का व्यय सरकार अनुदान के रूप में देती है। अध्यापकों के अतिरिक्त कर्मचारियों का वेतन आदि का व्यय स्वयं जिला परिषदें वहन करती हैं।

अध्यापकों के अतिरिक्त जिला परिषदों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, सामान्य रूप से केवल एक बार यानी १ अप्रैल, १९६६ से की गयी है परन्तु महंगाई भत्ते में सामान्य रूप से ७ बार वृद्धि की गयी है। प्रासंगिक राजाज्ञाओं की तालिका संलग्न है।

इन बातों के अतिरिक्त एक और भत्ता इन कर्मचारियों को विवेक भत्ता के नाम से राजाज्ञा संख्या ४९ए/३३-९४ बी/१९६२, दिनांक ९ अप्रैल, १९६५ के अन्तर्गत दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६४ पर।)

श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार को विदित है कि प्राइमरी अध्यापकों द्वारा न्यूनतम वेतन के लिये एक आन्दोलन चलाया जा रहा है जिसमें उन्होंने १५० रुपये वेतन तथा महंगाई भत्ता दिये जाने की मांग की है? यदि हां, तो सरकार उनके प्रश्न पर क्या विचार कर रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस समय तो सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल मिलाकर कितना महंगाई भत्ता जिला परिषदों के कर्मचारियों को और कितना राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिला परिषद् के कर्मचारियों को ५० रुपये तक ५८ रुपये, ५१-१०० रुपये तक ६० रुपये, १०१-१०४ तक ५५ रुपये, १०५-२०० रुपये तक ५५ रुपये, २०१-४५० रुपये तक ५० रुपये, और ४५१ से -८५० रुपये तक ४० रुपये महंगाई भत्ता दिया जाता है। राज्य कर्मचारियों को १०९ रुपये तक ५६ रुपये, ११०-१४९ रुपये तक ७६ रुपये, १५०-२०९ रुपये तक ९३ रुपये २१०-३९९ रुपये तक १११ रुपये, ४००-४४९ रुपये तक १२० रुपये, ४५०-४९९ रुपये तक १२४ रुपये महंगाई भत्ता दिया जाता है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार जिला परिषदों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो आदेश लागू हैं दिनांक १ अप्रैल, १९६८ से उनके अनुसार जिला परिषदों के कर्मचारियों का वेतन क्रम प्रथम श्रेणी की नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के अनुरूप किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो वेतन वृद्धि १ अप्रैल, १९६८ से हुई है वह कितनी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, बहुत बड़ी सारिणी है .....

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय सदस्य के पास भेज दीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिला परिषदों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन क्रम एवं महंगाई भत्ते उनके समान काम करने वाले कर्मचारियों से कम हैं, उनको सामान लाने के लिये कोई वेतन आयोग बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन् इस संबंध में एक कमेटी का गठन हुआ था । श्री कैलाश प्रकाश, तत्कालीन वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में जिसका नाम उत्तर प्रदेश पंचायती राज साधन समिति १९६४ था । इसकी कुछ सिफ़ारिशें भी आई थीं वेतन क्रमों के संबंध में । तथा इस पर विचार हुआ और इसके अन्तर्गत यह पूछा गया जिला परिषदों से कि क्या सरकारी कर्मचारियों के समान जिला परिषद् के कर्मचारियों को वेतन देने के लिये आप क्या आर्थिक व्यय वहन कर सकते हैं । उनमें केवल ९ जिला परिषदों ने कहा कि हम पूरा वहन करेंगे और पांच जिला परिषदों ने पचास फ़ीसदी अनुदान देने पर व्यवस्था करने को कहा । यानी कुल प्रदेश की १५ परिषदों ने उत्तर दिया जो हम दे रहे हैं बढ़ा हुआ वेतन-क्रम प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाओं के अनुसार इसमें भी शासन में पचास फ़ीसदी अनुदान में देना पड़ रहा है १९६८–६९ में । तथा १९६९–७० में २५ फीसदी । ८ लाख ३५ हजार रुपये तथा ५ लाख ८ हजार रुपयों का बजट में प्राविधान किया है । इस समय भी हम जिला परिषदों से आग्रह कर रहे हैं और २८ जुलाई, १९६९ को लिखा गया है कि वे अपनी सुविधा के अनुरूप अपने कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन क्रम देने के लिए तत्पर हैं या नहीं ।

प्रधान, गांव सभा बिनौर के खिलाफ गबन की शिकायत

*१२—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधान गांव सभा बिनौर, परगना व जिला कानपुर ने समाज मिलन केन्द्र तथा प्राइमरी स्कूल के पृथक-पृथक् भवन निर्माण के लिये दो अनुदान की धनराशि सरकार द्वारा प्राप्त की किन्तु केवल एक भवन का निर्माण करने के पश्चात् एक भवन की अनुदान की कई हजार रुपये की धनराशि का गबन फर्जी बिल तथा बाउचर व कम्पलीसन रिपोर्ट लगा कर कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

गांव सभा बिनौर के प्रधान को सामाजिक, मिलन केन्द्र एवं प्राइमरी स्कूलों के पृथक-पृथक भवन निर्माण एवं प्रसार हेतु निम्न धनराशियां अनुदान के रूप में विकास खण्ड कल्यानपुर द्वारा दी गई हैं :—

	रु०
१—समाज मिलन केन्द्र, बिनौर हेतु	१०००
२—प्राइमरी पाठ शाला भवन प्रसार, बिनौर हेतु ..	५००

			रु०
३—कन्या पाठशाला भवन, बिनौर हेतु	..	..	२,०००
४—प्रसार कन्या पाठशाला भवन हेतु	..	..	५००
५—स्कूल भवन निर्माण ग्राम ईश्वरीज	..	..	१,०००
६—स्कूल भवन निर्माण ग्राम कटरा मंसोर	..	..	१,०००
७—स्कूल भवन निर्माण, ग्राम पुरवा लाल शाह		..	५००

कन्या पाठशाला भवन निर्माण एवं प्रसार की मद तथा ग्राम कटरा मंसोर में अपूर्ण स्कूल भवन के अलावा उक्त सभी भवनों का निर्माण या प्रसार किया जा चुका है। कन्या पाठशाला भवन के निर्माण व प्रसार हेतु प्राप्त २,५०० रु० के अनुदान की धनराशि गांव सभा की डाकखाने के पास बुक में जमा है। इसलिये प्रधान द्वारा अनुदान की धनराशि के गबन या उसकी जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

बिक्री-कर विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*१३—श्री सूरज लाल (जिला गोंडा) तथा श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ) —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बिक्री-कर विभाग के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी वर्षों से लगातार कार्य करते हुये भी अभी तक अस्थायी हैं यदि हां, तो क्या सरकार बिक्री-कर विभाग के उन अस्थायी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्थायी करने की कृपा करेगी और कब तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह सही नहीं है कि बिक्री-कर विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी वर्षों से लगातार कार्य करते हुए अस्थायी हैं।

ऐसे अस्थायी अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी चरित्र पंजिकाओं में मिली प्रविष्टियां संतोषजनक हैं और जिनके विरुद्ध वैभागिक अथवा अन्य प्रकार की कार्यवाही नहीं चल रही है, के स्थायीकरण के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही स्थायीकरण के आदेश जारी किये जाने की आशा है।

बिक्री-कर विभाग में १२ वर्ष तक की सेवा काल के तृतीय वर्ग के २२८ अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से ऐसे कर्मचारी जिन के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है और जिनकी चरित्र पंजिकायें ठीक है, के स्थायीकरण के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। निकट भविष्य में ही ऐसे सुयोग्य कर्मचारियों के स्थायीकरण किये जाने की आशा है। इस संबंध में आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री इम्तियाज हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो आदेश कहा गया कि मुस्तकिल करने के दिये जा चुके हैं वे किस तारीख को दिये जा चुके हैं इस पर क्या कार्यवाही हो चुकी है और वे क्या आदेश हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आदेश तो मैंने बताये थे। आदेश ये हैं कि जिन की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि ठीक है उनका प्राथमिकता के आधार पर स्थायीकरण किया जाय। तारीख मेरे पास नहीं है जिस रोज आदेश दिया गया।

श्री सूरजलाल—

श्रीमन्, इस बिक्री कर विभाग में कितने गजेटेड और कितने नान-गजेटेड और कितने चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, जो स्थायी हैं और कितनी अस्थायी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त या असिस्टंट कमिश्नर के ३३ पद हैं जिन में से १७ स्थायी हैं, बिक्री-कर अधिकारी के १३० पद हैं जिन में से ६८ स्थायी हैं, सहायक बिक्री-कर अधिकारी के १८० पद हैं जिनमें से १५३ स्थायी हैं, इसी तरह से तृतीय वर्ग के लिपिक वर्ग के १२२७ स्थायी पद हैं और ५८२ पर स्थायीकरण हो चुका है, चतुर्थ वर्ग के ५८८ पद स्थायी हैं और ३४७ पर स्थायीकरण हो चुका है ।

श्री सूरजलाल—

एक ही ग्रेड में नान-गजेटेड कर्मचारी जो हेडक्वाटर्स पर होते हैं वे तो जल्दी स्थायी हो जाते हैं लेकिन जो अन्य नीचे के कार्यालयों में होते हैं उन के स्थायी किये जाने में पक्षपात बरता जाता है, क्या यह सही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ऐसी शिकायत आयेगी तो विचार किया जायगा लेकिन मेरे ज्ञान में तो ऐसा नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उत्तर में बताया गया कि २२८ अधिकारी और कर्मचारी १२ साल से अभी तक अस्थायी हैं तो इसका क्या कारण है और उनके स्थायी होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कारण तो बहुत हैं, यदि अस्थायी कर्मचारियों का कार्य अच्छा नहीं होता तो उन्हें देरी से स्थायी किया जाता है और स्थायी किये जाने के कुछ नियम हैं जिन के अन्तर्गत स्थायीकरण होता है। देरी का जहां तक प्रश्न है अच्छी प्रविष्टि वालों को लाजमी तौर जल्द से जल्द स्थायी किया जायगा और इस संबंध में आदेश भी दिये जा चुके हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

स्थायीकरण का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सचिवालय में ही दस दस और १५–१५ साल से लोग बराबर काम कर रहे हैं जिन का रिकार्ड भी बहुत अच्छा है, अगर रिकार्ड देख कर ही स्थायी किये जाते तो अभी तक बहुत से लोग स्थायी कर दिये गये होते और यह कर्मचारियों के असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी कोई नीति निर्धारित करेंगे कि इतने दिन के अस्थायी अच्छे रिकार्ड वाले कर्मचारी स्थायी कर दिये जायंगे क्योंकि इस असंतोष के कारण सरकार का कार्य भी सफर करता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस प्रश्न पर शासन का ध्यान समय-समय पर जाता रहा है और इस संबंध में निश्चित आदेश भी हो चुके हैं। जब से यह सरकार आई है तब से इस सरकार का ध्यान इस ओर है और अस्थायी पदों के स्थायीकरण का कार्य अधिक से अधिक तीव्रता से हो रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कोई निश्चित नियम इस संबंध में न होने के कारण क्या मन्त्री जी को मालूम है कि चरित्र-पंजिका में अच्छी प्रविष्टि पाने के लिये साधारण कर्मचारियों को अपने बास की नाजायज खुशामद, चापलूसी और बेगार करना पड़ती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरे मित्र की इस बात से मेरी असहमति है।

श्री इम्तियाज हुसैन—

जिन आदेशों के जारी किये जाने का जिक्र किया गया है क्या मन्त्री जी वह आदेश बताने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वह आदेश स्थायीकरण के लिये ही हैं।

श्री सूरजलाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन अस्थायी कर्मचारियों को किसी मुद्दत में, एक साल में या २ साल में कितने समय में स्थायी कर दिया जायगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

प्रत्येक तो नहीं होगा लेकिन जिनकी बारी आती जायगी और जिनकी प्रविधि अच्छी होंगी उन को प्राथमिकता दी जायगी।

*१४—श्री राम सागर [दिनांक १२ अगस्त, १९६९ के प्र० सं० २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अध्यक्ष, जिला परिषद्, वाराणसी के विरुद्ध मुकदमे में वकीलों की फीस

*१५—श्री राम लखन (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अध्यक्ष जिला परिषद् वाराणसी के विरुद्ध वाराणसी के नागरिक श्री राम अधार ने जिला परिषद् सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में कोई इस्तगासा अदालत में दाखिल किया है? जिसमें सरकारी आदेश से श्री राम अधार के वकील को फीस देने के लिए ४० रुपये प्रति तारीख सरकारी खजाने से देने का आदेश भेजा गया है? यदि हां तो उपरोक्त आदेश किसकी आज्ञा से प्रसारित हुआ तथा प्राइवेट मुकदमें में सरकारी धन व्यय करने का कारण क्या है? अब तक इन्हें इस निमित्त कितनी धनराशि दी जा चुकी है?

न्याय मंत्री (श्री स्वामीप्रसाद सिंह)—

जी हां, अध्यक्ष जिला परिषद् वाराणसी के विरुद्ध वाराणसी के नागरिक श्री राम आधार द्वारा एक अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। श्री राम अधार के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन सरकार द्वारा विशेष तौर से दो वकील, सर्वश्री यशवन्त प्रसाद मेहता तथा विन्धवासिनी सिंह जिनको कुल मिलाकर ४०/-रुपये फीस प्रतिदिन होती है की शासनादेश दिनांक २०-६-६७ द्वारा नियुक्ति की गयी थी। यह आदेश तत्कालीन सरकार द्वारा प्रसारित किये गये थे। जिलाधीश की सूचनानुसार इन वकीलों की फीस के निमित्त १,८२० रुपये की धनराशि अब तक व्यय की जा चुकी है।

*१६—श्री रामलखन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस आदेश के विरुद्ध क्या अध्यक्ष, जिला परिषद् ने कोई प्रतिवेदन भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

जी हां, उक्त आदेश के विरुद्ध, अध्यक्ष जिला परिषद् वाराणसी, श्री श्याम बिहारी सिंह, ने एक प्रार्थना पत्र वर्तमान सरकार को भेजा था। उनकी प्रार्थना पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि सरकार की ओर से श्री राम अधार को सरकारी व्यय पर वकील

नोट—तारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

उपलब्ध कराने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप तत्कालीन सरकार द्वारा दिये गये वकीलों की नियुक्ति के आदेश वर्तमान सरकार द्वारा रद्द कर दिये गये। इस बात की सूचना जिलाधिकारी वाराणसी को ७-८-६९ को प्रसारित की गयी।

विद्युत उद्योग के लिए निजी क्षेत्र से हस्तान्तरित बिजली कर्मचारी

*१७—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् उद्योग के लिये १९६४ में गठित उच्चस्तरीय समिति ने निजी क्षेत्र से हस्तान्तरित बिजली कम्पनी के कर्मचारियों की सेवायें जारी रखने के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसे सरकार ने कार्यान्वित किया है या नहीं? यदि नहीं, तो किस कारण से?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विद्युत उद्योग के लिये १९६४ में गठित उच्चस्तरीय समिति ने निजी क्षेत्र से हस्तान्तरित बिजली कम्पनी के कर्मचारियों की सेवायें जारी रखने के लिये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसे स्वीकार कर कार्यान्वित किये जाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् से भी राय ली गई है जिसके शीघ्र उपलब्ध हो जाने की आशा है और उसके आते ही सरकार अपना अन्तिम निर्णय कर लेगी।

ब्लाक प्रमुख, कल्याणपुर के खिलाफ कथित जांच

*१८—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

क्या नियोजन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुख कल्याणपुर, जिला कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई जांच सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो आरोप क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री जगदीश गांधी—

[५व सोमवार के अतारांकित प्र० सं० १-२ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों को वरीयता देने की मांग

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन् कार्य सूची में कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेना आईटम ११ पर दिया हुआ है। कार्य-स्थगन के प्रस्ताव का मतलब ही महत्वपूर्ण काम है और इसके लिये सब कामों को स्थगित कर देना चाहिए लेकिन आप प्रस्ताव को सारे कामों के पश्चात् शाम को लेते ह। इस सम्बन्ध में आप कृपया दफा ५६ को देखें। यह कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं है। लोक सभा में भी माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि इसकी वरीयता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप भी इसे पहले ले लिया करें।

श्री अध्यक्ष—

जो बदले हुए नियम हैं, उनमें वरीयता नहीं रही। कृपया इस सम्बन्ध में नियम ३१५ के उप नियम २८ को देखें, जिसमें सदन के कार्य को स्थगित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा का प्राविधान है। यह बहुत पीछे है। इसीलिए इसको शाम को रखा गया है। उसके बाद नियम ५१ क प्रश्न आते हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, आज मेरा एक प्रश्न था जो संख्या १७ पर अंकित है, परन्तु उसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका उत्तर मुझे कब तक मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपके मकान में किसी "प्रेम नारायण" ने दस्तखत करके लिया है ? जो आप के कमरे में था। आप इस सम्बन्ध में मुझसे मेरे कमरे में मिल लें मैं इसे किसी दूसरे दिन ले लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, कुछ प्रश्नों को निश्चित तिथि के लिए नियत किया जाता है। जैसे आज भी मेरा एक प्रश्न था, लेकिन न तो उसका उत्तर ही मिला है और न उसके स्थानान्तरण की कोई सूचना ही मुझे मिली है ?

श्री अध्यक्ष—

एक प्रोविजनल सूची भेजी जाती है और अगर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते तो एक बार तो वे कह ही सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुझे जो सूचना है वह यह है कि इस तिथि में विचारार्थ है ?

श्री अध्यक्ष—

कौन से दिन के लिए विचारार्थ है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, चौथे सोमवार के लिये।

श्री अध्यक्ष—

तो यह तो तीसरा ही सोमवार है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, कुछ प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनको स्थानान्तरित कर दिया जाता है और टाल भी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

इतनी डिटेल्ड बातों का मैं जवाब सदन में नहीं दे सकता। प्रश्नों के सम्बन्ध में जितनी आप की शिकायतें हों, उन सब को मुझे मेरे कमरे में बता दें। मैं उनकी जानकारी हासिल करके आप को बता दूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, सदन में रोशनी बहुत कम रहती है। जब कोई चीज पढ़नी होती है तो मंत्री लोगों को और हम सब को भी बड़ी दिक्कत महसूस होती है और खास तौर पर जब कि बाहर आसमान में बादल छा जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि सदन में उचित रोशनी का प्रबन्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष—

सदन में फलोरोसेन्ट ट्यूब्स लगी हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको रोशन करवा दूं।

एक सदस्य--

पहले मंगलवार के लिये मेरा प्रश्न निश्चित किया था, लेकिन कितने ही मंगलवार निकल गये ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे याद नहीं रह सकता । मेरे कमरे में पूछ लीजियेगा, मैं फाइल मंगवा कर देख लूंगा ।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, नित्यानन्द स्वामी जी ने ध्यान आकर्षित किया था कि जो प्रश्न स्थानान्तरित किया जाता है दूसरे दिन के लिये तो वह दूसरे दिन भी बहुत पीछे रखा जाता है, जिससे वह आ नहीं पाता है । दूसरे दिन उसे पहले ले लिया जाय ताकि सदन में चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष--

जरूर व्यवस्था करूंगा । आपका कोई प्रश्न हो तो माननीय सदस्य मेरे पास आकर पूछ लें । मैं जवाब दे दूंगा किस तारीख को है ।

श्री उमाकान्त वाजपेयी (जिला फतेहपुर)--

शिव सहाय कालेज, गुरौली, में गोलीकांड के बारे में नियम ५१ के अन्तर्गत मेरा प्रश्न था । आपसे उस सम्बन्ध में प्रार्थना भी की थी । वह दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । बड़ा तनावपूर्ण वातावरण है आसपास । मेरी प्रार्थना है कि इस विषय में जरूर चर्चा करा दें नहीं तो दो, तीन गोली कांड और न हो जांय ।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कमरे में आकर पूछ लें । कई प्रश्न मैंने भेजे हैं । मुझे याद नहीं है कि कौन सा प्रश्न है ।

श्रीमती वीना दुग्गल तथा मेजर जनरल हबीबुल्ला के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहलना के प्रश्नों पर शीघ्र निर्णय की मांग

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मेरे एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में शीघ्र ही निर्णय लेने की बात आपने कही थी । मैं निवेदन करूंगा कि आपने उसके बारे में क्या तय किया ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसी वक्त विशेषाधिकार के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने लिया था और उसके साथ एक दूसरा भी था । उसके बाद एक प्रश्न यह था कि यहां जो चर्चा होती है और उस पर जो बाहर टीका टिप्पणी होती है यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस विषय में मैंने निश्चय यह किया था कि सब की राय ले ली जाय और विशेषकर जितने ऐसे प्रश्न हैं उनमें एडवोकेट जनरल की राय ले ली जाय । एडवोकेट जनरल की राय के लिये हमने उन्हें लिखा है । वह परसों १३ तारीख को यहां आयेंगे और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे । सदन में मैं चाहता हूं कि चर्चा हो और आपको मौका मिले । आपने भी ऐसा सजेस्ट किया था । यह मेरा प्रश्न नहीं है । आप देखें कि अखबारों में उसके बारे में चर्चा होती है कि टीका वह कर सकते हैं या नहीं । इतना महत्वपूर्ण यह है । एक तरफ तो सदन के प्रिविलेज का सवाल है । दूसरी तरफ आम जनता के प्रिविलेजज का सवाल है । इन सब बातों पर आपको निर्णय लेना है । तो

[श्री अध्यक्ष]

ऐसा निर्णय हमको लेना चाहिये कि जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, उस को भी यह बात न लगे कि उस पर हम बार-बार अत्याचार करते हैं। हम अपनी राय तो देना चाहते हैं लेकिन उनको हम दबाना चाहते हैं, बहुत से लोगों के दिल में यह बात आती है। बहुत से लोगों ने यह बात बाहर भी कही मुझ से कि इस तरह तो आप हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं। आप तो स्वतंत्रता चाहते हैं और आप हमारा मुंह बन्द कर देंगे। तो इन सब बातों पर अच्छी तरह से बहस हो जानी चाहिये। सदन में मैं इजाजत दूंगा कि उस पर चर्चा हो और एक दफा इस पर निर्णय हो जाना चाहिये। कभी-कभी ऐसे निर्णय हो जाते हैं कि व लोगों को अखरते हैं और वे महसूस करते हैं कि उनपर अत्याचार हुआ है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या इसी सत्र में आप बहस कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने फिक्स कर दी है। तारीख १३ और १७ के बीच में ऐडवोकेट जनरल मुझसे बात कर लेंगे और सदन को मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते में मौका दूं उस पर चर्चा शुरू करने की। अब विशेषाधिकार के ज्यादा प्रश्न आयेंगे नहीं ऐसा मेरा खयाल है। इसलिये एक घंटा जो रोजाना विशेषाधिकार के प्रश्नों के लिये रखा गया है, उसमें चर्चा हो जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरा खयाल है कि फालतू वक्त नहीं बचेगा बल्कि समय की कमी है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये दस मिनट हो गये और अभी यह प्रश्न चल रहा है। बजट पर आ ही नहीं पा रहा हूं। इसलिये जब विशेषाधिकार का प्रश्न आ जायगा तो उसमें सब को दिलचस्पी होगी। एक घंटे में विचार कर लेंगे।

विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न। हम लोगों ने इलाहाबाद नगरपालिका के प्रशासक के खिलाफ नियम ५१ और ५२ के अन्तर्गत नोटिस दी थी जिसके लिये आज आपने चर्चा का समय निश्चत किया है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो कार्य-सूची मुझे आज मिली है उसमें न तो मेरा नाम है और न श्री रामगोपाल संड का नाम, केवल सर्वसुख सिंह जी और श्याम सूरत उपाध्यायजी का ही नाम है।

श्री अध्यक्ष—

शाम को मैं जुड़वा दूंगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

यह नाम कैसे छूट गये मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम ५२ की सूचना में है।

श्री नौनिहालसिंह (जिला मुरादाबाद)—

मैंने एक प्रश्न दिया था अमरोहा मिल के काश्तकारों के गन्ने की कीमत अभी तक बकाया पड़ी है उसके बारे में। उसको तो तारांकित कर दिया और ऐसे-ऐसे प्रश्न अल्पसूचित कर देते हैं जिनका कुछ कहना नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आप पुनर्विचार के लिये भेजिये मेरे पास ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (नालियां तथा जलोत्सारण) नियमावली, १९६७†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

मैं मान्यवर की आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १७८५ बी (नि-२५)। ११-ग-१ कार्य (१०)-५७, दिनांक १० जुलाई, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (नालियां तथा जलोत्सारण) नियमावली, १९६७ को, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक १८ दिसम्बर, १९६७ को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६७†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

मैं मान्यवर, की आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०६३-बी (नि-१८) (संशो०-४) ११-ग-१ कार्य (४)-५७, दिनांक ४ अगस्त, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगरमहापालिक सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६७ को, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा ४ के अनुसार दिनांक १८ दिसम्बर, १९६७ को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त विभाग की विज्ञप्तियां††

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की—

(१) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३६०९/दस-९००(२१)—६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ ।

(२) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३६१०/दस—९००(२१)-६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ ।

(३) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३६११/दस—९००(२१)—६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ ।

(४) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३६१२/दस—९००(२१)६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ ।

(५) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३६१३/दस—९०० (२१)-६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ ।

---

†छापी नहीं गई ।

†† छापी नहीं गयीं ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

(६) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३६१५/दस—९००(२१)-६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ ।

(७) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३६५१/दस—९०० (२१)-६९, दिनांक १ जुलाई, १९६९ ।

को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

बलिया जिले के २० गांवों में जमींदारी न समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५१ के अन्तर्गत उठाये ग बलिया नगरपालिका के पूर्वान्चल में स्थित २० ग्रामों में जमींदारी विनाश न होने के प्रश्न पर मैंने दिनांक २६ जुलाई, १९६९ को सदन के सामने एक वक्तव्य दिया था। इसके पश्चात् माननीय सदस्य ने दिनांक २८ जुलाई, १९६९ को प्रश्नों की एक सूची भेजी। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होने पर उसका एक नोट बना कर विधान सभा सचिवालय को माननीय सदस्य के सूचनार्थ भेज दिया गया। किन्तु उस नोट से माननीय सदस्य को संतुष्टि न हुई। उनका यह कथन है कि सम्बन्धित ग्रामों में जमींदारी विनाश, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० के अन्तर्गत होना चाहिये और इनमें नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ नहीं लागू होता।

यह एक कानूनी प्रश्न है। "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १ (२) में यह प्राविधान है कि यह अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, सिवाय उन क्षेत्रों के जो ७ जुलाई, १९४९ को किसी नगरपालिका या नोटीफाइड एरिया इत्यादि में शामिल थे। इसी प्रकार नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २(ख) में यह प्राविधान है कि यह अधिनियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जो ७ जुलाई, १९४९ को किसी नगरपालिका या नोटीफाइड एरिया में शामिल थे। इस अधिनियम की धारा २(१५) में 'नागर क्षेत्र' की भी यही परिभाषा दी हुई है। १७ गांव बलिया म्युनिसिपैलिटी में सन् १९५८ की एक विज्ञप्ति द्वारा बाहर कर दिये गये थे, किन्तु इससे कानूनी स्थित में कोई अन्तर नहीं आता। चूंकि ये ग्राम ७ जुलाई, १९४९ को बलिया म्युनिसिपैलिटी में शामिल थे अतः इनमें जमींदारी विनाश, "नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" के अन्तर्गत होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह जो वक्तव्य दिया गया है इस पर विचार कब होगा।

श्री अध्यक्ष—

जो जवाब दिया गया है उस पर भी आपको कुछ कहना है तो आप मेरे पास लिखित भेज दीजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने तो कल ही वक्तव्य और चर्चा के लिये लिख दिया था।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के समय अब कोई और चर्चा न होगी। अब इसको आप चाहें तो नियम ५२ में भेज दीजिये। मैं उसको देख लूंगा।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में गजेन्द्र गडकर कमीशन की रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों की जांच के निर्देश के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय,

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में व्याप्त अशान्ति तथा आन्दोलन के बारे में जांच करने, उन्हें दूर करने और अनुशासन तथा शान्ति और व्यवस्था में सुधार करने के हेतु सुझाव देने के लिये विजिटर की हैसियत में राष्ट्रपति ने डा० पी० बी० गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी के अन्य सदस्य बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री बी० एस० देसाई, प्रोफेसर एस० के० बोस तथा प्रोफेसर आर० सी० मेहरोत्रा थे। इस कमेटी की नियुक्ति बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत की गई थी जो इस प्रकार है :

> "५(२) किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा कि वे आदेश दें, विश्वविद्यालय, उसकी इमारतों, प्रयोगशालाओं, साज-सज्जा, विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं तथा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन अथवा अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने का विजिटर को अधिकार होगा और विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी अन्य विषय के संबंध में इसी प्रकार से जांच कराने का भी उन्हें अधिकार होगा।"

इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पिछले महीने प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में अन्य विषयों के अतिरिक्त कमेटी ने यूनिवर्सिटी में हुई घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन विशेषतया पुलिस की निम्न अनुसार आलोचना की है :

> दिनांक १५ नवम्बर, १९६७ को भरोचा छात्रावास के कमरा नं० ७२ में चोरी करते हुये मकबूल नामक व्यक्ति को छात्रों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था और जब उसके भागने की कोशिश की तो छात्रों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और चीफ प्राक्टर के पास ले जाते हुये उसे निर्दयतापूर्वक पीटा था जिसके फलस्वरूप उसकी बाद में मृत्यु हो गई। इस घटना के बारे में पुलिस द्वारा जांच के विषय में कमेटी ने यह टीका की है कि पुलिस अधिकारियों ने इस अपराध की जांच के दौरान प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की। कमेटी ने ऐसी जांच में सामने आने वाली कठिनाइयों को महसूस करते हुए भी यह कहा है कि चूंकि अपराध यूनिवर्सिटी के प्रांगण में दिनदहाड़े हुआ था इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि यदि पुलिस न अपराधियों का पता लगाने के लिये यदि कोई प्रभावशाली कार्यवाही की होती तो उन्हें पकड़ना असंभव था।
>
> दिनांक ७ नवम्बर, १९६८ को पी० ए० सी० द्वारा प्रोफेसर एस० के० सरस्वती क पीटे जाने की घटना क संबंध म सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच की आलोचना करते हुये कमेटी ने यह कहा है इस जांच से यह पता चलता है कि उक्त अधिकारी को अपने उत्तरदायित्व का सही ज्ञान नहीं था। यदि दो वरिष्ठ अध्यापकों ने यह शिकायत की थी कि पी० ए० सी० ने उन्हें उनके कमर म ही पीटा था तो यह आश्चर्य की बात है कि सिटी मैजिस्ट्रेट अपराधियों का पता नहीं लगा सक।
>
> दिसम्बर ६ तथा ७, १९६८ को यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी तथा आगजनी की हिंसक घटनाओं के संबंध म कमेटी ने यह कहा है कि बावजूद इसक कि पी० ए० सी० को यूनिवर्सिटी के प्रांगण में इस कारण लाया गया था कि हिंसक घटनाओं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

के होने की आशंका थी फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद पुलिस दिनदहाड़े हुई इन घटनाओं को नहीं रोक सकी। उन दिनों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ भी लगी हुई थी और यह आश्चर्यजनक है कि छात्रों के बड़े-बड़े समूह यूनिवर्सिटी प्रांगण में क्यों इकट्ठे होने दिये। इससे एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों दिनों पुलिस ने उतनी प्रभावशाली और दक्षतापूर्वक कार्यवाही नहीं की जितनी कि उन्हें करनी चाहिये थी।

कमेटी ने दिनांक ८ दिसम्बर, १९६८ को पुलिस द्वारा रामकृष्ण छात्रावास में प्रवेश, छात्रावास के निवासियों को निर्दयतापूर्वक पीटने और उसके पश्चात् उन्हें गिरफ्तार करने की आलोचना करते हुये यह कहा है कि पुलिस का यह आचरण कड़े शब्दों में भर्त्सना करने के योग्य है। उन्होंने यह भी कहा है कि यद्यपि कमेटी के सामने कई अन्य दुखद घटनायें आयीं हैं फिर भी रामकृष्ण छात्रावास में ८ दिसम्बर, १९६८ को जो कुछ हुआ है उससे उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है।

कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकार के लिये यह उचित होगा कि वह यूनिवर्सिटी प्रांगण में दिनांक ६, ७ तथा ८ दिसम्बर, १९६८ को पुलिस अधिकारियों के आचरण के प्रश्न पर विचार करे और दिनांक ६ तथा ७ दिसम्बर को गुंडागर्दी और आगजनी की घटनाओं को रोकने तथा उन पर काबू पाने में उनकी पूर्ण असफलता और दिनांक ८ दिसम्बर, को उनके द्वारा रामकृष्ण छात्रावास के निवासियों पर क्रूर आक्रमण के कारणों का पता लगाये और अगर पुलिस अधिकारी अपने कर्त्तव्य पालन में लापरवाही के लिये दोषी पाये जायें तो उत्तर प्रदेश सरकार यह विचार करे कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जाय। इस संबंध में भारत सरकार ने राज्य सरकार से की गई कार्यवाही के बारे में पूछतांछ की है।

इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट के उक्त उपबन्धों का दायरा सीमित है और विजिटर द्वारा कोई भी जांच साधारणतया यूनिवर्सिटी के आन्तरिक मामलों में ही कराई जा सकती है। इसलिये मेरी राय में जिला के प्रशासकीय अधिकारियों का आचरण या उनके द्वारा शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये कानून के अनुसार की गई कार्यवाही ऐसी किसी भी जांच के अधिकार क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त कमेटी ने अपनी जांच में जिलाधिकारियों का न तो अपने विचार पूरी तरह से प्रकट करने का और न ही उन्हें उनके विरुद्ध लगाये आरोपों के बारे में जिरह आदि करने का अवसर दिया है। कमेटी ने जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को केवल उक्त घटनाओं के संबंध में कुछ बातों में स्पष्टीकरण देने के लिये आमंत्रित किया था। पूरे घटनाक्रम के बारे में जिला प्रशासन को अपना दृष्टिकोण प्रकट करने अथवा जिला प्रशासन के विरुद्ध कमेटी के समक्ष लगाये गये आरोपों के संबंध में उन्हें विस्तृत रूप से अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया गया था।

फिर भी चूंकि उक्त कमेटी ने जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश थे, यूनिवर्सिटी में दिसम्बर ६, ७ और ८ को हुई घटनाओं में जिला प्रशासन और विशेष रूप से पुलिस की आलोचना की है, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वाराणसी डिवीजन के आयुक्त द्वारा उक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये इस मामले में पूरी तरह से जांच कराई जावे कि कौन प्रशासकीय अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी किस-किस हद तक दोषी हैं। आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार क्या आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गजेन्द्र गडकर कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये नियम ४९ के अनुसार आधा घंटा समय दिया जाय क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको प्रश्नोत्तर से सन्तोष न हो तब नियम ४९ में प्रश्न दिया जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, नियम ५२ के अन्तर्गत इस पर चर्चा का अवसर अवश्य दें क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माननीय मुख्य मंत्री ने उनके अधिकारों को ही चुनौती दे दी कि उस कमेटी को अधिकार था जांच करने का। तो इस बारे में विचार हो जाना चाहिये और जो कार्यवाही पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली है, उसके लिये भी हम चाहेंगे कि चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दे दिया। अगर आपको इसके ऊपर चर्चा करानी है तो मेरे पास भेज दें नियम ५२ के अन्तर्गत।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरी मौखिक प्रार्थना को ही स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

मौखिक नहीं होता है, नियम के अनुसार लिख कर देना होता है।

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)--

गजेन्द्र गडकर कमीशन की रिपोर्ट सरकार को कब मिली ?

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त प्रश्न नहीं होता है। अगर इस पर आपको चर्चा करानी है तो लिखित मेरे पास भेज दें, मैं समय दूंगा।

श्री दीपनारायण मणि--

इसकी कापी हम लोगों को नहीं मिली है। इसको साइक्लोस्टाइल करा कर दिलवा देते।

श्री अध्यक्ष--

यह तो स्पशल वक्तव्य दिया गया है। मैंने नियम ५१ के कई प्रश्न नामंजूर कर दिये थे, पर जो महत्वपूर्ण था उसे केवल वक्तव्य हेतु मैंने मंजूर किया था। मैंने समझा कि यह उचित ही है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम कभी वक्तव्य हो जाय। फिर वक्तव्य के द्वारा कोई महत्वपूर्ण बात आयी हो, तो उसके लिये आप नियम ५२ के अन्तर्गत लिख कर भेज दें, उसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

रोज पुलिस यूनिवर्सिटी के अन्दर घुस रही है। इसलिये कम से कम एक घंटे का समय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आप दफा ५२ में भेजते क्यों नहीं है। उसमें दो, ढाई घंटे तक समय मिल सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) --

माननीय मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य पढ़ा है, उसकी एक-एक प्रतिलिपि सब सदस्यों को नहीं तो दलों के नेताओं को मिल जाय, तो जो सवाल उठाते हैं .....

श्री अध्यक्ष--

नेताओं के पास भिजवा दी जायगी ।

श्री दीपनारायण मणि--

साइक्लोसाटाइल करवा कर जो इंटरेस्टेड हैं, उनको दिलवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जितने लोग चाहेंगे, उनको दे देंगे ।

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन, अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन तथा अनुदान संख्या ४६--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१--कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १३,३०,९६,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४५,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,९८,३९,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २९,०४,८९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, कृषि का विषय ऐसा है जिससे इस माननीय सदन के सब माननीय सदस्यों का गहरा सम्बन्ध है और सबको इस विषय में पूर्णरूपेण जानकारी है । इसलिये मैं इस सदन का अधिक समय लेना उचित नहीं समझता । लेकिन फ़िर भी थोड़ी-सी बातों को रखना चाहूंगा जो कि इन्हीं अनुदानों के बारे में होंगी । इस सदन के माननीय सदस्यगण जो भी सुझाव इन अनुदानों के सम्बन्ध में देंगे उन पर पूर्ण रूपेण विचार किया जायगा ।

कृषि उत्पादन में बहुत सी समस्याएं किसान के पास आती हैं। कृषि और इंडस्ट्री के सम्बन्ध में अगर विचार किया जाय तो इंडस्ट्री में एक लोकलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अन्तर्गत कारीगर, या वैज्ञानिक, उसी वातावरण के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों को जुटा कर, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लेकिन कृषि में ऐसी बात नहीं है। कृषि में नाना प्रकार की समस्यायें रास्ते में आती हैं। अगर उन समस्याओं में एक समस्या उसके फ़ल पकने के समय में या फूल लगने के टाईम में आ जाये तो पौधा मुरझा जाता है और उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में एक विहंगम दृष्टि डालते हुए मैं अपने प्रदेश की ओर आना चाहता हूं, इसमें ८७ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर अवलम्बित है। हमारे प्रदेश में प्रति वर्ग मील औसत जनसंख्या ६४९ है, जब कि हमारे देश की औसत जनसंख्या ३७० प्रति वर्ग मील है। इस देश के पूर्वी जिलों की आबादी ८५५ आदमी फ़ी वर्गमील है, पश्चिमी जिलों की ८०८, मध्यवर्ती जिलों की ७४४ और बुन्देलखंड के जिलों की ३०८ तथा पहाड़ी जिलों की १५ है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जब हम पूरे हिन्दुस्तान की औसत जोत पर आते हैं तो हिन्दुस्तान के जो बड़े-बड़े सूबे हैं उनके मुकाबले में जब हम अपनी आबादी को देखते हैं और औसत जोत को देखते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कि हमारी औसत जोत अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कम है। पूरे हिन्दुस्तान की २.६९ हैक्टर है, उत्तर प्रदेश की १.८६ हैक्टर है, पंजाब की (पुनर्गठन से पूर्व) ४.२ है, महाराष्ट्र की ५.२९ की, गुजरात की ४.८५, मैसूर की ३.८९, मध्य प्रदेश की ४.०५ राजस्थान की ५.५८ हैक्टर है। तो इस प्रकार आप देखें तो आबादी इस सूबे की बढ़ती जा रही है साथ ही साथ यहां पर जो औसत जोत है वह कम है। उसी तरह से जब हम जानवरों की तरफ़ आते हैं, तो हम पाते हैं कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में ५६ प्रतिशत जानवर यहां ज्यादा हैं। १९५१–१९६१ में ५६ फ़ीसदी जानवर बढ़े हैं, और प्रदेशों के मुकाबले में अपने प्रदेश में ५६ फ़ीसदी जानवर बढ़े हैं। इनमें १४ प्रतिशत गायें बढ़ी हैं, भेड़ १२ प्रतिशत और बकरी २७ प्रतिशत बढ़ी हैं। इसका (गायों का) हिन्दुस्तान का जो एवरेज है १०.७ है, उत्तर प्रदेश में १४ प्रतिशत है।

हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब औसत जोत हमारे सूबे में कम है, मनुष्य का दबाव ज्यादा है तथा जानवरों का दबाव ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें विचार करना पड़ेगा जो भी उत्पादन के साधन हमारे सामने उपलब्ध हैं उनके द्वारा हमें फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ानी होगी। उसके लिये मैं अपने विचार कतिपय शब्दों में प्रकट करना चाहता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग अपनी राय देंगे ही और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कई तरह के फ़ैक्टर काम करते हैं, इसकी पैदावार में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहता है। आप देखें, १९६०–६१ में १४१.८ लाख मैट्रिक टन कृषि उत्पादन हुआ, जब कि १९६३–६४ में ११७.५ लाख मैट्रिक टन, ६६–६७ में १६७.७१ तथा ६७–६८ में १६६.७३ लाख मैट्रिक टन हुआ। इस तरह से हर साल कहीं घटता है कहीं बढ़ता है, ऐसी परिस्थिति में उसके अनुसार हमको अपने टारगेट फ़िक्स करके, किस तरह से हम अपनी पैदावार बढ़ायें जिससे प्रति एकड़ पैदावार बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं आपकी आज्ञा से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि १९६९–७० के बजट में प्राविधान किया गया है उससे कृषि उत्पादन के लिये साधनों को जुटाना है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

१९६८–६९ में कितना प्राविधान था कृपया यह भी बतला दें।

डाक्टर सीताराम—

आपकी आज्ञा से, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि खरीफ़ की फ़सल में ५७ लाख मैट्रिक टन पैदावार हुई और रबी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं या कम पैदावार हुई है ?

डाक्टर सीताराम—

राजस्व सेक्रेटरी से पूछा है और जिलाधीशों को लिख कर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करने की चेष्टा करेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपके एग्रीकल्चर स्टैटिस्टीशियन ने क्या आंकड़े दिये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

रबी की फ़सल के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये हैं । इस तरह से कृषि उत्पादन के लिये जो प्राविधान रखा गया है वह उन्नत बीज के लिये ३९.४१५ लाख रुपये खाद एवं उर्वरक के लिये ९७.७३५ लाख रुपये, पौध संरक्षण के लिये १०४.०८० लाख रुपये, कृषि यंत्रों के लिये १०.००० लाख रुपये, व्यवसायिक फ़सलों के लिये १४.८७६ लाख रुपये, कृषि शिक्षा के लिये ५१.०९९, कृषि शोध के लिये १३.२६६ लाख रुपये, प्रसार, प्रशिक्षण एवं कृषकों की शिक्षा के लिए ४.६६२ और सघन कृषि कार्यक्रम के लिये ६.०७३ लाख रुपये रखे गये हैं और इस प्रकार सब मिला कर भूमि संरक्षण और कृषि उत्पादन के लिये ६५१.१६९ लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है। १९६९–७० में पिछले साल के टार्गेट्स में १२ लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है जिसके लिये सिंचाई के साधनों का प्राविधान किया जा रहा है । आप देखेंगे कि इस वक्त जितनी सिंचाई प्रदेश में हो रही है उसकी क्षमता ३२.५ प्रतिशत है । १९६९–७० में ८.९४ लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई होगी । इसके अलावा ८.२९४ लाख हक्टयर में और अधिक सिंचाई होगी । इसके लिये निजी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत करीब ७० हजार पक्के कुयें बनेंगे, ७० हजार बोरिंग, ३५ हजार रेंहट, पम्पिंग सेट ३० हजार, निजी नलकूप ३८,५०० और बंधियां ४३,००० एकड़ में लगेंगी । इस तरह से इन टार्गेट्स को पूरा किया जायगा । अभी तक अधिक उपज देने वाली जातियों का जो कार्यक्रम था वह पिछले साल ३६.७ लाख हेक्टेयर था वह अब बढ़ कर ४२.३९ लाख हेक्टेयर हो जायगा । कहने का तात्पर्य यह है कि रबी की फ़सल में इनकी संख्या बढ़ायी जा रही है । साथ ही साथ खरीफ़ की फ़सल हिन्दुस्तान के सब सूबों से आपके सूबे में कम थी । यहां पर अब तक उस उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जो कदम उठाये गये थे वे इनसिगनिफिकेन्ट थे । ऐसी सूरत में उसे अब २८ लाख एकड़ से बढ़ा कर इस साल ४१ लाख एकड़ में खरीफ़ की फ़सल बोई जायेगी और इस साल इस तरह से पिछले साल की अपेक्षा १३ लाख एकड़ में अधिक यह फ़सल उगाई जायगी । इसके लिये खाद उर्वरक भी काफ़ी संख्या में गत वर्ष बांटा गया । बांटने की क्षमता भी करीब ७० फ़ीसदी बढ़ी है । इस साल अमोनियम सल्फ़ेट के दाम १० रुपये प्रति टन घटा दिये गये हैं । इससे काश्तकारों को लाभ होगा ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मंत्री जी कृपा करके एक स्पष्टीकरण कर दें कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अमोनियम सल्फेट पर १० परसेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है । उसके बावजूद आप कैसे दावा करते हैं कि आपको कीमत घटाने से कोई फर्क पड़ा है ?

डाक्टर सीताराम—

मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कह रहा हूं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके लिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन हमने १० रुपये प्रति टन कम कर दिया है । उसके अलावा उर्वरक की क्षमता में विस्तार किया जा रहा है । १९६९–७० में वह क्षमता बढ़ करके १ लाख ८३ टन हो जायगी । इसी तरह से कृषि की रक्षा करने के लिये सक्रिय कदम उठाये जायेंगे । १९६८–

६९ में कृषि की रक्षा के उपाय ११५.२ लाख एकड़ में हुये थे अब ६९-७० में वह १२५ लाख एकड़ में किये जायेंगे।

इसी तरह से कृषि अभियंत्रण में एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा ट्रैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पिछले सालों में इस कारपोरेशन के अध्यक्ष मंत्री गण हुआ करते थे लेकिन इस साल मार्च से जब से मौजूदा सरकार आयी है तब से मिस्टर बी० डी० सान्याल इसके अध्यक्ष नियुक्त हुये हैं और उनकी देख रेख में ट्रैक्टर्स का वितरण होता है और साथ ही उस कारपोरेशन के नाना प्रकार के कार्य सम्पादित व संचालित किये जायेंगे। ये ट्रैक्टर्स लखनऊ डिवीजन में ८४, फैजाबाद डिवीजन में ५०, गोरखपुर डिवीजन में ९२, वाराणसी डिवीजन में ३७, इलाहाबाद में ७९, नैनीताल में ८१, बरेली में २११, झांसी में ८८, मेरठ में ३२२ और आगरा डिवीजन में १३७ वितरित हुये। मा० शिवराजसिंह जी बैठे हुये हैं। उन्होंने यह तय किया था कि जो पहले आवेदन-पत्र देगा उसको पहले मिलेगा। लेकिन अभी कुछ माननीय सदस्यों ने मुझको लिख कर दिया है कि जिस तरह से जीप्स, स्कूटर्स और कार में मेम्बर्स को प्राथमिकता से एलाट होता है उसी तरह से सदस्यों के लिये ट्रैक्टर्स में फैसिलिटी होनी चाहिये। अभी चेयरमैन से मेरी कोई बात नहीं हुई लेकिन मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी से और चेयरमैन से बात करके जो आवश्यक होगा वह कार्यवाही करूंगा। चालू वित्तीय वर्ष में और भी योजनायें चालू की गई हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन उर्वरक का वितरण करेगा। आलू के बीज रखने के लिये भंडार की स्थापना करेगा। २२५ आलू के भंडार कूल स्टोरेज खोलने का एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन काम करेगा। कृषि यंत्र और ट्रैक्टर की मरम्मत के लिये भी वह काम करेगा इसी तरह से जूट के उत्पादन में भी वृद्धि की जायगी। वह १९६७-६८ में १.३२ लाख टन थी जो १९६९-७० में बढ़ कर २.६० लाख टन हो जायगी। कपास के उत्पादन में भी वृद्धि की जायगी। १९६७-६८ में वह १.३२ लाख टन थी जो १९६९-७० में २.६५ लाख टन हो जायगी। इसी तरह से तिलहन १९६७-६८ में १६.०४ लाख टन थी जो १९६९-७० में बढ़ कर १८.८३ लाख टन हो जायगी। इसी तरह से आलू के उत्पादन में भी पिछले साल की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है। पिछले साल १३.१४ लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ था जो इस साल बढ़ कर आलू १७ लाख टन हो गया है। इस आलू बढ़ाने के लिये बहुत से उपाय किये जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय ३२९ बीज भंडार थे जिनकी रखने की क्षमता ५ लाख टन थी। चौथी योजना के अन्दर २२५ आलू के शीत भंडार बनाये जायेंगे। यह कारपोरेशन ही इनको बनायेगा जिनकी क्षमता बहुत बढ़ जायगी। इससे आलू की बढ़ती हुई पैदावार को रख सकेंगे और सरकार यह महसूस करती है कि न कोल्ड स्टोरेज को बना कर दूसरी स्टेट को आलू भेजा जाय और जो बच जाय वह अपनी स्टेट में काम आवे। मार्च से मई तक जब आलू का उत्पादन जारी होता है उस समय हमारे वित्त मन्त्री जी ने केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया और वहां के रेलवे मन्त्री से बात की। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि डा० रामसुभग सिंह की मेहरबानी से १२००० बैगन्स का इन्तजाम हुआ। दो महीनों के अन्दर हमारे प्रदेश के मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर और उन्नाव के इलाके से अन्य प्रदेशों को भेजा गया क्योंकि इन जिलों में आलू की पैदावार अधिक है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

ये १२००० या १२०० ?

डा० सीताराम—

ये बैगन्स १२०० थे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

एयरकंडीशन्ड थे ?

डाक्टर सीताराम—

ये एयर कंडीशन्ड नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से उद्योग को भी बढ़ाया गया। पहाड़ों में इसका एक बोर्ड बनाया गया है। वहां ५४ ब्लाकों में फ्रूट्स डेवलपमेंट का काफी काम हुआ है। पहाड़ी जिलों में ८—९ का हिल बोर्ड बना हुआ है जिसमें डेवलपमेंट का काफी काम इस साल से किया जा रहा है और ५४ ब्लाक्स में यह काम शुरू करने का खयाल है। चौपतिया रिसर्च स्टेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ फी काश्तकार को जो कि फल के उत्पादन में साथ देगा उसको १ हजार रुपया का लोन का भी प्राविधान है जबकि शिमला की गवर्नमेंट केवल ७५० रुपया उस इलाके में देती है।

इसके बाद कृषि अनुसंधान में आप देखें कि जब से यह गवर्नमेंट आयी, १९४६—४७ से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कृषि अनुसंधान में जितना काम तेजी से होना चाहिये उतनी तरक्की नहीं हुई है। इस क्षेत्र में हमारा प्रदेश काफी पीछे रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रदेश की सरकार ने कानपुर के ऐग्रीकल्चरल कालिज को ऐग्रीकल्चर इंस्टीटयूट में परिवर्तित किया है। कालिज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीटयूट में क्या फर्क है? कालिज में तो रिसर्च वर्क नहीं होता, सिर्फ टीचिंग होती है। यूनिवर्सिटी में टीचिंग होती है, लेकिन थोड़ी सी फंडामेंटल रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च नहीं होती। दुनिया के जितने भी देश बयालाजिकल साइंस में आगे बढ़े हुये हैं वहां इंस्टीटयूट के जरिये से अप्लाइड एवं फंडामेंटल रिसर्च साथ ही साथ चलायी जा रही है। कानपुर कालिज को इंस्टीटयूट में परिवर्तित करने के बाद वहां के डायरेक्टर की पे दो हजार से साढ़े बाइस सौ की गयी है जैसा कि वाल्यूम ३ में पेज ४८४ पर दिया गया है जो कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा होगी। प्रोफेसर्स की पे भी किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कोई ज्यादा कम नहीं होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंस्टीटयूट में १० फैकल्टीज और १० डिवीजंस कायम किये गये हैं और इस कालिज का दो साल के बजाय तीन साल का कोर्स किया गया है। आप देखें कि स्वीडन, हालैंड, अमेरिका में इस तरह के इंस्टीटयूट काफी तरक्की किये हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि सेंट्रल इंस्टीटयूट है। प्रदेशों का जहां तक संबंध है, उत्तर प्रदेश पहली स्टेट है जिसने सबसे पहले ऐसा इंस्टीटयूट इस्टैब्लिस करने का कदम उठाया है। मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि पंतनगर, यूनिवर्सिटी जो है वह रिसर्च के काम को पूरा करेगी ऐसे जिलों की जैसे मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और थोड़ा सा बुलन्दशहर भी ले लीजिये जहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटालिजी एक सी है।

लेकिन जैसा कि आपका बुन्देलखंड है, इलाहाबाद डिवीजन है यहां पर स्वायल हार्ड राक पैन है, कैलकेरियल स्वायल है, इस तरह से इन इन डिवीजंस में जहां पर अल्यूवियल स्वायल्स हैं, नाना प्रकार की कंडीशंस हैं वहां पंतनगर में उसकी रिसर्च होती है। जो रिसर्च होती है उसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई अच्छा बीज निकले तो प्रान्त के हर डिस्ट्रिक्ट के लिये वह अच्छा हो। यह एक टेक्निकल प्रश्न है और जितने टेक्नालाजिस्ट्स हैं वह इस मामले में मुझसे ऐग्री करते हैं। तो यह कानपुर का इंस्टीटयूट एक बहुत बड़ी कमी को पूरा करने जा रहा है। इस इंस्टीटयूट की महत्ता को भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है और इसकी स्वीकृति दी है। भारत सरकार की रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ने यह कहा कि कानपुर में ऐग्रीकल्चर इंस्टीटयूट कायम कराया जा सकता है। इस प्रकार से इस इंस्टीटयूट के कायम होने से अनुसंधान की क्षमता बढ़ेगी और हमारे सूबे में जो प्राब्लम है कि जब सूखा पड़ता है तो इस तरह की धान की वेराइटीज नहीं होती जो कि सूखा की हालत में पैदा हो सकें, तो अब पैदा और धान की वे किस्में जो कि सूखा की हालत में पैदा हो सकती हैं उनकी रिसर्च यहां होगी। इसी तरह से जो अल्यूवियल स्वायल में जो पैदा हो सकते हैं या बुन्देलखंड में पैदा हो सकते हैं या बुलन्दशहर इत्यादि से टच करती हुई स्वास्थ्य में पैदा हो सकते हैं, बदायूं वगैरह से लेकर जिनकी एक स्वायल है इसकी रिसर्च की जायगी। ये सब अनुसंधान वहां किये जायेंगे।

साथ ही हम यह कहना चाहते हैं कि इरीगेशन, एजुकेशन और एक्सटेंशन इन तीनों का समन्वय होना जरूरी है। यह इंस्टीटयूट जो है प्रदेश में वह जितने भी रिसर्च इंस्टीटयूट्स

हैं उन सबसे कोआर्डीनेट करेगा और जो भी वैराइटीज निकलेंगी वे तत्काल किसानों तक पहुंचायी जायेंगी। अध्यक्ष महोदय हम आपके द्वारा साफ कह देना चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में काम हुआ लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहन न मिलने की वजह से शिथिलता आ गयी थी। अनुसंधान का काम सिगनोफिकेन्ट नहीं था, नगण्य तो नहीं कह सकता, लेकिन हाईली सिगनीफिकेन्ट नहीं था। लेकिन इसकी उपयोगिता महसूस की गयी और इसलिये गवर्नमेंट इंस्टीटयूट कायम किया गया। दुनिया के और देशों में और दिल्ली में देखें कि एक विषय को लेकर, गेहूं या धान पर कोई काम करता है तो १०० छात्र और प्रोफेसर मिल कर अनुसंधान करते हैं और एक प्रकार का कोआर्डीनेशन होता है। इस तरह से जो पौधा पैदा होगा वह किसानों तक पहुंचाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कह देना चाहता हूं कि अगर वैज्ञानिक को सब सुविधायें दी जायें तो वैज्ञानिक कभी मायूस नहीं होता, वह प्रकृति की चीजों को बदल सकता है और दुनिया वालों ने बदला है। इस स्टेट में कृषि की प्रगति और भी होगी और अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह रिसर्च इंस्टीटयूट कायम हुआ कोई भी चीज कृषि की प्रगित की लिये उठा नहीं रखी जायेगी। जब मेरी बात मुख्य मंत्री जी से हुई तो मैंने साफ कहा कि कृषि का विभाग हमें चाहिये। सत्रह साल रहने के बाद कृषि का विभाग मुख्य मंत्री ने मुझे दिया। जितना काम होना चाहिये था उतना काम इस विभाग में नहीं हुआ। हम माननीय सदस्यों का कोआपरेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी कमियां हों उन्हें बतलायें और अपनी राय दें। कृषि के उत्पादन में बहुत कमियां हैं और जब तक हम आप बैठ कर उनका समाधान नहीं करेंगे, जब तक कृषि के उत्पादन के साधनों में सहयोग नहीं दे सकेंगे, और हम अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंचने का प्रयास नहीं कर सकेंगे। कृषि के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। बीजों में काफी वैराइटीज निकली हैं। गेहूं में सुनेरा है, लरमा है। पैडी में वरूणा, आई० आर० ६८ आई० आर० ४९ हैं। इसी तरह से मेज में गंगा २, गंगा ३ और गंगा ५ है। इसी तरह से बाजरे में भी तरक्की हुई है। लेकिन हमें और भी प्रगति करना है जिसके लिये आपका सहयोग चाहिये।

अध्यक्ष महोदय और भी लोग बोलना चाहते हैं। मैं अधिक समय न लूंगा। मैं केवल पांच सात मिनट का समय और लूंगा क्योंकि और भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि गन्ने के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। पिछले साल १६१ क्विंटल गन्ने की पैदावार हुई थी लेकिन इस साल १७७ क्विंटल पर एकड़ हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि १६ क्विंटल की एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ी है। मार्च से लेकर अब तक तीन डिप्टी केन कमिश्नर बढ़ाए गये ताकि गन्ने की तरक्की हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकारियों पर ठीक से नियन्त्रण हो सके इसके लिये उनकी नियुक्तियां की गई हैं। साथ ही साथ सदन में दोनों ओर से शिकायतें हुई थीं कि जो सड़कें बनाई गईं थीं वह ठीक नहीं थीं और ओवरसियर ठीक से काम नहीं करते थे। ऐसी परिस्थिति में इस साल लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर और लखनऊ डिवीजन में असिस्टेंट इंजीनियर रख दिये गये हैं और केन कमिश्नर के हेडक्वार्टर पर इक्जीक्युटिव इंजीनियर पी० डब्लू० डी० रहेंगे जो यह देखेंगे कि जो सड़कें केन डेवलपमेन्ट यूनियनों को बनानी थीं वह बनी या नहीं। वह सभी चीजें सड़कों के मामले में देखेंगे। थर्ड फाइव इयर प्लान में १०० मील सड़क केन डेवलपमेन्ट यूनियनों द्वारा बनाना था।

पशुपालन में भी श्रीमन्, काफी काम हुआ है। ९९३ वेटरिनरी हास्पिटल्स हैं और इस साल ७ और अस्पताल खोलेंगे और १२५ पशुपाल रखेंगे और ४५ लाख मरीजों की दवा वेटरिनरी डाक्टरों के जरिए से ही हो सकेगी। एक करोड़ से ज्यादा इनआकुलेशन करेंगे। इस तरह से जानवरों की बीमारियों के रोकथाम के लिये व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, अब तक आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन में सब से कठिनाई सीमेन के स्टोरेज की दिक्कत थी इस संबंध

[डाक्टर सीताराम]

में पन्त नगर यूनिवर्सिटी में काम हुआ है। पहले चार दिन के अन्दर यह सीमेन इस्तेमाल हो जाना आवश्यक था लेकिन अब ७,८ और १० दिन तक यह सीमेन इस्तेमाल किये जा सकेंगे और खराब नहीं होगा। अब नये अनुसन्धान के अनुसार सीमेन गांवों में बुक पोस्ट से भेजा जा सकेगा और १० दिन तक ए० आई० सेन्टर्स अपने पास रख सकेंगे और सीमेन जिन्दा रह सकेगा। इसके लिए हमारे यहां के कुछ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ट्रेनिंग करके आये हैं और कुछ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं।

मत्स्य पालन का काम कुछ और ब्लाकों में इस साल किया गया है और यह काम भी तेजी से बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और डिटेल में जाना चाहता था लेकिन जैसा माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी और अन्य सदस्यों ने कहा मैंने अपनी बात संक्षेप में रखी है। कृषि-उत्पादन की समस्या जो है वह विश्व की अन्य समस्याओं के मुकाबले बहुत मुश्किल है। साइंस उनको रेग्युलेट कर सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती है, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो। नाना-प्रकार की किस्में निकलती हैं, लेकिन क्लाइमेट और टेम्परेचर की वजह से उसमें काफी नुकसान होता है। टेम्परेचर और ह्यूमीडिटी का बड़ा असर होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर इस पर अधिक प्रकाश डालना इस वक्त में उचित नहीं समझता क्योंकि उसमें काफी वक्त लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य कांस्ट्रक्टिव सुझाव देंगे। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके सुझाव को मैं यथाशक्ति कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करूंगा।

श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)---

माननीय मन्त्री जी से मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सन् १९६८-६९ के रबी के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, सिर्फ खरीफ के हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९६७-६८ की तुलना में सन् १९६८-६९ के अधिक चावल हुआ या कम? कम हुआ तो कितना और ज्यादा हुआ तो कितना?

डाक्टर सीताराम---

श्रीमन्, इस वक्त यह आंकड़े मेरे सामने नहीं है।

*श्री शिवराज सिंह---

अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव पेश करूं, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने चार बड़े अनुदान प्रस्तुत किये हैं और उन पर तीन दिन तक बहस चलेगी। मेरे लिए आधे घन्टे में..

श्री अध्यक्ष---

तीन दिन नहीं, ढाई दिन।

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि कम से कम मुझे एक घन्टा का समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो ठीक है।

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा जो चार अनुदान इस सदन की स्वीकृति हेतु अभी प्रस्तुत किये गये हैं उनमें से चारों अनुदानों में से प्रत्येक की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धनराशि घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय। मान्यवर, पेश्तर इसके कि मैं विभागीय नीतियों की समालोचना करूं और अपने सुझाव दूं, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि एक बहुत बड़ी भ्रान्ति जो उत्तर प्रदेश में हरी क्रान्ति के सम्बन्ध में है, जिसने हमारे शहरी अखबारनवीसों के दिमागों को, अर्थशास्त्रियों को, हमारे विभागीय अधिकारियों को और हमारे मंत्रिगण के दिमागों को जकड़ रखा है और जिसके कारण हमारी कृषि नीति और वित्तीय नीति दोनों ने गलत दिशा ले ली है, उस भ्रान्ति को दूर करूं। श्रीमन्, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में और उसके बाद के वर्षों में कृषि सेक्टर में आय घटती ही गई है। इस सम्बन्ध में मैं बुलेटिन नं० ११८–राज्य आय अनुमान उत्तर प्रदेश १९६०–६१ से १९६७–६८ –टेबिल नं० २ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसका शीर्षक है औद्योगिक स्रोतानुसार प्रदेशीय आय (१९६०–६१ के स्थायी भावों पर)। इसमें सन् १९६४–६५ से सन १९६७–६८ तक के आंकड़े मैं देना चाहता हूं जो करोड़ रुपयों में है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये आंकड़े १२०३.६०, १११८.५६ १००४.८६ और ११९४.०५ है। इन्हीं वर्षों के लिए उप खंड एग्रीकल्चर में आंकड़े क्रमशः ११७६.५८, १०८४.७९, ९७०.०२, और ११५८.३५ हैं। मान्यवर, यही तथ्य इसी पुस्तिका के टेबिल नं० ४, से जो पृष्ठ ६ पर है, और स्पष्ट हो जाता है। उसके अनुसार कृषि सेक्टर के आंकड़े जो १९६४–६५ से १९६७–६८ तक हैं इस प्रकार हैं:—

		१९६४–६५	१९६५–६६	१९६६–६७	१९६७–६८
एग्रीकल्चर सेक्टर	..	१०९.८	१०२.१	९१.७	१०८.९
कृषि उपखंड	..	१०९.८	१०१.२	९०.५	१०८.१

मान्यवर, इसमें आप देखेंगे कि कृषि में तृतीय पंच वर्षीय योजना के बाद के वर्षों में कितनी अवनति हुई है। उसका माप दंड नापने के लिये उसी बुलेटिन के टेबुल नं० ७, जो पृष्ठ १२ पर है, उससे आंकड़े देना चाहूंगा। इससे पता चलेगा कि हर वर्ष कृषि के क्षेत्र में आय बढ़ी है या घटी है।

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

		१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	१९६५–६६	१९६६–६७
एग्रीकल्चर सेक्टर	..	०.०	–३.७	–३.७	+१८.४	–७.१	–१०.२
कृषि ..	..	०.०	–४.०	–३.७	+१९.०	–७.८	–१०.६
							१९६७–६८
							+१८.८
							–१९.४

इन आंकड़ों से प्रतीत होगा कि एक वर्ष १९६५–६६ को छोड़ कर पिछले ६ वर्षों में कृषि से आय, इस प्रदेश में, बराबर हर वर्ष गिरी है। अब प्रश्न यह है कि इस प्रदेश की आय के स्टेटिस्टिक्स की दृष्टि से जो और उपखंड है, उनकी आय की क्या तस्वीर है। कृषि को छोड़

[श्री शिवराज सिंह]

और चीजों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, । अन्य किसी खंड में किसी भी वर्ष अवनति नहीं हुई है। मैं टेबिल नं० ५, जो पृष्ठ ८ पर दी हुई है, प्रदेशीय आय का प्रतिशत विवरण--उसे आपके सामने रखता हूं:---

	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	१९६७-६८
एग्रीकल्चर सेक्टर ..	५८.५	५६.०	५२.९	५६.७
कृषि	५७.२	५४.३	५१.१	५५.०

मान्यवर, इस टेबिल से यह नतीजा निकलता है कि कृषि में लगे हुये लोगों की आय बराबर घटती है, इसके विपरीत दूसरे व्यवसायों में जो लोग लगे हुये हैं उनकी आय इस प्रदेश में बढ़ी है। इस पर भी उत्तर प्रदेश में ग्रीन रिवोल्यूशन, कृषि क्रान्ति की बात चलाई जाती है। ग्रामीण जनता को संतोष दिलाने के लिये भले ही माननीय कृषि मंत्री जो कुछ कह दें, मगर जो वास्तविकता है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वस्थ कृषि नीति अपनायी जानी चाहिये थी, वह आज तक नहीं अपनायी गयी। ऐसी कोई नीति नहीं अपनायी गयी, जिससे कृषि की सभी समस्याओं का पूर्णतया समाधान हो पाता। मैं श्रीमन्, आशावादी हूं। माननीय कृषि मंत्री न केवल अमरीका पलट हैं, वरन अमरीका शिक्षित भी हैं। मैं तजुर्बे के आधार पर कुछ आंकड़े उपस्थित करूंगा। उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक प्राकृतिक संसाधन की बात है, जहां तक पोटेंशियल की बात है, उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में है, जहां पर हरी क्रान्ति लाई जा सकती है।

मान्यवर, अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिये मैं आंकड़े पेश करूंगा और वे हैं कृषि की विभागीय पुस्तकें। "उत्तर प्रदेश के कृषि आंकड़ों का बुलेटिन, १९६६-६७, सांख्यिकीय डायरी, १९६७, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, १९६८। मैं सर्वप्रथम मेज (मक्का) की बात लेता हूं। मक्के के अन्दर प्रति एकड़ पैदावार के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ देश अमेरिका है। जहां अमेरिका की प्रति एकड़ पैदावार ४,६३० पाउन्ड्स है, वहां इसी दिशा में भारत की प्रति एकड़ पैदावार ९९० पाउन्ड्स है और उत्तर प्रदेश में मक्का की प्रति एकड़ पैदावार ७९३ पाउन्ड्स प्रति एकड़ की है और तकलीफ की बात यह है कि हम बहुत गीत गाते हैं कि रिसर्च का और खास तौर से मेज के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत के स्टेट्स में मुकाबले में ११वां आता है। लेकिन जहां यह होता है वहां यह भी होता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छे कृषि की पैदावार प्रति एकड़ ६ हजार पाउन्ड्स प्रति एकड़ तक आई है जो वहां के पैदावार से ड्योढ़ी है। ठीक इसी प्रकार से धान की बात ली जाय, भानुप्रतापसिंह जी इच्छुक थे इस विषय में। धान के अन्दर प्रति एकड़ पैदावार की दृष्टि से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश जापान है। वहां धान की प्रति एकड़ पैदावार ४९५० पाउन्ड्स है। भारत की १३१० पाउन्ड्स प्रति एकड़ ही है और उत्तर प्रदेश की प्रति एकड़ पैदावार ७३४ पाउन्ड्स प्रति एकड़ की है। और यदि इसमें आप भारत का श्रेणी-अन्तर देखेंगे तो लज्जा से गर्दन झुक जायगी। नागालैन्ड को छोड़ कर, जो सिर्फ अभी स्थापित हुई है स्टेट, सारे राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है और वह पन्द्रहवां स्थान है। जहां यह तस्वीर धान की है वहां जहां तक सम्भावनाओं का प्रश्न है इस प्रदेश में ९७५० पाउन्ड्स प्रति एकड़ पैदावार रही है जो जापान की धान की पैदावार का ठीक दुगुना है। ठीक इसी प्रकार से गेहूं के क्षेत्र में दुनियां का सर्वश्रेष्ठ देश यू० के० है जहां की पैदावार ४०७० पाउन्ड्स प्रति एकड़ है और भारत की प्रति एकड़ पैदावार ९१० पाउन्ड्स है और यू० पी० की उससे कुछ अच्छी ११०० पाउन्ड्स प्रति एकड़ है। लेकिन श्रेणी-अन्तर में यू० पी० का चौथा स्थान आता है और तस्वीर बहुत अच्छी है। जहां तक कि अच्छे काश्तकारों की हाई-यील्डिंग वैरायटी की है और वह है ६४५० पाउन्ड्स प्रति एकड़ यानी यू० के० का 'ड्योढ़ा'। जौ और बाजरे के आंकड़े भी हैं। इनसे मैं यह साबित

करना चाहता हूं कि भले ही हम कुछ हासिल न कर पायें हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर सम्भावना हरी क्रान्ति लाने की बहुत ज्यादा है और आवश्यकता है एक अच्छी कृषि नीति को स्थापित करने की।

मान्यवर, मैं सुझाव दूंगा कि हम एक कृषि नीति को धारण करें। जो हमारी आवश्यताओं पर आधारित हो और जितना पोटेन्श्यल हमारे प्रदेश के अन्दर है, उसको उपलब्ध करने के लिये सारे प्रयास होने चाहियें और साथ-साथ उसके लक्ष्य यह हों कि जो साधन कृषि के लिये उपलब्ध हों उनसे ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। चाहे अधिक पैदावार की बात हम करें, प्रोडक्शन की बात करें। वहां प्रोडक्टिविटी का कान्सेप्ट भी देखना चाहिये और थोड़ा-थोड़ा श्रीमन्, किसानों के साथ न्याय भी होना चाहिये। ये चार आधार शिलायें हमारी कृषि नीति की होनी चाहियें। मान्यवर, सरकार यह चाहती है कि कृषि की पैदावार बढ़े और साथ-साथ यह भी चाहती है कि कृषि उत्पादन के दाम न बढ़ें ताकि शहरी नागरिकों के लिये और कमजोर तबके के लोगों के लिए तकलीफ न पैदा हो जाय। इन दोनों बातों के लिये आवश्यक है कि कृषि में उपयोग किये जाने वाले साधन, बिजली, पानी, खाद, ऋण आदि के साधन यदि ठीक मिलेंगे तो मूल्य भी नहीं बढ़ेगा। कृषि में प्रयोग में आने वाली चीजों के दाम न बढ़ें, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। एक बिजली ही की बात आप ले लें, केवल बिजली की ही तरफ मैं सदन की तवज्जह दिलाऊंगा। जो बिजली यहां इस्तेमाल हुई है वह अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में ही हुई है। मेरे पास यह एक टेबिल है जिसमें दिया हुआ है कि सन् १९६२–६३ से सन् १९६७–६८ तक कितनी-कितनी बिजली प्रतिमास कृषि क्षेत्र में और उद्योगों में खर्च हुई है। इसको देखने से यह नतीजा निकलता है कि सन् १९६२–६३ में कृषि और उद्योग में प्रयुक्त बिजली का अनुपात १:४ का था, १६,७७८ के० वी० कृषि में और ६३,२३० किलोवाट इंडस्ट्रीज का हो गया, वही सन् १९६६–६७ में कृषि में ३१,६८८ हो गया दुगुने से जो कुछ कम था, लेकिन उद्योग में वही १६६ हजार ८१२ यानी तिगुना हो गया। इसी तरह से रेट्स के बारे में आप देखें। कैनाडा में उद्योग के लिये ढाई पैसा प्रति यूनिट बिजली मिलती है, हिन्दुस्तान एल्यूनियम कारपोरेशन को ६ पैसा प्रति यूनिट से कम पर मिली लेकिन दुख की बात है कि हमारे यहां नलकूप व पम्पिंग सेट्स को १५ पैसे और १७ पैसे प्रति यूनिट पर बिजली मिलती है। यह भाव बिजली के हमारे प्रदेश में उत्तरोत्तर बढ़ते ही रहे हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि कृषि उपयोग में आनेवाली बिजली के दाम इस प्रदेश में सरकार ने बराबर बढ़ाये हैं।

यही हाल खाद का भी है, उसके दाम भी प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़े हैं और मैं तो समझ नहीं पाता कि कौन सी दलील है, कौन सा सिद्धान्त है, कौन सा न्याय है, क्या नीति है जिसके कारण बराबर दाम खादों के बढ़ते ही जाते हैं। इस का भी विवरण मैं आप की जानकारी के लिए यहां रखना चाहता हूं। नाइट्रोजन खादों में यूरिया के दाम जो १–४–१९६८ को ७८० रुपया प्रति टन थे वह १–३–१९६९ को ८४० रुपया हो गये और लेवी के बाद उसकी कीमत ९४३ रुपया प्रति टन हो गई। इसी तरह से अमोनिया खाद के दाम भी जो १–४–१९६८ को ३३० रुपया थे वह १–३–१९६९ को ४९५ रुपया प्रति टन हो गये और लेवी के बाद उस की कीमत ५५० रुपया प्रति टन हो गई। यदि मन्त्री जी ने १० पैसा प्रतिटन घटा भी दिये तो वह ५४० रुपया फिर भी रहते हैं जो ३३० रुपये के मुकाबले में ड्योढ़े से भी ज्यादा होते हैं। इसी तरह से पोटास वाली खाद के दाम भी ४४० रुपये प्रति टन से बढ़ कर ५२३ रुपये हो गये। इसी तरह से जो मिक्स्चर वाली खाद है उस के दाम भी ७०० रुपये से बढ़कर ७३५ रुपया प्रति टन हो गये।

इसी तरह से उद्योगों के लिये प्रदेश में २ प्रतिशत पर ऋण मिलता था, बैंक्स के नेशनेलाइजशन के बाद ज्यादा की आशा है। अब भी उद्योगों को ३ प्रतिशत पर ऋण मिलता है.

[श्री शिवराज सिंह]

लेकिन कृषि कार्यों के लिये सभी स्रोतों से ९, साढ़े ९ प्रतिशत से कम पर नहीं मिलता। इस सब का नतीजा यह होता है कि हमारे प्रदेश में जिस मात्रा में कृषि के साधन चाहिये वह उपलब्ध नहीं होते और चीजों के दाम बराबर बढ़ते जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह पहले अपनी इस कृषि नीति की स्पष्ट घोषणा करें कि कृषि के उपयोग में आने वाली सभी सामग्री के मूल्य घटाकर सन् १९६०-६१ के स्तर पर लाये जायेंगे और कम से कम ५ साल के लिये यह आश्वासन हो जाय कि दाम नहीं बढ़ेंगे ताकि कृषक वर्ग कृषि कार्यों के व्यय के बारे में निश्चित हो जाय कि इतना खर्च होगा। उस के बाद हमारे कृषकों को और प्लानर्स को केवल एक चिन्ता उत्पादन की दाम-नीति की ही रह जायगी। दाम दीति का निर्धारण कृषि उत्पादन के लिये बहुत ही आवश्यक है। मुझे खेद है कि दामनीति के सम्बन्ध में न तो केन्द्रीय सरकार ने और न प्रादेशिक सरकार ने कोई नीति बनाई है। कृषि व्यय और कृषि उत्पादन के ठीक दाम यही दो फैक्टर हैं जिनका प्रभाव कृषि और कृषक की उन्नति पर पड़ता है। हमारे कृषि मंत्री जी जानते होंगे कि अमरीका जैसे राज्य में जहां किसान बहुत शिक्षित होते हैं, उनके बड़े-बड़े खेत होते हैं, और बड़े मालदार होते हैं, वहां भी दाम संचालन के लिए सरकार की ओर से प्रीमियम देकर पैदावार को कन्ट्रोल करता है। वे प्रीमियम देकर बाजार में कृषि उत्पादन को कन्ट्रोल करता है। वे यह भी कहते हैं जो किसान २ साल तक अपना गल्ला अपने स्टोर में रखेगा हम उसको स्टोरेज चार्ज भी देंगे। आस्ट्रेलिया की भी बात मैं बताऊं। वह हमारे उत्तर प्रदेश से बड़ा ही है। वहां पर सारा उत्पादन वहां के बोर्ड्स खरीद लेते हैं और वे भावों का नियंत्रण करते हैं। अपने हालात में जो भी हमारे कृषि मंत्री जी मुनासिब समझें, करें। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर उन्हें कोई उपाय न सूझे तो वे इस सदन के माननीय सदस्यों की एक "मूल्य निर्धारण समिति" के रूप में एक समिति का गठन कर दें जो उन्हें सलाह देगी कि इस प्रदेश की क्या दाम नीति होना चाहिए।

श्रीमन्, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस प्रदेश में एक वर्ष आलू बहुत पैदा हुआ। पैदा होने के बाद उपभोक्ताओं को कुछ सुविधा मिली हो या नहीं लेकिन किसानों को कोई सुविधायें नहीं मिलीं। किसानों को बहुत घाटा हुआ और न हमारे माननीय मन्त्री और न हमारी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया। श्रीमन्, मुझे तकलीफ हुयी क्योंकि मैं आलू के सम्बन्ध में काफी जानकारी रखता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि १२ सौ वैगन आलू बाहर गया, लेकिन मुझे इसमें बहुत शुबहा है क्योंकि गर्मी के मौसम में न जा सकता है और न भेजा जा सकता है। अब यहां पर अगर माननीय गेंदा सिंह जी होते तो मैं उन्हें बताता कि उनके जमाने में जब आलू की बहुत पैदावार हुयी तो उन्होंने इसकी बिक्री के सम्बन्ध में एक निश्चित कदम उठाया था। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसा कदम न उठायें, जिससे कृषक वर्ग के ऊपर बोझ पड़े और बजाय उसका फायदा होने के उसका नुकसान हो और अगले वर्ष वे हतोत्साह होकर उसकी पैदावार ही छोड़ दें।

इसके बाद मैं प्रदेश में सरकारी स्कीमों के फार्मुलेशन और उनके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सरकार की कोई नीति ही नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार की एक निश्चित नीति होनी चाहिय। हालत यह है कि हमारी स्कीमें चाहे वे खोज की हों, चाहे वे एक्सटेन्शन हों और चाहे किसी फसल विशेष की पैदावार हो उसके सम्बन्ध में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे केन्द्रीय सरकार से कोई गिफ्ट के रूप में लाते हैं। जैसे कोई स्त्री किसी जौहरी की दूकान पर जाय और वहां से आभूषण चुनकर अपनी मर्जी के न ले पाये। इसी तरह से यहां के विशेषज्ञ दिल्ली जाते हैं और जो स्कीमें उन्हें वहां मिलती हैं वहां से ले आते हैं और उन्हें यहां पर चलाते हैं। वे स्कीमें हमारे प्रदेश की जो जरूरत होती हैं, उनको पूरा नहीं करती हैं। इन स्कीमों से प्रदेश की आवश्यकता का कोई विशेष सामन्जस्य नहीं होता है। मान्यवर, इन स्कीमों से हमारे प्रदेश में मल्टीप्लीकेशन भी हो जाता है। मिसाल के लिये मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष जू के अन्दर ५ स्कीमें हैं और विभिन्न स्कीमों के शीर्षक हैं शीर्षक नं० १७, २२, २३, ३४ और ४०। ये

सारी स्कीमें कोआर्डिनेट करके एक स्कीम के तहत चलाई जा सकती हैं जिसके फ़लस्वरूप बचत होगी, अच्छा सुपरवीजन होगा, अच्छा काम होगा और परिणाम अच्छे निकलेंगे। और भी स्कीमें हैं रेवीन रिक्लेमेशन और मुख्तलिफ शीर्षकों के अन्तर्गत रेवीन रिक्लेमेशन और बहुत सी अन्य स्कीमें चला दी गयी हैं। केन्द्र में इन स्कीमों में जो स्कीम पसन्द आ गई, उसको ले आ कर शुरू कर दिया। लेकिन केन्द्र की स्कीमों को इस प्रकार लाने से एक नुक्सान होता है। बाज वफा केन्द्र से क्लीयरेंस नहीं आता और नतीजा यह है कि बहुत सी स्कीमों में अभी तक फायनल क्लीयरेंस नहीं आया है। नतीजा यह है कि यह सदन पास भी कर दे तो उनको तब भी उनके स्वरूप में माडिफ़िकेशन हो सकता है। मैं कृषि मंत्री से उम्मीद करता था कि भले ही यह बजट पास होने को है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में कार्य रुकता नहीं है। इसका सम्बन्ध मौसम से है। इस बीच आधी से ज्यादा स्कीमें साल खत्म होने के पूर्व पूरी हो चुकी होंगी या होने को होंगी। मैं उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री इसका तजकिरा करेंगे कि कौन-कौन सी स्कीमें ऐसी हैं जिन पर इतना काम हो चुका है। इससे समझने में सुविधा रहती। बहुत सी स्कीमें ऐसी भी हो सकती हैं जो या तो नहीं चल पाई हों या जो पूरी न हो पाई हों उनके सम्बन्ध में स्पष्टरूप से मैं उम्मीद करता हूं कि वे बाद में बतलायेंगे। यह भी वह बतलायेंगे कि किन स्कीमों पर कार्य नहीं हो सका और जिनको वह छोड़ देना चाहेंगे?

मेरा निश्चित मत यह भी है कि कृषि के कार्यक्रम में और स्कीमों को चलाने में हमको पैकेज प्रोग्राम चलाना चाहिये। कृषि का कार्य ऐसा है जिसकी मिसाल एक जंजीर से दी जा सकती है। जिसकी ताकत सब से कमजोर कड़ी से हो सकती है। विभिन्न कृषि की स्कीमें आप ने विभिन्न अंगों में चलाई और सामग्रियों के सम्बन्ध में किसान साधन नहीं जुटा पाये तो आप की सामग्रियां बेकार जायंगी। इसीलिये मेरा अनुरोध यह है कि इस प्रदेश के अन्दर आप जो स्कीमें निर्धारित करें तो पैकेज प्रोग्राम की नीति अपनायें और हर जिले में एक छोटा सा एग्रिकल्चरल रिसर्च सेंटर कायम करें जिससे किसान को अच्छा बीज, अच्छी सलाह और अच्छी खाद मिल सके। वहां भूमि के नमूनों का विश्लेषण भी हो और सारी विधियां पैकेज प्रोग्राम की वहां से मिल जायं।

कृषि नीति के अन्दर एक विशेष स्थान होना चाहिये स्वायल कंजरवेशन का और उसके महत्व के सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से कुछ बातें निवेदन करूंगा। यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है कृषि नीति का और इसके सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से दो, एक कोटेशन पढ़ना चाहता हूं। अपोलो ८ के अंतरिक्ष यात्री ने यह बयान दिया,

"I feel that we should join to preserve this beautiful planet of ours."

सारे अंतरिक्ष के अन्दर पृथ्वी के अलावा कोई और ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसके ऊपर जमीन हो जहां मनुष्य जा कर बस सके। इसलिये आने वाली संतानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये यह नितान्त आवश्यक है जो हमको विरासत में मिली है, उसकी हम रक्षा करें। प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने कहा था :—

"History of every nation is factually written in the way it takes care of its soil."

रैवाइन्स के रेक्लेमेशन के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश के कृषि प्लानर्स इस कार्य के वृहत् आकार को देख कर कुछ डरते से रहे जिसके फ़लस्वरूप इस प्रदेश में रेवाइन्स बढ़ती रही है। मेरा सुझाव है कि भले ही हम रेवेन्यू फ़ारेस्ट्स को प्लान्ड फारेस्ट्स में परिवर्तित न करें। सरकार ने यह काम अपने हाथ में लिया है। भले ही वह कार्य हम न करें लेकिन हमको, इन रेवाइन्स के ऊपर प्लान्टेशन जरूरत के लिहाज से शुरू कर देना चाहिये। मैं देखता हूं कि इस

[श्री शिवराज सिंह]

सम्बन्ध में जिस जोश व खरोश के साथ फिफ्टीज में या १९६१, १९६२ में काम शरू हुआ था अब न वह जोश ही रह गया है बल्कि पुराना कार्य भी समाप्त हो गया है। हमारे उन्नत क्षेत्रों में भी जहां यह समस्या नहीं है स्वायल कंजर्वेशन का कार्य उसी तेजी से होना चाहिये और कृषि अधिकारियों को आदेश होना चाहिये कि वे बरसात के मौसम में विशेषतया स्वायल कंजवशन का काम करें।

हाईब्रिड सीड के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बताया कि इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कानपुर में स्थापित किया है। वहीं के डायरेक्टर श्री आर० एन० अग्रवाल ने जो अभी स्वायल प्रिजर्वेशन का सेमिनार हुआ था उसमें यह फरमाया कि उन्हें चिन्ता है कि हाईब्रिड फसलों के इस्तेमाल से जमीन से तत्व बहुत तेजी से खिचते हैं जिससे कहीं हमारी पृथ्वी खराब न हो जाय। एक तरफ तो हम हाईब्रिड का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिकों का यह ख्याल है। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस कंट्रोवर्सी को वह शीघ्र दूर करें और जो निश्चित राय हो उसको कार्यान्वित करें।

फर्टिलाइजर्स की कीमतों के सम्बन्ध में मैंने अभी अर्ज कर दिया। अब उसकी उपलब्धि और प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा। उर्वरकों के अधिक प्रयोग क लिय सरकार एक खास सहारा लिये हुये है। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग इस प्रदेश के अन्दर बगैर भूमि विश्लेषण के किया जा रहा है। यह हमारे यहां भी पैदा होता है और बाहर से भी आता है। कुछ बाहर से आते हैं, उनके लिये फ़ारेन एक्सेन्ज की आवश्यकता होती है। उन पर भी खर्चा होता है। कोई भी होशियार से होशियार किसान जब तक उसको सही भूमि का विश्लषण मालूम न हो, सही मात्रा में, किसी खास फसल के लिये ठीक मात्रा में खाद नहीं डाल सकता। उस दृष्टि दे मेरा चार्ज है कि हमारे प्रदेश में बहुत सा फर्टीलाइजर का इस्तेमाल बेकार ही होता है। इस ओर भी हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिये, किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त कम्पोस्ट की ओर भी बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा बहुत से गोबर गैस प्लान्ट खरीदे गये। आडिट रिपोर्ट को पढ़ने से ज्ञात हुआ है कि बहुत से तो स्थापित ही नहीं हुए, बहुतों ने काम नहीं किया। उनके महत्व के सम्बन्ध में तो कोई दो राय नहीं है। गोबर गैस प्लान्ट की योजना, प्रचार और स्थापना को क्यों अधिक महत्व नहीं दिया गया। जब कि इसमें गोबर से चूल्हा जलाने के लिये गैस देने, प्रकाश के लिये गैस देने, की इसमें क्षमता है और उसके बाद भी जो इससे खाद मिलता है, उसमें नाइट्रोजन की तादाद बढ़ जाती है। इस प्रकार से यह देखा जाता है कि कम्पोस्ट खाद की ओर सरकार का विशेष एम्फ़ेसिस नहीं है।

गांवों की लैट्रीन—

जापान में श्री चम्मन लाल, हाई कमिश्नर ने वहां के लोगों से मल मूत्र के बारे में जब पूछा तो उन्होंने उनको बताया कि यह तो हमारी सब से अधिक कीमती चीज है। इसका बरबाद हो जाना हम किसी प्रकार से एफोर्ड नहीं कर सकते। यह वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। हमारे उत्तर प्रदेश में ८ करोड़ से अधिक आदमी बसते हैं और १० कि० ग्रा० मल मूत्र एक एकड़ को खाद दे सकता है। अगर उसको प्रीजर्व किया जा सके तो कितना भारी लाभ भूमि को हो सकता है। इस संबंध में हमारे देश में पी० आर० आई० ने लैट्रीन को ईजाद किया है। अगर उनको गांवों में लगवा दिया जाय तो नाइट्रोजन का विशेष स्रोत हमें मिल सकता है।

फार्म फ़ारेस्ट्री की ओर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि इस सब्जेक्ट को एक विभाग से दूसरे विभाग में फुटबाल की तरह से फेंका जाता रहा है। सुचारु रूप से फार्म फोरेस्ट हमारे प्रदेश में जीरो ही है। गांवों के अन्दर जो पड़ती जमीन है, जो बंजर जमीन है, उनमें जल्दी उगने वाले पेड़ों को लगाया जा सकता है और उसके द्वारा गांवों की उन्नति की जा सकती है।

इसी प्रकार से अच्छे चूल्हे की भी हमें जरूरत है। उसमें ईंधन कम लगता है। देखने में तो यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। मंत्री जी तो कृषि के डाक्टर हैं वे जानते हैं कि खेती में मेजर चीजों की जितनी दरकार होती है इसी प्रकार से माइनर ऐलीमेंट्स की भी आवश्यकता होती है। जहां एक ओर मेजर एलीमेंट्स की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, वहां माइनर ऐलीमेंट्स को हम आहिस्ता-आहिस्ता भूमि में से खोते जा रहे हैं। भूमि का इस्तेमाल कर के माइनर ऐलीमेंट्स को हम उससे निकाल रहे हैं उतना हमारा प्रयत्न उनको पूरा करने के लिये नहीं है। उसका परिणाम भविष्य में भयानक हो सकता है। इस दृष्टि से कम्पोस्ट खाद माइनर और मेजर एलीमेंट्स का मजमा है। उसकी ओर हमारा विशेष ध्यान जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, श्रीमन्, मैं फ़र्टिलाइजर्स के वितरण के सम्बन्ध में कहूंगा। देश में जो फर्टिलाइजर्स दिये जाते हैं, उनकी नीति बदलती रही है उससे मैं सहमत नहीं हूं। वर्तमान नीति इस सम्बन्ध में यह है कि जो फर्टिलाइजर्स बाहर से हमारे देश को मिलते हैं वे सेंट्रल पूल में जा कर जमा होते हैं और फिर वे केन्द्रीय विभाग से या एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा बांटे जायंगे। लेकिन जो दूसरे फ़र्टिलाइजर्स हैं वे सब के सब व्यापारियों को दे दिये जायेंगे। अब तक सारे फ़र्टिलाइजर्स केवल क्वासी गवर्नमेन्ट बाडीज के द्वारा बांटे जाते थे। लेकिन अब जो यह पालिसी में परिवर्तन किया गया है, उसमें मुझे आशंका है कि इससे फर्टिलाइजर्स में एडल्ट्रेशन होगा जिससे खेतों की जितनी पैदावार बढ़नी चाहिये थी उतनी नहीं बढ़ेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी इस नीति में परिवर्तन करने की कृपा करें।

इनसेक्टीसाइड्स तथा प्लांट प्रोटेक्शन के संबंध में मुझे खुशी है कि इसके विभाग को मजबूत किया गया है। यह कृषि के लिये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जितनी सेवा प्लांट प्रोटेक्शन की हमारे प्रदेश में उपलब्ध है वह जरूरत के लिहाज से बहुत ही कम है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है जो इस कमी को पूरा कर दे। इसलिये इसका सारा बोझा हमारी प्रदेशीय सरकार को ही ओढ़ना है। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि इसका काफी बिजनेस अपने यहां आप-अप कर गया है। केन्द्र ने अपने यहां इनसेक्टीसाइड्स ऐक्ट पारित कर दिया है। लेकिन वह हमारे यहां लागू नहीं हुआ है। इससे हमारे यहां जो इनसेक्टीसाइटस बिक रहे हैं उन पर श्रमिक, किसी प्रकार का हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। इससे हमारे यहां के किसानों के साथ धोखा हो रहा है। इसलिये मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह इनसेक्टीसाइट्स ऐक्ट जो केन्द्र में पारित हो गया है उसको अपने यहां कार्यान्वित करने की कृपा करें।

अन्त में मैं श्रीमन्, कृषि क्षेत्र के संबंध में निवेदन करूंगा कि हमारे यहां खेती में बीज का विशेष महत्व है। इसके लिये हमारे यहां प्रदेश की सरकार की नीति पिछली तीन पंचवर्षीय योजना काल में बदलती रही है। तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में एक बड़ी विस्तृत और बृहत् बीज नीति अपने यहां बनाई गई थी, जो हमारी सीड स्कीम के नाम से मशहूर है। मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूं। लेकिन निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि इसकी उपलब्धि आवश्यकता के अनुपात में बहुत ही कम है। मुझे ऐसा लगता है कि वह स्कीम कार्यान्वित नहीं हो सकी।

डाक्टर सीताराम—

कृपया सन् बता दें।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, १९६६ के बाद से तो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बनी ही नहीं और न कोई रिपोर्ट ही आई है। लेकिन मेरी जानकारी ऐसी है कि स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से विभाग ने इस स्कीम को बन्द कर दिया। अब सरकार की नीति यह है कि बीज सरकारी फ़ार्म्स पर ही पैदा

[श्री शिवराज सिंह]

किये जायं। मैं इसके लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई दूंगा। अगर अपने फ़ार्म्स पर आवश्यकता के लिहाज से बीज पैदा न कर पायें तो मैं उन को सुझाव दूंगा कि इस प्रदेश का जो प्रगतिशील कृषक वर्ग है, उसका सहयोग लेना चाहिये।

मान्यवर, कृषि मंत्री जी ने एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का जिक्र किया। इस कारपोरेशन को केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के सहयोग से इस नीति से कि इससे कृषक वर्ग को जो साधन कृषि उत्पादन के वास्ते उपलब्ध न हों और वह महसूस करते हों कि यदि वे साधन प्राप्त हो जायं तो कृषि की पैदावार बढ़ सकती है तो उसकी इस मजबूरी को समाप्त करने के लिये इसकी स्थापना की गई थी। श्रीमन्, जाहिर है कि यह मजबूरी कमजोर वर्ग के किसान के लिये होगी। वह किसान जिसके पास छोटी जोत है, जो गरीब हैं, उनके पास वे सब साधन नहीं हैं कि वे अपने खेतों में इतनी पैदावार ला सकें, उनको पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन सम्बन्धी साधन व सामग्री उपलब्ध हों, उनकी सेवा के लिये यह एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बनाया गया था। और यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो मैंने रेडियो से यह प्रसारण सुना कि दिल्ली से केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह घोषणा की है कि एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को छोटे वर्ग के किसानों की सेवा करनी चाहिये। परन्तु मुझे खेद है कि हमारे प्रदेश में इसकी तरफ़ से जो कुछ हो रहा है वह कार्मशियल बेसिस पर हो रहा है। उस संस्था ने पूर्णतया कार्मशियल स्वरूप धारण कर लिया है और सेवा की भावना उसके विभाग से निकल कर बाहर चली गयी है। आपको मालूम है कि यदि किसी कार्य में लाभ होता है तो सबसे पहले सब की दृष्टि लाभ पर हो जाती है, इस तरह से वहां पर आपने लाभ की मात्रा बढ़ा ली है और किसानों की सेवा का कोई ख्याल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊंगा कि जो टिलर पहले हजार रुपये में देते थे, उसका दाम अब १,२०० रुपये कर दिया गया है और भी तमाम चीजों के दाम बढ़ा दिये गये हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रवृत्ति जो मुनाफा कमाने की है, इसके बजाय सेवा करने की प्रवृत्ति इस एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के अन्दर लाने की कृपा करें।

मुझे यह जान कर बड़ी तकलीफ़ हुई कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में किसानों के प्रति एक अनादर की भावना है। जब भी कोई कृषक इस कारपोरेशन के अन्दर आता है तो न उसके बैठने के लिये कोई स्थान है, न पानी पीने के लिये कोई स्थान है। गर्मी के सख्त महीनों के अन्दर जब कि सारे अधिकारी कूलर वाले कमरों में बैठते हैं और कृषक वर्ग के लिये बैठने व पीने के पानी का भी प्रबन्ध न हो, यह बड़े ही खेद की बात है। सरकार ने यह सोच कर कि एक आई० सी० एस० आफ़िसर कारपोरेशन का काम अच्छी तरह से करेगा, उसे यहां रखा लेकिन मुझे मालूम हुआ कि वे आफ़िसर बजाय यहां बैठने के रेसकोर्स क्लब के बंगले में बैठते हैं। जहां कारपोरेशन का दफ्तर था, उस बिल्डिंग में बैठने में उन को शर्म आयी क्योंकि एक आई० सी० एस० आफ़िसर पुरानी बिल्डिंग के छोटे कमरे में किस प्रकार से बैठ सकता है? चुनांचे मैं आपकी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि वे आफ़िसर साहब रेसकोर्स क्लब के बंगले के अन्दर ही अपना दफ्तर बनाये हुए हैं। उनके पास कोई टेलीफोन भी नहीं है। उनसे टेलीफोन से भी कोई बात नहीं कर सकता, वहां पहुंचने की तो कोई बात ही नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी अफ़िसर हैं, चाहे वे अध्यक्ष हों, चाहे सचिव हों, बिज़नेस ऐडमिनिस्ट्रेशन का यह सीधा सिद्धान्त है कि अच्छे सुपरवीजन के लिये विभाग के अध्यक्ष को, अपने कार्यालय के अन्दर अवश्य ही बैठना चाहिये और आना चाहिये। मान्यवर, इस कारपोरेशन में यह भी हम ने निर्धारित किया था कि कृषकों को जो ट्रैक्टर या मशीनें दी जायेंगी, उसके इस्तेमाल के सम्बन्ध में उनको ट्रेनिंग दी जायेगी। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज किया कि इस कारपोरेशन की पूरी नीति बिज़नेस के अन्दर प्रवेश कर गयी है। आज तक कोई ट्रेनिंग कृषक वर्ग की किसी टोली को टैक्टरों के इस्तेमाल के सम्बन्ध में इस वर्ष में नहीं दी गयी है। नतीजा यह है कि जो ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश के अन्दर आ रहा है, उनका दुरुपयोग किसान लोग कर रहे हैं। तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग के लिये कोई भी मुनासिब प्रबन्ध करना होगा।

कारपोरेशन को चाहिये कि वह विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर्स का अपने यहां आयात करे। यह मुनासिब नहीं लगता है कि कई तरह के ट्रैक्टर्स विभिन्न हार्स पावर के, बिना जमीन का लिहाज किये हुए आयात होता रहे। आप जर्मन ट्रैक्टर ला रहे हैं, डी०एम० १४ ट्रैक्टर भी ला रहे हैं, इस तरह से तरह तरह के ट्रैक्टर्स इस प्रदेश में ला रहे हैं। नियोजन की दृष्टि से बहुत गलत है। उनके स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल न हो, इस्तेमाल का न हो, बहुत मुश्किल हो जाता है, कई गुना मुश्किल बढ़ जाती है जबकि विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर इस प्रदेश में आएं। कारपोरेशन को आप यह भी सुझाव दें कि मशीनरी काफी मात्रा में मंगाये लेकिन कम किस्म की हो और छोटे किसानों के लिये जरूर मशीन मंगवाएं। आपके ट्रैक्टर्स बड़ी हार्स पावर के रहते हैं। छोटी हार्स पावर के ट्रैक्टर्स आप किसी भी देश से मंगवाएं। इसके अतिरिक्त देहात में अधिकांश कृषक वर्ग बैलों का इस्तेमाल करता है, उस वर्ग की बड़ी सेवा होगी यदि बैलों से चलने वाले यंत्रों को कारपोरेशन के माध्यम से वितरण करें। दूसरे यदि आप लकड़ी की पहियों के स्थान पर रबड़ के पहिये मंगवा कर कारपोरेशन के माध्यम से बटवाएं तो बहुत अच्छा हो। गांव के किसान रबड़ के पहियों को बहुत पसन्द करते हैं। इससे उनके बैलों की उठाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन रबड़ के पहियों की बिक्री प्राइवेट बिजिनेस के हाथ में है और उनके दाम ब्लैक मार्केट में कई सौ रुपये फी जोड़ी ज्यादा है। तो बड़ी सेवा होगी यदि केन्द्र से रबड़ के पहिये कारपोरेशन लेकर किसानों को दें।

मान्यवर, गन्ने की प्रगति के सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री ने कुछ प्रशंसा की। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि गन्ने का विभाग—मैं कोई निरादर नहीं करता, बहुत संतुलित भाषा में कहता हूं—सफेद हाथी के समान है जो प्रदेश की गन्ने की सारी फसल को खा गया। गन्ने का विभाग प्रदेश की गन्ने के उत्पादन को मिल मालिकों को बेचने के लिये स्थापित किया गया था। जहां तक गन्ने की खोज की बात है इस प्रदेश के अन्दर शून्य के बराबर है। हमें तकलीफ होती है जब हम उत्तर प्रदेश की गन्ने की खोज का मुकाबला मद्रास या साउथ की खोज से करते हैं। जो गन्ने की डेवलपमेंट की स्कीमें फिफ्टीज में चालू थीं वे भी बन्द हो गयीं। उनकी तरफ कोई निगाह उठाने वाला नहीं है। शाहजहांपुर, गोला जहां भी गन्ने के रिसर्च स्टेशंस हैं उनको स्ट्रेंथेन करना चाहिये। मुकाबला करें केन्द्र का भद्रक में रिसर्च स्टेशन है। उसने कहीं ज्यादा काम किया है, जितनी कि सारे प्रदेश के रिसर्च स्टेशंस की उपलब्धियां हैं उनको जोड़ दीजिये तो उसके बराबर नहीं होंगी। आप इस सम्बन्ध में जरूर कदम उठायें। जो क्वार्टरली बुलेटिन है उससे मैं एक टेबिल रखना चाहता हूं। उससे अन्दाजा हो जायगा कि गन्ने के क्षेत्र में उन्नति हुई या अवनति। इसका शीर्षक है गन्ना कितना मिलों में पेरा गया और गन्ने से कितनी चीनी उत्तर प्रदेश में बनी और उसकी रिकवरी क्या है। १९६५-६६, १९६६-१९६७ और १९६७-६८ के आंकड़े देखिये। १९६५-६६, १४,४७९ यह घट कर हो गया दूसरे वर्ष ७,५१७ और तीसरे वर्ष ८ हजार ५३६ मैट्रिक टन। तो इस प्रकार से आप देखें यह सन् ६५-६६ के मुकाबले में ३० प्रतिशत कम है। इसी प्रकार से इन तीन वर्षों में जो चीनी पैदा हुई, वह इस प्रकार है, पहले वर्ष में १३,६९, दूसरे वर्ष ७१० और तीसरे वर्ष यानी ६७-७८ में ८१४। अब रिकवरी का परसेन्टेज देखें, पहले वर्ष में ९.४६ है, दूसरे वर्ष में ९.५८ तथा तीसरे वर्ष में ५.५३ है। तो श्रीमन, चीनी का उत्पादन घट रहा है, रिकवरी घट रही है, मिलों में जो गन्ना पेरा जाता है, वह भी घट रहा है, फिर भी सरकार के अनुसार यदि तरक्की हो रही है तो वह माननीय मंत्री जी को मुबारक हो।

अब मैं कुछ एनीमल हसबैन्ड्री के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये कि गोवंश की संख्या बढ़ रही है। हो सकता है कि उनके पास कोई लेटेस्ट आंकड़े आ गये हों, लेकिन मुझे जो डायरी दी गई, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि गोवंश की संख्या सन् ६६ में पिछले वर्ष के अनुपात में ०.६ घटी है। मंत्री जी दुनिया घूमे हुए हैं, यहां के पशुधन को

[श्री शिवराज सिंह]

देख कर हर व्यक्ति को महान तकलीफ होती है। श्रीमन्, हमको इसी पशु धन को सुधारना है, इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अपग्रेडिंग के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। मंत्री जी ने अभी आर्टीफिशियल इन्सेमीनिशन की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि इस आर्टीफिशियल इन्सेमीनिशन में इतनी दिक्कत, कठिनाइयां हैं, जिनके कारण हम दूर फैले देहातों में इसे भली प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर सकते। इसीलिये उन्होंने जो आंकड़े दिये वन्ड लाखों में हैं, जबकि हमारे पशुधन की आबादी करोड़ों में है। एक और डेढ़ प्रतिशत पशुओं में केवल यह व्यवस्था चलाना कोई माने नहीं रखता। इसलिये जब तक यह बड़े पैमाने पर स्थापित न हो जायें तब तक आप नेचुरल बुल्स का इस्तेमाल कीजिये, प्रदेश के अन्दर जो एक्स्ट्रा बुल्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिये। यदि आपके अन्दर क्षमता नहीं है पर्याप्त मात्रा में बुल्स पैदा करने की तो प्रदेश के अन्दर जो अच्छे किसान हैं उनका सहारा लीजिये, उनको अच्छी किस्म की गाय और सांड़ देकर उनसे हासिल कीजिए। बहरहाल आपको नेचुरल बुल्स की इमदाद लेनी चाहिये।

मान्यवर, कैटल फीड का कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं सोचा गया है। दूसरे देशों में तो दूध देने वाले पशुओं का और फीड, बिना दूध वाले पशुओं का और फीड, छोटे बच्चों को और फीड, बड़ों बूढ़ों के लिये और फीड की अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन यहां पर हम सब के लिये वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं आप से निवेदन यह करूंगा कि इस दिशा में मंत्री जी जरा सोचें और यहां भी कैटल फीड के अन्दर कोई नई खोज होनी चाहिये। इस कार्य को कुछ व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, ऐसे ही कामों को सरकार को करना चाहिये, जिन्हें लोग इन्डिवीजुअली नहीं कर सकते। मैं यू० एस० ए० और यू० के० के देशों को गया तो उन्होंने इसी कैटल फीड के बारे में हम से चर्चा की।

मैंने खुद वहां के इंस्टीट्यूट में यह प्रश्न किया कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं कि जिससे हम अपने यहां फीड को बढ़ा सकें और पशुओं को कस्ट्रेट करना और रफेज का हजम कर पाना सम्भव हो सके, जिससे हमारे लिये जमीन और अन्न बच रहे। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत आसान है। हिन्दुस्तान में और विशेष कर आपके उत्तर प्रदेश में क्योंकि यहां पर वह सामग्री उपलब्ध है जिससे फीड बना सकते हैं। वह स्रोत श्रीमन सीरा का है जिससे हम फीड बना सकते हैं। जिससे हम पशुओं की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में सीरे का इस्तेमाल हो रहा है। सीरे का इस्तेमाल हमारे यहां बढ़ रहा है।

मान्यवर, मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है कि सीरे हमारे यहां पशुओं और मनुष्यों के खाने में काम आता है, लेकिन शराब के अन्दर सीरे का इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है। अब आंकड़े श्रीमन् आपके सामने पेश करना चाहता हूं क्योंकि अभी यह मुमकिन है कि गांधी सेन्टीनरी में शराब के प्रयोग पर आप कुछ नियंत्रण लगायें। श्रीमन यह प्रोडक्शन बाउन्ड एण्ड बल्क लीटर्स है। यह १९६३ में ५६, ५८, १९६४ में ६६, ५६, १९६५ में ८२, ०६, १९६६ में ९२, ६० और १९६७ में ४८, ९५। इस प्रकार से श्रीमन् इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जहां तक पशुओं के इलाज की बात है उसकी व्यवस्था इस प्रदेश में बहुत कम है। श्रीमन् प्रदेश की आबादी सारे पशुओं की सन् १९६६–६७ में लगभग पांच करोड़ थी और वी० ए० एस० की संख्या ५८३। प्रति वी० ए० एस० के हिस्से में श्रीमन् ७६,००० पशु आते हैं। इसी प्रकार से पोल्टरी बर्ड्स की प्रदेश में संख्या ७६,००० है और वह ५,७०० एक वी० ए० एस० के हिस्से में आते हैं। एक वी० एस० के लिये श्रीमन् यह सम्भव नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या को वह देख सके। आपको इसके लिये साधन जुटाने पड़ेंगे। आपको पशुओं की सेवा पर श्रीमन् अधिक खर्च करना चाहिए। श्रीमन् इस सम्बन्ध में मैं पशुओं की दो महामारियों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। इनके कारण हमारे श्रीमन् यहां पशुओं की मोर्टलिटी बढ़ रही है। श्रीमन् यह महामारियां हैं अफारा और लंगड़िया जिनको अंग्रेजी में ऐन्थरेक्स और ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। इनमें जो मन्थली मोर्टलिटी हुई है वह श्रीमन् अफारा से १९६४–६५ में २५, १९६५–६६ में ५०, १९६६–६७ में २७ और १९६७–६८ में १०० है और लंगड़िया से जो मोर्टलिटी हुई है उसका

मन्थलीऐवरेज १९६४–६५ में ३४, १९६५–६६ में ४९, १९६६–६७ में ५९ और १९६७–६८ में ६५ रहा है। अतः श्रीमन् आपके प्रदेश में पशु सेवा और उनके इलाज की व्यवस्था बहुत कम है और आपको इनको बढ़ानी चाहिये। इसी प्रकार से चारे के सम्बन्ध में कोई विशेष खोज हमारे प्रदेश में नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह केन्द्र की खोजों की ओर भी ध्यान दें। हमारे यहां इस सम्बन्ध में खोज बहुत कम हुई है। आप अपने प्रदेश में खोज को स्ट्रेंग्थिन करें।

मान्यवर, मैं दो शब्द मत्स्य पालन के सम्बन्ध में और कहूंगा। इस प्रदेश में और भी चीजों का पालन किया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस प्रदेश में मत्स्य पालन की बहुत सम्भावना है और इससे प्रदेश के अन्दर खुराक भी पैदा हो सकती है और प्रदेश को आय भी हो सकती है। श्रीमन् इस सम्बन्ध में जो कार्य विभाग द्वारा हुये हैं उन पर नियंत्रण की भारी कमी है। जिसके फलस्वरूप हमको जो नतीजा हासिल हुआ है वह बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। मैं आपके समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९६८ के पृष्ठ ३२ से एक टेबुल (तालिका) जो उस पर दी हुई है पढ़ता हूं। उसका शीर्षक है—

अधिकांशतया बड़ी कार्पस (मछलियां) को संग्रह और विकसित किया जाना था, किन्तु अंगुलि मछलियों के दोषपूर्ण संग्रह के कारण बड़ी मछलियों का उत्पादन ५ जलाशयों में मछलियों के कुल उत्पादन का ९ प्रतिशत हुआ:—

वर्ष		जलाशयों की संख्या	उत्पादित मछलियों की कुल मात्रा	बड़ी कार्प्स का उत्पादन	कुल उत्पादन की तुलना में बड़ी मछलियों का प्रतिशत
			(क्विंटलों में)	(क्विंटलों में)	
१९६३–६४	..	२	१,३७६	९४	७
१९६४–६५	..	५	४,२८३	३७७	९
१९६५–६६	..	६	२,८९३	३०६	१०
१९६६–६७	..	६	२,५४६	२१८	८
जोड़	..		११,०९८	९९५	९

इस प्रकार, आप देखेंगे कि इन जलाशयों में अधिकतर उत्पादन घटिया किस्म की मछलियों का हुआ। केवल ९ प्रतिशत बड़ी मछली है और ९१, प्रतिशत छोटी मछली पैदा हुई। इस प्रकार से इस प्रदेश के अन्दर बड़े जलाशयों में मछली की पैदावार संतोषजनक नहीं है।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वह जहां किसानों की खेती के सम्बन्ध में ऊंच स्थान पर उनको ले जाने की बात सोचते हैं वहां उन्हें अपने कृषि विभाग की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इंडियन एग्रीकल्चरल सरविस भी कृषि विभाग में कायम होनी चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि जब इंजीनियरिंग और मेडिकल विभागों के अन्दर इंडियन सर्विसेज स्थापित हैं तो कृषि के क्षेत्र में जहां आदान प्रदान की और अधिक आवश्यकता है, जहां यह आवश्यकता है कि हमारे यहां कोयम्बटूर में गन्ने के अनुभव वाला आफिसर हो, जिसने कटक में चावल की खेती के बारे में भी अनुभव किया हुआ हो और जो पंजाब में गेहूं के किसी फार्म पर रह चुका हो एसा आफिसर हमको मिले, यह आवश्यकता हमारी है तो मैं अनुरोध करूंगा कि

[श्री शिवराज सिंह]

इंडियन एग्रीकल्चरल सरविसेज की ओर विशेष ध्यान दें। कृषि कर्मचारी जो जिलों में हैं उनको आज भी वे सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, उनको आज वह आदर प्राप्त नहीं है जो होना चाहिये। उनको मकान बाद में मिलेंगे। लखनऊ में श्रीमन्, डिप्टी कलेक्टर को मकान प्राथमिकता में मिल जायेगा लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर ऐग्रीकल्चर को मकान बाद में दिया जायगा। मैं चाहूंगा कि कोई आर्डर आफ प्रिसीडेंस सरकारी पदाधिकारियों का नियत होना चाहिये और उसमें कृषि अधिकारियों को भी स्थान मिलना चाहिये। जिलों के अन्दर देख लिया जाय तो बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर्स को कार्स बहुत से जिलों में उपलब्ध नहीं हैं। जब कि ब्लाक के अन्दर बी० डी० ओ० जो उनके सबार्डिनेट हैं और जिसको एक ब्लाक देखना होता है, उसके पास कार होती है और जिनको सारे जिले का नियंत्रण करना है, सुपरविजन करना है डाइरेक्शन देना है, उसको जीप उपलब्ध नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बजट में से जिले के समस्त अधिकारियों को जीप देने की कृपा करें। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय दिया और माननीय मंत्री जी और सदन का भी आभारी हूं कि उन्होंने काफी गौर से सुना। इन शब्दों के साथ मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं और जो मांगें माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन के समक्ष रखा है, उन मांगों के सम्बन्ध में जो विषय हैं उनके सम्बन्ध में डिबेट इनीशियेट करता हूं।

श्रीमती कलारानी (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का समय प्रदान किया। आज सदन में कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान रखा है मैं उसका स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं। मैं अपने पुराने और योग्य मंत्री जी तथा उनके वैभागिक अधिकारियों को भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत सी बातों के लिये जो अनुदान मांगा है वह बहुत ही सुन्दर ढंग से खर्च करने के लिये है। मैंने उनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब भी कुछ कमियां बाकी रह गई हैं। हमारा प्राप्त कृषि प्रधान है और हमारे यहां दो प्रकार के किसान पाये जाते हैं। एक तो वे किसान हैं, जिनके पास खेती बहुत कम है और दूसरे वे किसान हैं जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं। अब इससे यह जाहिर है कि बड़े-बड़े जो किसान हैं उनको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है। उनके पास हर तरह के साधन रहते हैं। उनको अच्छी खाद भी मिल जाती है और बीज भी उनको उपलब्ध हो जाता है लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिये कहीं भी कोई रास्ता नहीं है जिससे वह अपनी खेती में तरक्की कर सकें। मेरा सुझाव है कि जो आपका स्वायल कंजरवेशन विभाग काम कर रहा है उसको बढ़ा दिया जाय। बड़े किसान तो अपनी मिट्टी को पन्त नगर यूनिवर्सिटी भेज देते हैं या कानपुर कालेज में भेज देते हैं जहां से जांच होकर उनके पास आ जाती है हालांकि समय बहुत उसमें लगता है पर वहां से आ जाती है। कुछ काम उनके पास पेंडिंग भी रह जाता है। हमारा प्रान्त बड़ा है तो उनके सामने यह दिक्कत रहती है कि कितना काम उनके पास रहना चाहिये। अगर यह काम जल्दी हो जाय तो बहुत जनता को सुविधा हो जाय। जब मिट्टी जांच के लिये किसान उनके पास भेजते हैं तो उसमें एक साल के लगभग लग जाता है। छोटा किसान उस सहूलियत को नहीं प्राप्त कर पाता है और न वह किसी प्रकार से अपने खेत की मिट्टी को वहां भेज सकता है। इसलिये मन्त्री महोदय कोई इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे मोबाइल टेस्टिंग यूनिट हर जिले में कायम हो जाय। उससे यह लाभ होगा कि छोटा किसान अपनी मिट्टी को टेस्ट के लिये उनको दे सकेगा और जिससे उनका लाभ होगा। अगर इस प्रकार की यूनिट खुल जाय तो मेरा खयाल है कि इससे जरूर उनको लाभ होगा। यह टेस्टिंग मोबाइल यूनिट अगर खुल जाय तो उससे छोटे किसान अपनी मिट्टी वहां पर जांच करायेंगे क्योंकि यह प्रायः देखा जाता है कि किसानों की भूमि बंजर होती चली जा रही है और ऊसर होती चली जा रही है। उनके खेत की जमीन दिन ब दिन कम पैदावार करती चली जाती है। अगर उनकी जमीन की जांच हो जायगी कि उसमें क्या कमी रह गई है तो उससे उन छोटे-छोटे किसानों को लाभ हो सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि किसान की फसल खेत में खड़ी हुई है। पानी पड़ गया या सूखा पड़ गया ओला गिर गया तो छोटे किसान उसमें मर जात है, लेकिन बड़ा किसान अपने घर में गल्ला भरे रखता है। वह अपने गल्ले को मंहगे दाम पर बेचता है जिससे छोटे किसानों को असुविधा होती है। अगर माननीय मंत्री जी उचित समझें तो किसानों की फसल के बीमे का काम शुरू कर दें। यह अच्छी शुरूआत होगी। उनकी फसल का बीमा होगा तो उनको कुछ पैसा मिल जायगा। उनके पास पूंजी आयेगी तो वे कुछ और साधन जुटा सकेंगे।

यह अनुदान जन मानव के बहुत निकट का अनुदान है। जितना पैसा मन्त्री जी ने इस अनुदान के अन्तर्गत मांगा है वह इतने बड़े प्रान्त के लिये पर्याप्त नहीं है बल्कि इससे दुगुना पैसा मांगते और इस कार्य को करते तो किसानों को अधिक सुविधा पहुंचती तो अच्छा होता। काश्तकारों के लिये, उनको सुविधा देने के लिये, उनको खुशहाल बनाने के लिये और खर्च किया जाता तो अच्छा होता। काश्तकारों को जो खाद दिया जाता है वह भी एक प्राबलेम बना हुआ है। बड़े-बड़े किसानों को मिल जाता है मगर छोटे-छोटे किसान के लिये दिक्कततलब बात है। वह रोज ब्लाक में दौड़ते हैं। जो उनको पुरजी मिलती है उसमें भी उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये छोटे किसानों के लिये मन्त्री जी ऐसा करें कि उनको सुविधा से खाद उपलब्ध हो जाय ताकि उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और वह अपने खेती के उत्पादन को बढ़ा सकें। खेती बाड़ी के लिये आपने तमाम साधन उपलब्ध कराये हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि छोटे किसान के लिये कौन सा साधन आपने रखा है। वह ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता जिसके पास ८-१० एकड़ भूमि है। वे ट्यूबवेल वगैरह बना लेते हैं, लेकिन उसके लिये वही दिक्कत होती है और तमाम खर्च करना पड़ता है और अगर ट्रैक्टर ले लेता है तो कर्ज के बोझ से दब जाता है। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे वह कोई छोटा ट्रैक्टर हो, मशीन हो जो बैलों से चलने वाली हो, उसके लिये सविधा दें जिसके द्वारा वह उत्पादन बढ़ा सकें। कातकारों के सामने बड़ी समस्याएं हैं। कहीं उसके पास पानी नहीं है, कहीं बीज का प्रबन्ध नहीं है। ब्लाक वालों का उनके साथ ऐसा अनुचित व्यवहार रहता है कि वह थक कर बैठ जाते हैं और ब्लाक में जाने की कोशिश नहीं करते। आपने जिले-जिले में जो यूनिट खोल रखे हैं खेती-बाड़ी में कीड़ों को दूर करने के लिये, छिड़काव के लिये, उनके कर्मचारी शायद ही कभी किसी सेंटर या गांव में छिड़काव करने के लिये जाते हों। बड़े लोग तो दवाइयों का खर्चा भी दे देते हैं, अपने यहां खेती-बाड़ी में छिड़काव की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन छोटे किसान के पास न कोई छिड़काव करने जाता है, बल्कि जब वे जिला अधिकारियों से मांग करते हैं तो उन्हें टाल दिया जाता है, इसलिये थोड़ा नियंत्रण जिला अधिकारियों पर रखें और दौरे के प्रोग्राम मांग लिया करें, उससे आपको भी ज्ञान हो जायगा कि कितना काम जिले में किया गया और कितना नहीं किया गया। आज काश्तकारों के लिये कोई सोचता नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी जो दिलचस्पी रखते है वह काश्तकारों की सुख-सुविधा के लिये सोचेंगे और जिले-जिले में कुछ ऐसी व्यवस्था करायेंगे जिससे उनको फायदा पहुंच सके। उनको आज भी ट्रैक्टर नहीं मिलता है। दो-दो, चार-चार, एक एक जिले में भेजे जाते हैं, उससे खेती का उत्पादन शून्य के बराबर रह जाता है। अगर बड़ी तादाद में ट्रैक्टर काश्तकारों को सप्लाई किये जायं तो पर्याप्त उत्पादन बढ़ेगा।

हमारे जिले में मछली पालन में कोई काम नहीं हुआ, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं हुई। यह डिपार्टमेंट बिलकुल शून्य के बराबर है। इसलिये यदि हरदोई जिले में मछली पालन का साधन नहीं है तो वहां की यह व्यवस्था बन्द कर दें या आदेश दें कि मछली पालन के कामों में तरक्की की जाय और जब तरक्की संभव हो तभी उनको ज्यादा से ज्यादा साधन सुलभ कराने की चेष्टा करें। मैं मंत्री जी आभारी हूं और मेरा खयाल है कि वे मेरे सुझावों को अवश्य कार्यान्वित करेंगे। धन्यवाद।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया। आज कृषि अनुदान के बारे में जो हमारे साथी की तरफ से कटौती का प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन इसलिये करता हूं कि आज की यह जो सरकार है, जिसने यह कृषि का अनुदान पेश किया है वह दिवालिया सरकार है, ४० करोड़ के घाटे वाली सरकार है और जो दिवालिया सरकार है वह कैसे किसी काम को करेगी। जब दिवालिया बनिया अपनी दुकान हटाकर बैठ जाता है तो यह गुप्ता जी कैसे सरकार चला पायेंगे यह सन्देह है। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह ४० करोड़ के घाटे से जाहिर होता है कि या तो यह सरकार इस घाटे को पूरा करने केलिये किसान के ऊपर तमाम टैक्स लगायेगी या फिर इन अनुदानों में कटौती करेगी जिस के कारण इस प्रदेश के किसानों को और तबाही में डालेगी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश में सच्चा स्वराज्य तब आयेगा जब इस देश का प्रधान मंत्री किसान का बेटा होगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में बनिये का बेटा मुख्य मंत्री है और इसी कारण यह प्रदेश बराबर गिरता जा रहा है। इस प्रदेश के किसान की हालत खराब होती जा रही है और यहां का मिल मालिक अमीर होता जा रहा है। मान्यवर इस मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं...

एक सदस्य—

मान्यवर क्या किसी जाति विशेष का नाम लेकर किसी सदस्य पर आक्षेप किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री बनिये का बेटा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने तुलना करते हुए गांधी जी की बात कही और उसी तुलना के सन्दर्भ में एक दृष्टान्त दिया है। उन्होंने नाम लिया होता तो मैं टोक देता।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

तो मान्यवर मैं कह रहा था कि मंत्रि मंडल के सदस्य खेती के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। वे मटर का और चपरी का पेड़ तक नहीं पहिचान सकते, यह मेरा दावा है और इस पर भी वे किसान के हित का दावा करते हैं। यही कारण है कि यह प्रदेश बराबर पीछे गिरता जा रहा है, उत्पादन गिरता जा रहा है और बेकारी बढ़ती जा रही है।

मान्यवर, खेती इस प्रदेश का मुख्य धंधा है और ८७ फीसदी आदमी इस प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहते हैं और खेती का काम करने वाले ६४ सैकड़ा आदमी हैं। जहां इतने आदमी इसमें लगे हुए हैं वहां इस धन्धे की उपेक्षा हो रही है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस सरकार आज ही नहीं है पिछले बहुत दिनों से चली आ रही है और किसानों के हित का नारा लगाती आ रही है लेकिन किसानों में बराबर बेकारी बढ़ती जा रही है। मान्यवर, देश में एक करोड़ आदमी बेकार हैं और इस प्रदेश में करीब २३ लाख बेकार हैं जो कि सारे देश के एक चौथाई हैं। यह शोचनीय बात है। बेकारों की संख्या में साढ़े पन्द्रह सैकड़ा गांव में रहने वाले आदमी हैं और साढ़े सात सैकड़ा शहर में रहने वाले आदमी हैं। आज हमारे गांव गरीबी और बेकारी की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और इनका उद्धार इनके जरिये हो नहीं सकता।

आज खेती का धन्धा चौपट होता चला जा रहा है। मान्यवर ८० प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है। सौ में ८० किसान हैं। जो पांच एकड़ से कम जमीन रखते हैं और कुल जमीन उनके पास ३३ परसेन्ट है। बाकी २० परसेन्ट किसान ऐसे हैं जो ६७ परसेन्ट जमीन अपने पास रखे हुए हैं। आज जमीन के मामले में भी पूंजीवादी प्रवृत्ति काम कर रही है और गरीब किसान बराबर गरीब होता जा रहा है। जो किसानी जानते नहीं वह जमीन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। आज प्रदेश में जमीन के मामले में यह हो गया है कि बाप तो मिनिस्टर है बेटे के नाम बड़ा फार्म है, एक लड़का बहुत बड़ा व्यापारी है और दूसरा भाई

बड़ा अफसर है सरकार में। तो मान्यवर, इस तरीके से इस प्रदेश की गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। इस सचिवालय में भी कई ऐसे अफसर हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनों के फार्म हैं। मैं कृषि मंत्री जी कहना चाहूंगा कि वह इस मामले में सोचें और ऐसी कोई पाबन्दी लगावें जिससे एक धन्धा करने वाला दूसरा धन्धा न कर पावे। अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी है तो वह कृषि के अन्दर न घुसने पावे और अगर बहुत बड़ा अफसर है तो वह खेती के अन्दर न घुसने पावे। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस जमीन के मामले में बड़ा असंतुलन है और ऐसा नहीं है कि जमीन अपने प्रदेश में है नहीं। आज भी सरकारी किताबों से यह जाहिर होता है कि ५३ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो खेती के लायक है, २० लाख एकड़ ऐसी है जो सीलिंग के अन्दर से मिली है, ४० लाख एकड़ ऐसी है जो सरकारी फार्मों व गांव समाज के कब्जे में है। इस तरह से लगभग १ करोड़ २० लाख एकड़ जमीन मिल सकती है जिसको गरीबों और भूमिहीनों को बांटा जा सकता है। अगर एक परिवार को ३ एकड़ जमीन दी जाय तो करीब ४० लाख परिवारों को यह जमीन दी जा सकती है।

हमारी एस० एस० पी० पार्टी बहुत दिनों से हल्ला मचा रही है कि जमीन का बटवारा होना चाहिये। डा० लोहिया ने भी कहा था कि जमीन का बटवारा करो। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि वह जल्द से जल्द खेतिहर छोटे किसानों और भूमिहीनों को अगर उनके दिल में उनके लिये जगह है तो यह जमीन बांट दें। इससे खेती की तरक्की होगी और प्रदेश की तरक्की होगी। मान्यवर, लगान का मामला खेती के ऊपर बहुत बड़ी बीमारी है। आज एक खेत अगर वह बड़े जागीरदार का है तो उसको ८ आने एकड़ लगान देना पड़ रहा है और उसी की मेड़ से मिला हुआ छोटे किसान का जो खेत है उसको ८, १० रु० तक लगान देना पड़ता है। कृषि मंत्री जी सोचें कि लगान के मामले में यह असमानता न रहे। इसलिये हमारा यह कहना है कि लगान नाम का मामला खत्म किया जाय। एस० वी० डी० की सरकार ने दो बीघे के किसान का लगान माफ करने और सवा छः एकड़ के किसान का आधा लगान माफ करने को कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो राजस्व के अनुदान से संबंधित है

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

नहीं श्रीमन्, लगान का सीधा सम्बन्ध खेती से है। तो लगान खत्म होना चाहिये। जब एस० वी० डी० सरकार यहां प्रस्ताव पेश कर रही थी तो उधर के ही बैठने वाले कांग्रेसी कहते थे कि सवा छः एकड़ तक का लगान माफ करो। आज जब आपकी सरकार बन गई तो अब क्यों नहीं करते? मान्यवर, बड़ा ढोल पीटा जाता है कि प्रदेश बड़ी तरक्की कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसानी के मामले में कोई तरक्की नहीं हुई है। १९५०-५१ में ११७ लाख टन गल्ला पैदा हुआ था और १९६६-६७ में भी वहीं ११७ लाख टन पैदा हुआ। १७ वर्षों में जहां के तहां रहे। सारा पैसा कहां चला गया, सारे नारे कहां चले गये, माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, ५ मिनट का और मौका दे दें, मैं आज पहली बार बोलने खड़ा हुआ हूं। खेती का उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब माननीय मंत्री जी भूमि सेना खड़ी करें। जैसे लड़ाई में फौज सतर्क होकर दुश्मन का मुकाबला करती है उसी तरह से जो भूमिहीन और बेकार लोग हैं उनकी एक भूमि सेना बनावें और उस सेना को खेती के मामले में फौज की तरह मोर्चे पर लावें, तब उत्पादन बढ़ सकता है। आपकी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ही अगर एक करोड़ रुपया लगाया जाय किसी धन्धे में तो लोहे की इंडस्ट्री में १६ लाख का मुनाफा कपड़े में ३५ लाख का मुनाफा, खेती और लघु उद्योग में ६९ लाख का मुनाफा होगा। तो क्यों नहीं उसमें सरकार रुपया लगाती? १९६६-६७ में ५ अरब ५३ करोड़ रुपया राज्य

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

उद्यमों में लगाया गया और १४ करोड़ सालाना का उसमें घाटा हुआ। तो ऐसे धन्धों में आप पैसा क्यों लगाते हैं? माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इतने अनुदान से ही सन्तोष न करें बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कृषि के उद्योग में लगावें, तब ही कृषि-उत्पादन में तरक्की हो सकती है।

कहा जाता है कि बड़ी सुविधायें किसानों को दी जा रही हैं। मैं आपको बताऊं ६ रुपया सैकड़ा तकावी पर सूद लिया जाता है, ९ रुपया सैकड़ा कोआपरेटिव में सूद लिया जाता है। शंकर मक्का, बाजरा और गेहूं के बीज का सवाया लिया जाता है, २५ सैकड़ा काबुली सूद किसान से वसूल किया जाता है। जब उद्योगों से ३ रुपए सैकड़ा और ५ रुपए सैकड़ा से ज्यादा सूद सरकार नहीं लेती तो किसान से २५ रुपया सैकड़ा सूद क्यों लेते हैं? माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें। जब आज हम माननीय सिंचाई मंत्री जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पैदावार नहीं बढ़ रही है, तो वे कहते हैं माननीय कृषि मंत्री के पास जाइये। जब हम माननीय कृषि मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं खेत सूख रहे हैं, तो वे कहते हैं माननीय सिंचाई मंत्री जी के पास जाइये। इस तरह से सभी अपने-अपने बवाल को टालते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि कृषि, सिंचाई और बिजली, यह तीनों विभाग एक ही मंत्री के पास रहने चाहिये ताकि वे अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः समझ सकें और कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये कारगर उपाये हो सकें। जब तक आप यह नहीं करेंगे, आपस में खींचतान बनी रहेगी और कृषि में सुधार नहीं होगा।

अब दो मिनट में अपने क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया, शीघ्र समाप्त करें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मेरे यहां कानपुर जिले में, डेरापुर क्षेत्र के किसान बहुत गरीब हैं। पिछले २० वर्षों से आज तक वहां के निवासियों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गयी है। एक भी ट्यूबवेल डेरापुर क्षेत्र में नहीं लगा है। एक इन्च भी बिजली की लाइन मेरे क्षेत्र में नहीं लगी है। आजादी के बाद से अब तक उस क्षेत्र की ओर ऐसा लगता है कि कतई ध्यान ही नहीं दिया गया है। वहां पर केवल ४ मील की पक्की सड़क है। अगर उस क्षेत्र की तरक्की करना है तो सरकार को चाहिये कि वहां पर नलकूप लगवाये, जहां पर सड़कें नहीं हैं सड़कें बनवाये, कच्ची सड़कों को पक्का करवाये और बिजली की भी व्यवस्था करवाये। मान्यवर, मेरे यहां एक ऐसा कस्बा कन्चौसी बाजार है जो केवल १ लाख रुपया हर साल सरकार को टैक्स के रूप में देता है, लेकिन वह कस्बा बिलकुल उजड़ा हुआ-सा है, उसमें कोई आज तक प्रगति नहीं हुई है। वहां के व्यापारी आज इधर-उधर भाग रहे हैं। वहां पर कोई सड़क नहीं है जिससे कि व्यापारी अपने कच्चे माल को बाहर भेज सकें। अगर ककोर से कन्चौसी तक की ४ मील सड़क पक्की बनवा दी जाय तो उससे व्यापारियों को बहुत लाभ हो सकता है। इसके अलावा जैसी सुविधा पंजाब में दे रखी है कि जो नहर गंग शाखा इटावा का कैनाल रोड है, उसे रूरा से बिबियापुर तक आम सड़क के रूप में खोल दिया जाय। इससे कानपुर से इटावा तक का आवागमन सीधा हो सकता है और किसानों को इससे काफी सुविधा हो सकती है। हमारे इलाके में श्रीमन, दो-दो नदियां पड़ती हैं, लेकिन वहां पर कोई सड़क नहीं है। हमारे यहां सिकन्दरा से बिल्हौर तक की जो कच्ची सड़क है उसे पक्की करवा दिया जाय जिससे व्यापारी अपना कच्चा माल बाहर ले जा सकें। हमारे इलाके में करीब ८ हजार एकड़ ऐसी भूमि है जिसको कि जंगल विभाग ने हड़प रखा है जिसमें कि खेती की जा सकती है। जंगल विभाग ने केवल ३ एकड़ में ही पेड़ लगाये हैं, शेष जमीन उसके कब्जे में खाली पड़ी है।

माननीय कृषि मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे उस जमीन को जंगल विभाग से तुरन्त लेकर भूमिहीनों में बांटें जिससे कि उस भूमि पर खेती की जा सके। जंगल विभाग के लोगों

ने किसानों की भूमि पर अपनी खूटियां गाड़ रखी हैं। पूरे गांव के गांव जंगल विभाग ने हड़प लिये हैं। हमारे इलाके में काफी जमीन में पानी भरा हुआ है। बाढ़ के पानी से लगभग २ हजार एकड़ भूमि प्रभावित है और इस कारणवश यह जमीन बेकार हो जाती है। इस समय भी मान्यवर, उन गांवों में पानी भर गया है। अगर श्रीमन्, बहेरा, सतोरा, परोख, महोई और उड़नवापुर इन चार या पांच गांवों के खेतों के रकबों में से तीन मील का नाला खुदवाने की स्कीम बना दें, नाले को श्रमदान के जरिये हम खुदवा देंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका एक पैसा नहीं लगेगा, खाली सरकारी कागजों में बता दिया जाय कि वह कहां खुदवा दिया जाय तो दो हजार एकड़ जो जमीन बेकार पड़ी है उसमें अनाज पैदा किया जा सकता है। तो मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि वे पिछले तरीके से जैसा अभी तक होता आया है, उसी ढर्रे पर न चलकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन करें। क्योंकि इस प्रदेश का गरीब आदमी बैकवर्ड व हरिजन आदमी जो उन पर निगाह लगाये हुये हैं तो वह सरकार ढाल बन कर न रहे उनके और किसानों के हित के लिये एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करें। यही हमारी सरकार से मांग है।

(श्री राजमंगल पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं व्यवस्था चाहता हूं। आपकी पार्टी के आदमी हैं .... आपने दस मिनट दिये...

श्री उपाध्यक्ष—

आप किये। कृपया रुकिये। मेरी पार्टी के नहीं हैं। मैं उदार हूं। अगर कोई बोल रहे हैं और वे कहते हैं कि आज तक मुझे बोलने का समय नहीं मिला तो मैं उसके प्रति उदारतापूर्वक व्यवहार करूंगा।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, यह माननीय सदन और माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको नहीं कहना चाहिये। उन्होंने अनुचित बात कही और भविष्य में आप ऐसा न कहें।

*श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

इस हाउस में और इसके बाहर भी, जब भी कृषि सम्बन्धी समस्यायें आई हैं, उधर से कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये गये हैं जो कुछ तर्कसंगत नहीं मालूम पड़ते, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि इलेक्शन की स्पीच मेरे बहुत से माननीय मित्र देने आये हैं और वे ऐसी बातें कह रहे हैं जैसा कि इस बेंच पर जो बैठे हुये लोग हैं वे इस देश की जनता के प्रति अपने विश्वास को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीन हैं। श्रीमन्, आज खेती की फसलों को बढ़ाने के लिये और इस देश को समृद्धिशाली बनाने के लिये जिन कुछ चीजों की आवश्यकता है उनको बताने की जरूरत नहीं है। बीज, खाद, पानी, बिजली, सड़कें, इन्सेक्टिसाइड्स, ये ऐसी चीजें हैं जो कि खेती की फसलों को बढ़ाने में मदद पहुंचाती हैं। सारी चीजें कर लेने के बाद भी कुछ प्रकृति का प्रकोप हो जाता है जो इन सारे मन्सूबों को जो किसान अपने खेतों में मेहनत और मशक्कत के पश्चात करता है, वे चकनाचूर हो जाते हैं। दुनिया के किसी भी नियम और साइन्स ने ऐसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पांडेय]

तरीके अख्तियार नहीं किये हैं कि इन पर काबू पा सकें। जहां तक सम्भव हो सका है, हम आपने और हमारी सरकार अथक परिश्रम इस दिशा में कर रही है और उसने किया भी है। जो इस नहीं सोचते वे अपनी आंखें असलियत से दूर किये हुए हैं। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी आशा थी पैदावार बढ़ने की उतनी कामयाबी नहीं मिली। इसके कुछ विशेष कारण थे। पहला कारण यह था कि खेती में जो प्राथमिकता देनी चाहिये थी वह हम नहीं दे सके। हमने अपने ध्यान को कुछ और चीजों पर वितरित कर दिया। लेकिन दूसरी योजना में कृषि को टाप-प्रायोरिटी पर रक्खा। आपने इसका नतीजा भी देखा और आप कहीं भी चले जाइये हिन्दुस्तान के किसी भी गांव में। आज मजदूरों को मजदूरी जब ३०८ और आर० आर० २१ जो दी जा रही है वह भी लेने से इन्कार कर रहे हैं और उसके बदले में कहते हैं चावल दिया जाय। पारसाल गेहूं की और चावल की फसलें अच्छी हुई और काश्तकार काफी हद तक खुशहाल है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि यह खुशहाली कैसे रख सकते हैं। क्या यह खुशहाली लेक्चर देकर कर सकते हैं ? यह खुशहाली हम किसान और मजदूरों को अधिक परिश्रम करने के नारों से, उनकी जरूरतों को पूरा करने से, उनके कार्यक्रमों को सक्रिय बना कर, प्रकृति के प्रकोपों को सहन करने और उनसे लड़ने की क्षमता उनमें पैदा करने से ला सकते हैं।

आज विज्ञान ने जो तरक्की की है और जिस विज्ञान को आज हम अपने व्यक्तिगत प्रयोग में लाते हैं उस प्रकृति की वैज्ञानिक देन को अभी हम किसान और मजदूरों तक नहीं पहुंचा पाये हैं। सहकारिता के माध्यम से आपने बहुत कोशिश की लेकिन जो उन्नति हम चाहते थे वह सम्भव नहीं हुई। परन्तु हमारा किसान काफी हद तक आज भी रूढ़िवादी है और वह उन्हीं पुरानी परम्पराओं को मानता है। आज उसमें इतना दम नहीं है कि वह जुआ खेल सके और नुकसान की ओर रिस्क लेने की बात को सोच सके। कभी-कभी हमारे मित्रों को यह नारा सुनने में आता है कि प्लानिंग से तो बड़ों का भला हुआ है और गरीब और गरीब हुआ है परन्तु असलियत ऐसी नहीं है। प्लानिंग से लाभ हुआ है वह बात अलग है कि जितना होना चाहिये था वह न हुआ हो। वह गरीब जिसके पास कम जमीन थी वह जाहिर है कि एक्सपेरीमेंट के लिये अपनी जमीन नहीं दे सका। जब उसने अपने खेत नहीं दिये तो ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० ने बड़े किसानों से कहा कि तुम अपने खेत दो ताकि उन पर नये प्रयोग हो सकें, नये बीज, नये खाद उसमें डाल सकें और ज्यादा अच्छी फ़सल पैदा कर सकें। लेकिन इस सब के बावजूद किसानों के रूढ़िवादी होने के कारण प्लान से जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी। इसका कारण न तो हमारी प्लान है और न यह सरकार है बल्कि मूल कारण है हमारी रूढ़िवादी मनोवृत्ति जो आज तक किसानों से गई नहीं है। आज प्लान्ट प्रोटेक्शन का विभाग जोर से काम कर रहा है, लेकिन दस साल पहले कोई भी आदमी खेत में इनसेक्टीसाइड के छिड़काव की बात नहीं करता था लेकिन आज गन्ने, धान और गेहूं की फ़सलों में जब कीड़े लगते हैं तो वही किसान ब्लाक पर आते हैं और छिड़काव कराने की कोशिश करते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा कि कुछ हमारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव खामियां भी हैं। हमारे जो ब्लाक्स हैं और उनका जो कंट्रोल है उसके भी पुनर्गठन की जरूरत है। बी० डी० ओ० को ब्लाक का हेड बनाया जाय। इस पर विचार किया जाय कि जिला पंचायत अफ़सर, जिला कृषि अधिकारी को किस के अन्डर में रखा जाय। जब तक एक बी० डी० ओ० की जिम्मेदारी होगी और अलग-अलग अन्य अधिकारी रहेंगे तब तक हम अपने कार्यक्रमों को इन अधिकारियों से अलग-अलग पूरा नहीं करा सकते। जब तक सख्ती के साथ कार्यक्रम एक आफ़िसर अमल में लाने का जिम्मेदार न ठहराया जायगा तब तक उन्नति नहीं हो सकती। मैं अपने मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर गौर से विचार करें और पुनर्गठन की बात सोचें। एक बात जरूर खुशी और सन्तोष की है कि जो खेती करने

वाले कृषक हैं और जो मजदूर खेती से सम्बन्धित हैं उनमें एक सामञ्जस्य पैदा हुआ है लेकिन उनकी दिक्कतों को समझने के लिये जो सरकारी कर्मचारी और एग्जिक्यूटिव पोस्ट्स पर सरकारी अधिकारी पहुंचते हैं वह उन दिक्कतों को समझ नहीं पाते। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी सदन में कहा था और आज फिर इसको दोहराऊंगा कि प्लानिंग का कृषि सम्बन्धी एक अलग कैडर बनाया जाय और उसमें केवल वही लोग रखे जायं जिनका क्रियात्मक कृषि क्षेत्र का अनुभव हो, नीचे से ऊपर तक वही लोग रहें जो किसानों की समस्याओं को समझें और उनको सुलझाने की जिनमें क्षमता हो। यह ठीक है कि कुछ लक्ष्य पूरे हुये हैं और कुछ प्रगति हुई है लेकिन हमें इतने से ही सन्तोष नहीं करना है। हमारी जो समस्यायें हैं, खेती की जो दिक्कतें हैं उनको सुलझा कर अगर हमने प्रगति के सारे साधन मोहैया किये तो ३ साल के अन्दर हम अवश्य आत्मनिर्भर अन्न के सम्बन्ध में हो सकते हैं। ट्रैक्टर्स, इन्सेक्टिसाइड्स, फ़र्टिलाइजर्स, उन्नत बीज, सिंचाई के साधन यह सब अगर हम किसान को दिला सकें तो अवश्य ही कृषि का सुधार होगा। केवल नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कृषि से सम्बन्धित जो अन्य विभाग पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि हैं उनके कार्यक्रमों को भी किसानों तक पहुंचाना है, एक सामञ्जस्य स्थापित करना होगा। हमारे मंत्री जी स्वयं किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, कृषि वर्ग की दिक्कतों को समझते हैं, वह ऐसी बिरादरी से भी आते हैं जो सारे समाज का दबा हुआ वर्ग रहा है, जिसके ऊपर लाखों मुसीबतें ढाई गयीं हैं। आज जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनमें क्षमता और शक्ति है और मुझे आशा है कि अपनी क्षमता और शक्ति का परिचय देंगे जिससे हमारे किसानों की हालत सुधर जायगी।

आज गन्ने की फ़सल की अधिक कीमत होने के कारण हमारे किसान गेहूं और चावल, जिनकी कीमत गन्ने से कम पड़ती है, न बोकर गन्ना ही पैदा करने की चेष्टा करते हैं। हालांकि हर साल गन्ने की कीमत कम हुयी है चाहे वह राजनीति के कारण हुयी हो या और किसी कारण से हुयी है, लेकिन आज भी किसान के दिमाग में यह है कि गन्ना बोकर ज्यादा कीमत पा सकता है इसलिए उसने २५-३० प्रतिशत तक अधिक फ़सल बोई है। एक तरफ़ तो पानी, फ़र्टिलाइजर और मजदूरी के दाम बढ़ गये हैं और दूसरी ओर उसको अपने माल की कीमत कम मिलने लगी है। पहले उसे सस्ते दाम पर पानी, खाद और मजदूरी मिलनी चाहिए और दूसरे उसको अपने गन्ने की मिलों तक भेजने के लिए सड़कें चाहिए जो आज बिल्कुल टूटी-फूटी पड़ी हैं। हमारे पूर्वी इलाके में कोई क्रेशर भी नहीं लगे हुए हैं जिसके कारण वहां पर मिलों से कोई कम्पटिशन नहीं हो पाता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे एक ऐसा सामञ्जस्य स्थापित करें, चाहे वह कानून से हो या लोगों की भावनाओं से हो, जिससे हमारे किसान अपनी फ़सलों का प्लानिंग इस तरह से करें कि अपनी आवश्यकता के हिसाब से फ़सलें बोयें और कुछ फ़सलें ऐसी पैदा करें जिससे उन्हें अधिक से अधिक कीमत मिल सके और फ़िर उन्हें बाजारों में ले जाने के लिए उसके लिए हम अच्छी से अच्छी सड़कें बना सकें।

आज सबसे ज्यादा तकलीफ़ किसानों को अपना सामान मंडियों और बाजारों में ले जाने की है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जगह जगह पर अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाय। मैं कहना चाहूंगा कि कभी-कभी मुसीबत के दिन भी हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए आते हैं। चीन की लड़ाई हमारे साथ हुयी और हमारे अनेकों भाइयों ने मिलजुल कर अपनी तैयारी की। उसी तरह से ३-४ साल पहले एक अकाल आया और उस दौरान में हमारी सरकार ने २०-२० और ३०-३० रुपये कुओं के लिए दिया और उन्हें बंटवाना लेखपाल की मर्जी पर छोड़ दिया गया। किसानों ने इस काम को किया जिसने इसको नहीं किया उनसे भी वसूल किया और जिसने बना लिया उससे भी यह रुपया वसूल किया गया।

[श्री राजमंगल पांडेय]

इसके लिए लेखपाल और आपके कानूनगो जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें जिससे हमारी जो मशीनरी है वह इन किसानों को परेशान न करे।

मैं अपने मित्रों से यह भी कहना चाहता हूं कि आज न नारों से कोई कार्य हुआ है, न नारों से किसी देश की तरक्की हुयी है और न नारों से आज तक दुनिया का कोई काम हुआ है। हमको आपको मिल कर इस देश का निर्माण करना होगा ताकि किसान समझे कि वास्तव में जो उसकी दिक्कत है उसकी ओर सरकार का ध्यान है। लेकिन अगर आज ऐसी चीजें न हुयीं जो लोग हमारे ईमानदारी से भी कार्य कर रहे हैं, उनके भी हौसले पस्त हो जायेंगे। कुछ लोग कह देते हैं कि बी० डी० ओज० को हटा दो, ब्लाक्स को तोड़ दो। मैं नहीं कहता कि उनमें खामियां नहीं हैं, लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन ब्लाक्स में बढ़िया काम किया गया उनमें तरक्की हुई और आपको यह मानना होगा कि अगर ईमानदारी से इस देश का निर्माण करने वाली प्लानिंग की जितनी मशीनरी है १० वर्ष तक परिश्रम करे तो हमारा देश उन्नतिशील देशों के बराबर समृद्धिशाली हो सकता है। मैं यह कहूंगा कि नारे देकर, आलोचना करके उन्नति नहीं हो सकती। आलोचना हमारी जरूर की जाय, लेकिन वहीं जहां पर हमारे काम आलोचना के लायक हैं। किसान और मजदूरों की भलाई के लिए ऐसे कार्य किये जायं जिनसे वे सोच सकें कि इस देश के जो अधिकारी हैं वे उनकी भलाई का कार्य करने के लिये हैं। इससे उनके दिल में विश्वास पैदा होगा और देश की प्रगति होगी।

*श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह २२ वर्ष की सरकार नकलची सरकार कही जा सकती है और इसने एक परीक्षार्थी की तरह से केवल नकल करना सीखा है। नकल करने का भी फल यह होता है कि अच्छे विद्यार्थी की अगर किसी ने नकल की तो पास और अगर नकल कहीं फेल लड़के की की गयी तो फ़ेल। सरकार ने नकल ऐसे विद्यार्थी की की जो फेल साबित हुआ है। सरकार का विकास स्पष्ट बतलाता है कि उसने जो नकल की और जो फल उसका देश के सामने आया, उससे प्रगति नहीं हुई, देश को नुकसान हुआ, देश बरबादी की तरफ़ झुका है। करोड़ों रुपया विकास पर खर्च किया गया लेकिन प्रगति नहीं हुई। अगर वही रुपया गरीब मजदूरों और किसानों के ऊपर खर्च किया गया होता जिनके पास १० बिस्वा, १ बीघा या ३ एकड़ खेत थे और उनको सुविधायें दी गयी होतीं तो आप समझ पाते क्या उन्नति हुई है? लेकिन आपने तो ऐसा अनुकरण किया जिससे देश तबाह हो गया और उस तबाही की ओर वह बढ़ता जा रहा है।

लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी का स्वप्न साकार होने जा रहा है। उनकी अभिलाषा थी कि कृषक के बच्चे मंत्री बनें। आज सौभाग्य से कृषक तथा मजदूर समाज में उत्पन्न हमारे मंत्री हैं जिनसे विशेष आशा और उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि केवल कृषकों का ही नहीं, मजदूरों का भी हित होगा। ठीक प्रकार से काम करने के लिये हमको कृषकों का विभाजन करना होता और यह देखना होगा कि किस तरह से उनको कार्य करना होगा? एक किसान तो वह होता है जो मजदूरों के माध्यम से काम करता है। दूसरा कृषक वह होता है जो स्वयं या मजदूरों को साथ लेकर काम करता है। तीसरा जो स्वयं खेती करता है। चौथा कृषक वह है जो साधनविहीन है और दूसरों के साधन से खेती करता है। अगर इस वर्गीकरण को ध्यान में रख कर हम नहीं चलते हैं तो सारी स्कीम आपकी फेल हो जायगी। इसी तरह से अगर हम यह बंटवारा करें कि खेती के लिये आवश्यक चीजें क्या हैं तो बीज, खाद और पानी आता है। लेकिन इन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे बढ़ कर जो आवश्यक चीज है वह श्रम है और श्रम की उपेक्षा हो रही है। इसीलिये दिन प्रति दिन सारे साधनों के बावजूद हम अवनति की ओर जा रहे हैं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जहां सौ, डेढ़ सौ, तीन सौ और चार सौ रुपये महीना वेतन पाने वालों के लिये इस भवन में बैठे हुये जनता के प्रतिनिधि झगड़ा करते हैं वहां प्रतिदिन पर मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिये कोई आवाज नहीं उठाता। वह महीने में १५ रुपये पाता है। तो १५ रुपये में कैसे गुजर हो? इसलिये हमें पहले श्रम को सोचना चाहिये। उसके बाद आवश्यकता पड़ती है पानी की। हम लोगों का विश्वास है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। अगर यह चीज चरितार्थ नहीं हुई तो हम आगे नहीं बढ़ पायगे। पानी के लिये मुझे यह कहना है कि पहले कुयें नहीं थे, सरकार ने उसके लिये अनुदान दिया। सरकार ने मदद की, इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता।

सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज वह क्या कर रही है। जहां ट्यूबवेल लगाये गये हैं वहां के सारे कुयें सूख गये हैं। तो सिंचाई अब ट्यूबवेल्स पर निर्भर करती है। सरकार इसके लि क्या करने जा रही है यह देखने की बात है। ट्यूबवेल जितने लोगों ने लगवाये हैं उन पर यह अत्याचार कि उन्हें १५ पैसे प्रति यूनिट तो देना ही पड़ता है और जिस समय ट्यूबवेल बन्द रहते हैं उसका भी उन्हें जबरदस्ती एक मिनिमम चार्ज देना पड़ता है। जिन मध्यम लोगों ने ट्यूबवेल लगवाये हैं वे छोटे किसानों स तीन रुप घंटा लेते हैं। जिनके पास एक बीघा, डेढ़ बीघा, १५ बिस्वा जमीन है ऐसे गरीब किसानों से। इसके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। अगर इसकी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तो इन गरीब किसानों का बड़ा अहित होगा। इसलिये इस ओर सरकार को ध्यान ना चाहिये ताकि यह प्रदेश आगे बढ़ सके और हम एक इतिहास कायम कर सकें कि स युग में इतना काम हम कर सके। आज अमरीका वगैरह का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन वहां की खेती और यहां की खेती में अन्तर है। यहां छोटे किसानों के पास कोई साधन नहीं हैं। उनके लिये आप साधन जुटाइये। यहां पशुपालन उन्हीं को दिया जाता है जो बड़े किसान हैं। मैं कहता हूं कि आप छोटे किसानों को एक ही गाय लीजिये, एक ही भैंस दीजिये, उनको बैल दीजिये, अगर वह बकरी पाल हैं तो उसके लिये ऋण दीजिये इससे वे आगे बढ़ेंगे। खेतों में काम करने वाले बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अब उनमें भी जाग्रति आ ग ी है। कुछ दिनों के बाद आपके सा लेक्चर, भाषण व्यर्थ हो जायेंगे, ग्राम सेवक, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० सब व्यर्थ हो जा गे। जब कृषक यह समझ जायगा कि हमें भी शहरों में जाना चाहिये तब खेतों में काम करने वाला कोई रहेगा नहीं, जिसके बल-बूते पर आप खेती कर सकें। इसलिये समय से पहले हमें उसका ख्याल करना ही पड़ेगा।

खाद कई तरह की होती है—उर्वरक, कम्पोस्ट, हरी खाद, और गोबर की खाद। बड़े लोग उर्वरकों के बल पर बहुत ज्यादा पैदावार कर लेते हैं और १०–१० बिस्वा वाला छोटा किसान, जिनके पास पैसा नहीं है, वह केवल गोबर की खाद का प्रयोग करता है, अब दोनों स्थानों से जो पैदा होता है, उसकी तुलना कीजि। गोबर की खाद उर्वरक से अधिक लाभप्रद है। उर्वरक भले ही १–२, ४–५ साल तक गल्ला पैदा कर ले लेकिन भविष्य में वह फेल ही हो जायगी, अगर हमने उन खेतों में हरी खाद और गोबर की खाद को न डाला तो उस समय हमें केवल छोटे किसानों से ही गल्ला मिल सकेगा। इसलिये इस गोबर की खाद और कम्पोस्ट तथा हरी खाद के बारे में अभी से सोचना होगा। इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखना होगा कि सस्ते दामों पर उर्वरक छोटे किसानों को भी मिल सके। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको दूसरों से गल्ला मंगाना ही पड़ेगा।

[श्री रामबचन यादव]

जहां तक बीज की बात है, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जुन्हरी और मक्का जो एक रुपया की दो सेर मिलती है, वह किसानों को बीज के लिये ३.२० रुपया प्रति किलो मिलती है। उसको भी आप बोने के समय नहीं देते हैं। किसान उसको मजबूरन लेता है और अपने खाने के काम में लाता है। इसलिये आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ३.२० रुपया प्रति किलो के बजाय सस्ते उचित मूल्य पर और समय पर उसको बीज दिया जाय।

हम सब लोग किसानों में से ही आये हैं। वास्तविक शक्ति हमारी किसान ही हैं। वे आज कल आपस में मेड़ों के लिये लड़ते हैं। कचहरी जाते हैं और आपसी वैमनस्य में फंसे रहते हैं। आपके पास लेखपाल है। वह बुलाने से भी नहीं आता है उसको आप दे दें और उसकी जिम्मेदारी ठहरा दें कि वह हर साल मेड़ों की देखरेख करे और रिपोर्ट दें। अगर इस प्रकार का झगड़ा हो तो उसको वहां से हटा दिया जाय या उसको सजा दी जाय।

मुझे आशा है माननीय मंत्री जी किसानों की इन सुविधाओं की व्यवस्था अवश्य करेंगे, और किसानों को राहत देने का एक नमूना वे पेश करेंगे। किसान उन्हें याद करेंगे कि उनके युग में उनको इतनी सुविधायें मिलीं।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में प्रथम बार बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी इस बजट में कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल की ओर रखा गया था। उस प्रस्ताव के समर्थन पर श्री शिवराज सिंह जी ने अपने विचार रक्खे थे। मुझे खुशी है कि उन्होंने सदन को आंकड़े देकर आपके माध्यम से अधिक से अधिक संतुष्ट करने की कोशिश की। परन्तु मैं उनके आंकड़ों से सहमत नहीं हूं।

सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि आज पत्रकारों और अधिकारियों द्वारा भ्रामक प्रचार पत्रों द्वारा किये जाने से इस प्रदेश की सरकार को चलाने वाले लोग एवं समाज के दूसरे लोग एक भ्रांति में पड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आंख से देखा जा सकता है तब आंकड़ों की क्या जरूरत है, जब गांव-गांव जाकर देखा जा सकता है तब सुनने की क्या जरूरत है और जब देख कर अनुमान लगाया जा सकता है तब दूसरों से पूछने की क्या आवश्यकता है। हमारे जो माननीय सदस्य यहां आए हैं वे सबके सब अपने-अपने क्षेत्रों से चुनकर आये हैं और मैं नहीं समझता कि उनको क्षेत्र में जाये बिना वोट्स मिले हैं। श्रीमन, हमारे यहां अभी हेलीकाप्टरों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए कच्ची, पक्की सड़कों से ही गुजरना पड़ता है। तो खेत, खलिहान इत्यादि देखने को मिलते हैं और जो प्रगति या अवनति हुई है वह भी किसी से छिपी नहीं रह सकती है। बड़े ही दुख की बात है कि विरोधी पक्ष में बैठ कर लोग सोचते हैं, कि विरोध के लिए विरोध करना है, परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो अच्छे सुझाव आते हैं उन पर सरकार और अधिकारी मिल कर विचार विमर्श करते हैं और जो सम्भव होता है उसको करने का प्रयत्न करते हैं।

दूसरी बात उन्होंने कही कि इधर ५–६ वर्षों में खेती में अवनति हुई है। श्रीमन्, मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है, जो कृषि से ही अपना जीवन यापन करता है। कालेज छोड़ने के बाद १९६२–६३ से मैंने स्वयं अपने खेतों को देखना प्रारम्भ किया। उससे पहले सारा का सारा काम एक ही इंसान पर निर्भर करता था और जिस तरह से वह चाहता था पुराने ढर्रे से खेती का कार्य होता था, परन्तु १९६२–६३ जब से शेडो-ब्लाक खुले और जो प्रसार कार्यकर्ता गये, उन्होंने नौजवानों का संगठन किया और गांव-गांव में जाकर प्रचार किया और जो नई दिशा और नया ज्ञान दिया तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जिन खेतों में एक मन बीघा अनाज पैदा होता था। मेरा अभिप्राय २० सेर के कच्चे मन से है। श्रीमन्, जब मैक्सीकन वैरायटी का सुनोरा ६४,

एवं लारमा रोजो गेहूं मिला और इसको जिन लोगों ने बोया, उचित मात्रा में खाद डाली और जब इसके बीज अंकुरित हुए, पहला पानी दिया गया और निराई गुडाई लगी तो श्रीमन्, ऐसा प्रतीत हुआ कि पृथ्वी में से एक तोफान चला आ रहा है या नई वस्तु चली आ रही है। देखने वाले लोग अचम्भे में पड़ गये और कहने लगे कि यह यदि इसी प्रकार बढ़ेगा और झुंड पकड़ेगा तो इसका क्या होगा? यह गिर जावेगा और इसमें बाल में दाने नहीं निकलेंगे। यह पला जावेगा, परन्तु श्रीमन्, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसके पौधे ३ फीट से अधिक ऊंचे नहीं बढ़े थे, जिससे गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वे पौधे ३ फीट से ऊंचे भी नहीं बढ़े और इतने अधिक घने हुए कि पूरे खेत में कहीं भी यदि एक मुट्ठी राख डाल दी जाती तो श्रीमन्, वह नीचे नहीं गिर सकती थी। यह देख सभी लोगों को अत्यन्त ही आश्चर्य होता था, कि इस प्रकार के "बीज", इस तरह की खाद और इस तरह की चीजें जिनकी उपलब्धि इस सरकार के लोगों ने, इस विकास विभाग में कार्य करने वाले लोगों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने कराई है उनका हम शुक्रिया किस प्रकार करें यह हम नहीं समझ पाये। श्रीमन्, जब फसल कटी तब ३-३ बोरी गेहूं प्रति बीघा (कच्चा) की पैदावार हुई। आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, कही कहीं तो ३ बोरी प्रति बीघा (कच्चा) से लेकर ४ बोरी प्रति बीघा तक की पैदावार हुई।

उसके बाद जब खरीफ की फसल में ताई चुंग नेटिव न० १ धान बोया गया तो उसकी पैदावार जहां देशी धान ४-५ मन (कच्चा) प्रति बीघा (कच्चा) पैदा होता था के स्थान पर २० मन (कच्चा) फी बीघा पैदा हुआ। इतनी उपलब्धि के बाद भी अगर हम यह कहें, कि हमारे प्रदेश में कोई प्रगति कृषि के क्षेत्र में नहीं हुई है तो इस बात के मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।

एक सदस्य—

कच्चा मन से आपका क्या मतलब है?

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

वैसे तो ४० किलो का मन होता है लेकिन हमारे यहां गांवों में २० सेर के मन को, कच्चा मन कहते हैं। इसीलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग किया है और फिर आगे चल कर मैंने बोरी शब्द का प्रयोग किया ताकि माननीय सदस्यों के समझने में आसानी हो जावे, कि एक बीघा (कच्चा) में कितना गेहूं पैदा हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शिवराज सिंह जी ने कहा, कि इस सरकार ने प्रदेश के अन्दर कोई "स्वस्थ-कृषि-नीति" नहीं अपनाई इसीलिए इस प्रदेश में और प्रदेशों के अनुपात में कृषि का उत्पादन कम हुआ है। लेकिन उन्हें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए, कि हमारे प्रदेश के अन्दर खेती बिजली के बटन दबाने से नहीं होती है, हमारे प्रदेश में खेती केवल ट्रैक्टरों से नहीं होती है परन्तु हमारे प्रदेश में अधिक तर खेती 'हल-बैल' से ही हुआ करती है। एक ओर बड़े-बड़े फार्म्स हैं तो एक ओर छोटे-छोटे या मध्यम वर्ग के किसान हैं तो तीसरी ओर १ एक या २-३ बीघा भूमि वाले किसान हैं जिनके पास न तो हल है और न बल है और न कोई खेती के अन्य साधन ही हैं। श्रीमन्, यह कहना कि सारी सुविधाएं बड़े किसानों को ही मिलती हैं छोटे किसानों को कुछ नहीं, यह सही नहीं है। छोटे किसानों ने कुछ नहीं सीखा या उनको लाभ नहीं हुआ ऐसी भी बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सादर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे गांव के अन्दर ३ हजार की आबादी है। वहां पर भी जब मैक्सीकन वैरायटी की उत्तम फसल के प्रभाव और पैदावार का छोटे-छोटे एक-एक, दो-दो बीघा वाले किसानों ने भी इतना असर लिया कि दूसरी फसल में

[श्री भानु प्रतापसिंह (बरेली)]

भी अपने-अपने खेतों में मैक्सीकन वैयरायटी खरीद कर बोई और गेहूं के बाद ताईचुंग-नेटिव नं० १ धान के बीज बोए तब एक-एक बीघा (कच्चा) खेतों में धान की फसल लेने के बाद गेहूं की ३–३ और ४–४ बोरी प्रति बीघा पैदावार ली। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े किसान जिनके पास अधिक खेती होती है वह अपनी फसलों की समय पर निराई-गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, जब कि छोटे कृषक अपने यह समय पर पानी देकर गुड़ाई भी कर लेते हैं। इस प्रकार बड़े फार्मों के स्थानों पर छोटे किसान अधिक पैदावार प्रति बीघा ले लेते हैं। इस आश्चर्यजनक वृद्धि को देख कर सारे छोटे-बड़े लोगों की आंखें खुलीं और उन्होंने देखा कि जिनको गेहूं खाने को भी नहीं मिलता था, जिनको धान खाना नसीब नहीं होता था आज वही लोग २० मन (कच्चा) प्रति बीघा (कच्चा) धान पैदा कर रहे हैं और उसके बाद उस खेत में वही लोग ३–३ बोरी प्रति बीघा गेहूं पैदा करने लगे हैं।

काफी समय पहले की बात है कि हमारे ही जिले के एक माननीय सदस्य (विधायक) विरोधी दल जब तब बुरा भला कहते थे, कि यह सरकार जो आंकड़े देती है गलत है इतनी पैदावार प्रति बीघा हरगिज नहीं हो सकती है।

एक सदस्य—

आपका गांव व जिला कौन है ?

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

श्रीमन्, मेरा गांव अग्रास व जिला बरेली है। कृपया आप बैठ जायें, मेरा समय नष्ट न करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो समय दिया है आप नष्ट कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब वह सदस्य महोदय अपनी ही पार्टी के एक पार्लियामेंट के सदस्य महोदय के साथ उनका फार्म देखा, उस पर एक-एक मक्के के पेड़ में तीन-तीन भुट्टे लगे देखे तब वापस आने पर स्वयं देखने के बाद कहा, "कि वास्तव में इतनी अच्छी मक्का हमने कभी नहीं देखी और धान ताईचुंग नं० १ की फसल भी अजीब आश्चर्यजनक है। मैं देखता हूं कि कृषि के क्षेत्र में तो काफी प्रगति हुई है।"

श्रीमन्, मैं देखता हूं कि अभी भी बहुत से माननीय सदस्यों की वास्तविक जानकारी नहीं है। अतः आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विकास खण्ड के अन्दर या बाहर जितने भी अच्छे कृषि सरकारी या गैर सरकारी फ़ार्म हैं उनको देख कर लाभान्वित होने के लिए और ज्ञानार्जन करने के लिए माननीय सदस्यों एवं सदस्य—(बी० डी० सी०) एवं प्रगतिशील किसानों और सोशल वर्करों को परिवहन की सुविधा प्रदान कर व्यवस्था करने का कष्ट करें। "इस प्रकार जब बड़े-बड़े आधुनिक ढंग के कृषि फार्मों को देख कर अवश्य ही देखने वालों के ज्ञान में वृद्धि होगी और वे जहां भी रहते होंगे, आशा है उन्नतिशील ढंग से की गई खेती की विधियों का प्रचार करेंगे।"

नम्बर दो यह कहना चाहता हूं कि किसी भी विकास खण्ड के अन्दर (बी० डी० सी० एवं प्रगतिशील किसानों) की मीटिंग रबी एवं खरीफ की फसल की बोआई से पहले नहीं हुआ करती है या यदि होती भी है तो फार्मल (कागजी) सी होती है जिसमें उपस्थिति न के बराबर होती है। सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों, शोशल वकरों, और विधायकगणों को भी और अधिक से अधिक लोगों को बी० डी० सी० की मीटिंग में जाना चाहिए ताकि "रबी और खर फ" की फसल की बोवाई से पहले उस फसल के बारे में कृषि अधिकारियों से गहराई से सब बात समझ सकें। कोई भी अच्छा किसान गांवों में ऐसा नहीं होगा जो इस प्रकार की उन्नतिशील विधियों को न अपनाना पसन्द करे। लकिन इसके साथ-साथ ही विकास खण्डों को छोटे-छोटे चार या पांच क्षेत्रों में बांटना चाहिए ताकि वहां पर कृषि-विशेषज्ञ और अधिकारी जाकर सामूहिक रूप से लोगों को बता सकें। यह अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि किसान

इतने महंगे-महंगे बीजों को खरीदता है, महंगी खाद डालता है। यदि केवल बोवाई की गलती हो जावे और इस मैक्सीकन बीज को केवल देशी गेहूं के समान ही गहरा बो दिया जावे तो जमाव (कम से कम) ५० प्र० श० कम होता है। इस प्रकार किसान देखेगा कि यह बीज तो कम जमा है और अब मेरा खेत बीज की खराबी के कारण खराब हो जावेगा। यह स्कीम ही गलत है और उसको कृषि से अरुचि पैदा हो जावेगी। वह सोचेगा कि यह लोग बेवकूफ हैं जो इतने महंगा बीज और खाद देते हैं और हमारा पैसा बरबाद कराते हैं। यदि केवल इस जरा सी बात का ध्यान दे दिया जावे तो हमारी क्षमता और शक्ति तथा धन का सदुपयोग हो सकता है और राष्ट्रीय उत्थान में सहयोग मिल सकता है।

श्रीमन्, एक बात उन्होंने और कही कि किसानों की उत्पत्ति का उचित मूल्य दिलवाने के लिए एक समिति गठित की जावे, जो यहां पर कृषि के निर्धारित मूल्यों को देखे। वह यह भी देखें कि कृषि की पैदावार उचित मूल्य पर बिकती है या नहीं। श्रीमन्, आज प्रत्येक जिले में "कृषि-उत्पादन मंडी-समिति" गठित कर दी गई है तथा हर जिले में उसका क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया है या उसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है। वहां किसान को पूरी-पूरी सुविधा दी जाती है उसके माल पर अब कटौती नहीं होती है। आज जब कि हर जिले में काफी पक्की सड़कें हैं किसान अपनी पैदावार आसानी से बाजार तक ले जाकर उचित मूल्य पाते हैं। इस वर्ष पूरे जिले में काफी "परचेज-प्वाइन्ट" खोले गये। मैं समझता हूं कि वे दूसरे जिलों में भी खुले होंगे। इनमें से काफी सड़क पर देहात में काफी अन्दर भी खोले गये थे और जहां से किसान का गेहूं खरीदा गया। अगर विरोधी पक्ष के सदस्य चाहें तो अपने-अपने जिलों को देखें, जब १५–२० परचेज सेन्टर मेरे जिले में खुले तब मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश के और जिलों में भी इस प्रकार के परचेज सेन्टर अवश्य ही खुले होंगे।

माननीय सदस्य श्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि आलू की पैदावार में अत्यधिक हानि इस वर्ष हुई है। हिन्दुस्तान में कृषि नीति इस प्रकार की है कि अगर यहां गेहूं की पैदावार महंगी बिकने लगे तब हर किसान गेहूं बोने लगता है। तथा गन्ना महंगा बिकता है तब हर एक किसान और फसलों के स्थान पर अधिक गन्ना ही बोने लगता है, और जब आलू महंगा बिकता है तब हर एक किसान आलू बोने लगते हैं। इन फसलों की एक सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। इस प्रकार जब एक फसल बाजार में अत्यधिक मात्रा में आती है तब उसका दाम गिर जाता है। इस प्रकार लागत पैदावार से अधिक आती है। अतः जिस फसल की पैदावार अधिक बढ़ जाती है उसका दाम एकदम घट जाता है तथा उससे किसान को नुकसान पड़ता है। जहां तक विदेशों की कृषि नीति का सम्बन्ध है वहां सरकार एक सर्कुलर निकाल कर कृषकों से कहती है कि अमुक साल में हमको इतने प्रतिशत अधिक गन्ना की पैदावार करना है। तथा इतने प्रतिशत आलू की पैदावार बढ़ानी है। या इतने प्रतिशत गेहूं के क्षेत्र में प्रगति करना है।

इस प्रकार कोई भी फसल बाजार में मिट्टी के मोल नहीं बिक पाती है। अपने भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार व्यवस्था नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है।

उन्होंने "पैकेज-प्रोग्राम" के बारे में भी कहा। आज भी काफी क्षेत्रफल में साल में मक्का–आलू–गेहूं की पैदावार एक वर्ष में ली जाती है।

इसी प्रकार (Soil test) की बात कही गई है। हर ब्लाक के कर्मचारियों के द्वारा कि सा। के खेत की मिट्टी थैलों में भेज कर अनसन्धान शाला में उन्होंने

[श्री भानु प्रतापसिंह (बरेली)]

कराया जाता है। परिणाम एक फार्म पर भर कर लेबोरेटरी के द्वारा भेजा जाता है तथा श्रीमन्, उसमें लिखा होता है कि अमुक-अमुक खाद की मात्रा (प्र० एक०) कितनी डालनी चाहिए और कौन-कौन सी फसलें इस जमीन में बोनी चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपकी आज्ञा से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस १९६९-७० के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और फिर आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

*श्री ईश्वर दयाल (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिवराज सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कृषि के सम्पूर्ण अनुदानों—अनुदान संख्या २१, २२, २३, व ४६ के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए, इसकी मांग करता हूं।

मान्यवर, मैंने कृषि मंत्री के भाषण को सुना, मंत्री जी ने अपने भाषण में योजनाओं पर प्रकाश डाला, और खेती की उन्नति के लिये जितने रुपये की जिस प्रकार मांग की है, उसको सुनकर मुझे निराशा हुई। कृषि मंत्री जी को, इधर और उधर के कई सदस्यों ने किसान की समस्याओं के बारे में सुझाव दिये। सवाल एक ही उठ रहा है कि इस देश में किसान की हालत कैसे उन्नति करे, खेती की पैदावार कैसे बढ़े और सूबे की तरक्की कैसे हो। इन २०-२२ वर्षों में मैं मानता हूं कि ऐसे प्रयास किये गये हैं, जिनसे किसानों की तरक्की होनी चाहिये थी, लेकिन जिस तरह से यह प्रयास किया गया उनमें एकरूपता न होने के कारण एक विशेष लक्ष्य की ओर हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। इसे कृषि मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं। प्रदेश के अन्दर खेती की पैदावार क्यों नहीं बढ़ती? मैं जितना समझ सका हूं और किसान के नाते जो अनुभव कर रहा हूं उसके सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि जिस हिसाब से खाद और बीज एवं सिंचाई की सुविधाएं हम मुहइया कर रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से और उससे भी तेज करते रहें, तब भी प्रदेश की पैदावार बढ़ नहीं सकेगी। क्योंकि असल में किसान की जो सब से बड़ी बोझ है वह किसान के प्रयत्न के बावजूद भी गिरती जा रही है और वह है किसान का उत्साह। उसका उत्साह आज कल इस प्रकार फीका पड़ गया है कि वह खुद तो उसमें किसी हालत में चिपटा हुआ है, लेकिन अपने बच्चों को उसमें किसी तरह नहीं लगाना चाहता। क्योंकि इन पिछले सालों में किसान के साथ जो गुजरी है वह ठीक नहीं है, उसे अपनी उपज का कभी भी उचित मूल्य नहीं मिला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री से कहना चाहूंगा कि किसान की जो उपज है वह घाटे से बिक रही है और किन्हीं-किन्हीं फसलों में तो उसे लागत से भी आधा घाटा हो रहा है। जो अपनी पैदावार में घाटा महसूस कर रहा है। वह कैसे कृषि में लगेगा? सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि किसी भी प्रकार से कभी भी किसी फसल से लागत से कम मूल्य बाजार में किसान को न मिले। तभी उसका उत्साह बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जितने साधन कृषि उपज बढ़ाने के लिए हैं उनका मूल्य इतना बढ़ गया है कि आम किसान उन्हें खरीद कर इस्तेमाल नहीं कर सकता। खाद के दाम तो हर माह बढ़ रहे हैं। इसके सम्बन्ध में नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है उस पर यदि सरकार चले तो काफी राहत मिल सकती है। वह यह है कि यदि गोबर को जलाने से बचाया जाए और उसकी कम्पोस्ट बने जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो किसान को सब्सिडी दी जाए, तो फर्टीलाइजर खरीदने में जो पैसा किसान का बेकार जाता है और जो उसका नुकसान तमाम प्रकार का होता है वह रुक सकता है। हमारे किसान के पास उसका गोबर है, हम उससे उसका सही रूप से इस्तेमाल करायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात पानी के सम्बन्ध में है। सरकार की नीति रही है ट्यूबवेल का जहां तक सवाल है जो किसान ट्यूबवेल लगाना चाहता है उन्हें बिजली देने में जो कोताही हो रही है वह बड़ी खराब नीति है। नारा तो यह होना चाहिये कि हर खेत को पानी का प्रबन्ध हो। जब हम उन्नतिशील बीज किसान को दे रहे हैं, जिसमें काफी पानी की, कई पानी की आवश्यकता है, तो जब हम एक पानी भी मुहइया नहीं कर पाएंगे तो उस बीज का क्या उपयोग। ऐसी दशा में तो वह उन्नतिशील बीज साधारण बीज से भी गया गुजरा हो जाएगा। पानी के इन्तजाम के लिए आवश्यक है कि नहरों की लम्बाई बढ़ाई जाए, उनकी सफाई हो, और उनमें काफी मात्रा में पानी छोड़ा जाए। सिंचाई कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध हो, देशी कुंवें, रहट आदि उन पर भी सब्सिडी दी जाए। जिस तरह हो सके हम इतना प्रबन्ध अवश्य करें कि हर एक खेत के लिए इतने पानी की व्यवस्था हो कि हम हर खेत को ७-८ पानी दे सकें। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसान की दूसरी समस्या यही है कि उसके हर खेत को पानी मिल जाए, वह साल भर में ५/७ बार अपने खेतों को पानी दे सके।

जहां तक यंत्रों का सवाल है, वे इतने महंगे हैं कि किसान उन्हें खरीद नहीं पाता और यदि खरीदने की कोशिश करता है तो समय पर मुहइया नहीं हो पाते। टैक्टरों के सम्बन्ध में उसकी दुर्दशा यह है कि वह न नगद न कर्ज पर मिल रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कृषि यंत्र ट्रैक्टर सप्लाई करने के लिए किसान की पूरी मदद कर रहा है। इसके सम्बन्ध में मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब से कारपोरेशन कायम हुआ है तब से किसान और भी दुखी है। इसकी वजह यह है कि कभी तो यह घोषणा करते हैं कि हम कर्ज पर ट्रैक्टर आदि सप्लाई करते हैं, कभी यह लेटर पहुंच जाएगा कि कर्ज की स्कीम हमने समाप्त कर दी है और नगद रुपया दें तो सप्लाई करेंगे। फिर जब किसान पहुंचेगा तो कह दिया जाता है कि अब कोटा खत्म हो गया और हम दूसरी कम्पनियों को लिख रहे हैं। सरकार जितनी सप्लाई करना चाहे और जिन आदमी को देना चाहे आदमियों को नम्बर से सप्लाई करे और उचित तरीके से उसको दिलायें जाएं। इससे यह होगा कि किसान निश्चिन्त घर पर बैठ जाएगा उसे दफ्तर दौड़ने में हर्ज खर्च नहीं करना पड़ेगा और जब उसका नम्बर आएगा उसे मिल जाएगा। इस तरह से वह भ्रष्टाचार का शिकार होने से बच जाएगा। कर्ज की प्रक्रिया इतनी ढीली और गड़बड़ है कि उसके चलते उसके लिए कर्ज लेना तो दूर रहा वह कर्जदार हो जाता है। उसको कई जगह से सार्टीफिकेट लेना पड़ता है, इसका सूद भी बहुत है। १० हजार रुपया जो कर्ज लेगा उसका ५ हजार तो उसके लेने देने में ही खर्च हो जाएगा। इससे किसान तो कर्जदार बनकर ही रह जाता है और वह कोई काम नहीं कर पाता है और न जिस चीज के लिए कर्ज लिया है उसे खरीद पाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कर्ज देने के लिए ऐसे नियम बनावें, जिससे उसे आसानी से बिना किसी भ्रष्टाचार के बहुत ही सुन्दर ढंग से कर्ज प्राप्त हो सके।

सरकार ने किसानों को मदद देने के लिये, कर्जा देने के लिये कई एजेन्सियां खोल रखी हैं, चाहे सोसाइटी हो या ब्लाक की ऐजेन्सी हो, उन सबको मिला करके एक एजेन्सी स्थापित की जाय ताकि किसानों को ऐसी दिक्कत न हो और गवर्नमेंट को भी दिक्कत न हो यह मालूम करने की कि किस किसान को किस एजेन्सी से कितना रुपया मिला है या पहले का उस पर कुछ बकाया है। बहुत से किसान सब जगह से कर्जा ले लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको वक्त पर रकम नहीं मिल पाती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कर्जा देने के लिये या किसान को

[श्री ईश्वर दयाल]

मदद देने के लिये जितनी एजेन्सीज हैं उनमें एक रुपता आये और एक ही तरह से किसानों को कर्जा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, सब से मुख्य फ़सल हमारे किसान की गन्ना है और गन्ने की नीति हमारी सरकार की दोषपूर्ण है और इस मामले पर सोचते हुये मुझे यह कहना पड़ता है कि यह सरकार किसानों की नहीं है और किसानों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । एक मोटी सी बात उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं । माननीय कृषि मंत्री जी इस बात पर शायद ध्यान दें और माननीय सदस्यों ने भी इस बात को याद दिलाया है । चीनी की नीति सरकार की काफी दोषपूर्ण है । पिछले साल चीनी का जो भाव था उस पर किसानों का १८ रु० प्रति क्विन्टल मिला और अब उसी भाव पर ९ रुपया मिला । तो यह बात समझ में नहीं आती कि उसी भाव पर १८ रुपये प्रति क्विन्टल कैसे मिला और उसी भाव पर ९ रुपया प्रति क्विन्टल कैसे मिला । यह समझ में नहीं आता कि सरकार चुप कैसे बैठी रही । इतना रुपया किसानों को न मिल कर यह आधा रुपया मिल मालिकों की जेब में गया ।

दूसरी बात यह है कि फ़ैक्टरियों पर अन्धाधुन्ध बकाया पड़ा है, किसानों का । हमारी यू० पी० की ७१ मिलों पर १२ करोड़ की धनराशि बकाया है । मेरे क्षेत्र में मोदीनगर की फ़ैक्टरी पर किसानों का चार लाख बकाया है । आज माननीय उद्योग मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इनके खिलाफ़ कार्यवाही करेंगे और मेरी जोरदार मांग है और मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस फ़ैक्टरी पर किसानों का चार लाख, दो लाख या दस लाख का बकाया है फ़ौरन उस फ़ैक्टरी को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और जिस तरीके से आज कल फ़ैक्टरियों में किसानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, गन्ना कम तौला जाता है, वक्त पर लिया नहीं जाता है, खेतों में गन्ना खड़ा रहता है और पेमेंट नहीं होता है तो मैं यह मांग करूंगा कि यह सब सुविधायें किसानों को उसी हालत में मिलेंगी । जब सरकार शुगर मिल्स का राष्ट्रीयकरण करे और उसके लिये कदम उठाये और भारत सरकार से जल्दी से जल्दी प्रार्थना करे कि वह इन फ़ैक्टरियों का राष्ट्रीयकरण करे तो फ़िर किसानों और मजदूरों का .....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री ईश्वर दयाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके पांच मिनट हो गये हैं और आपने और समय नहीं मांगा है । अब आप बैठ जायें ।

*श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कृषि बजट पर बोलने का मुझे अवसर माननीय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और माननीय भाई शिवराज सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके विरोध के लिये खड़ा हुआ हूं । जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें दो तीन बातें मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं । वे चले गये हैं । वे एक अच्छे फ़ार्मर हैं । अगर आज उनका फ़ार्म गरीबों में वितरण कर दिया जाता तो उस से चौगुनी फ़सल पैदा हो सकती है । लेकिन आज यहां चाहे इस तरफ़ के हों और चाहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस तरफ के माननीय सदस्य हों जो बड़े-बड़े लोग हैं वह लोग जो जमींदारों के बेटे हैं, राजाओं के लड़के हैं वे फ़ारम बनाकर बैठ गये हैं और गरीबों को उससे दूर रख रहे हैं। एक ओर यह भी कहा जाता है कि कृषि का उत्पादन बढ़े तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कृषि का उत्पादन कौन बढ़ायेगा। यहां पर बैठ कर बातें बनाने से वह नहीं बढ़ेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गईं। एक बात इस बीच अवश्य हुई है कि अरबों रुपयों का जो अनाज आता था आज कुछ उसमें राहत मिली है, लेकिन वह कैसे हुआ। वह देश के लोगों ने उसकी तरफ़ कमर कसा तब हुआ है। यह कमी थी इसलिये कि हम दूसरों के गुलाम थे और आज भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका आज विज्ञान के कारण चन्द्रमा के अन्दर पहुंच गया उसी तरह से सरकार ने आगे बढ़ कर कृषक समाज को नई नई चीजें दीं। अच्छे किस्म के बीज दिये और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के ढंग हमको बताये। लेकिन इसके बाद भी मैं कहता हूं कि अगर वास्तव में भुखमरी को दूर करना है तो फ़िर से भूमि का वितरण करो वरना हमारा खाद्य का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा।

आज खेती के लिये तीन चीजों की बहुत जरूरत है। खाद, जमीन और बीज। बीज तब दिया जाता है जब किसान जोत–बो चुकता है और वह भी इतना मंहगा होता है कि गरीब उसे उठा नहीं सकता। जो लोग नलकूप लगाये हैं उनको सबसिडी मिल गयी है। जो एक बोरी शंकर मक्का खरीदेगा उसे सबसिडी मिलेगी यह कहा गया। अब जो नहीं खरीद सकते थे वे भी लालच में खरीद लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप इंक्वायरी बैठाइये। मेरे यहां नवाबगंज ब्लाक में और बजीरगंज ब्लाक में एक-एक बोरी शंकर मक्का दी गयी और जोर जबरदस्ती के साथ दी गयी। यह बेजा जबरदस्ती बन्द होनी चाहिये और स्वेच्छा से जो लोग लेना चाहें उन्हें देना चाहिये।

एक बात यह कि खाद्यान्न की तरक्की करने में सरकार जिस तरह से जुटी हुयी है और अमेरिका से गेहूं खरीदना बन्द करना चाहती है इसके लिये सरकार फ़र्टीलाइजर के लिये सबसिडी दे। आज फर्टिलाइजर के दाम आसमान चूम रहे हैं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पशुपालन विभाग के मत्स्य विभाग पर आपका नियंत्रण होना चाहिये। मछली एक खाद्य है और इसलिये उस पर विशेष ध्यान देना चाहिये जिस से लोगों की जो जीविका का साधन है उस से लोग लाभ उठा सकें। मेरे वहां कई झील और नदियां हैं लेकिन सरकारी विभाग उस पर बैठा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वह इंक्वायरी कमेटी बैठावें कि जितना खर्च उस विभाग पर होता है क्या उस से उतनी आमदनी होती है? अगर नहीं आती है तो विभाग को खत्म करके उस काम को ठीके पर दें और ठेके से सरकार को अच्छा पैसा मिलेगा। इस से राज्य की आय बढ़ेगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पीलीभीत में कुछ कालोनीज सरकार ने बसाई हैं। वह ११,६९० एकड़ जमीन पर है और उसमें १,८८४ परिवार बसाये गये हैं और उसके साथ-साथ ३९ आदमियों को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बीस बीस एकड़ दिया गया है और जो बेपढ़े लिखे गरीब लोग हैं उनको सवा तीन एकड़ दिया है। यहीं पर देखिये कि सरकार की यह कितनी कुनीति है कि जो मशक्कत करेगा उसको सवा तीन एकड़ और जो मजदूरों के द्वारा खेती करायेगा उसको बीस एकड़। यह सरकार की नीति है मगर किस प्रकार से इस मुल्क में समाजवाद आयेगा। इस बात को देखें कि हमारे सोशलिस्ट भाई एक तरफ़ तो समाजवाद समाजवाद चिल्लाते हैं और बहुत बड़ा नारा लगाते हैं और कहते हैं जमीन का लगान न लो लेकिन जब लगान लेते

[श्री गंगाप्रसाद]

तो उस जमीन पर आप काबिज दिखाते हैं। लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार से कब्जा लिखा लेते हैं लेकिन जब जमीन का लगान नहीं दिया जायगा तो तब आप लाठी लेकर खेत पर कब्जा कर लेंगे और मारने के लिये आ जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से यह बंटवारा होगा और इनकी समाजवादी नीति में कामयाबी होगी?

एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उनमें १८ फ़ीसदी संविधान के अनुसार हमको मिलना चाहिये। वह हरिजन जाति का कोटा आज पूरा नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि जब तक वह कोटा न हो तब तक और किसी दूसरे की नियुक्ति इस विभाग में न की जाय। अगर आप चाहते हैं कि हरिजनों का उत्थान हो और हरिजनों को आगे बढ़ावें और संविधान के अनुसार उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उनका कोटा पूरा किया जाय। १८ फ़ीसदी की बात जो संविधान के अन्दर कही गई है उसको आप पूरा करने की कृपा करें। जमीन बहुत पड़ी है लेकिन ये सफ़ेद पोश लोग जिनको डाकू कहना चाहिये वह हल्ला मचाते हैं और कहते हैं कि जमीन हमें दो। उनके पास चली जाती है। गांव का प्रधान आज जिसको चाहता है उसको जमीन देता है। हमारे क्षेत्र में करीब-करीब १० हजार बीघा जमीन पड़ी हुयी है। उसका बंटवारा आज तक नहीं हुआ है तुलसीपुर में १८ हजार बीघा जमीन पड़ी है उसका बंटवारा भी नहीं हुआ है। अगर उस जमीन का बटवारा किया जाय तो सही रूप में जो भूमिहीन हरिजन हैं उनको दिया जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये कि वह जमीन जमींदार के लड़के को, प्रधान के लड़के को और मेम्बर साहब के भतीजे को मिल जाय। जब उस जमीन को भूमिहीन हरिजनों को दिया जायगा तभी उसका सही रूप में बटवारा हो सकता है और गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुकूल बंटवारा हो सकता है। अगर कृषि उत्पादन को बढ़ाना है और इतना बढ़ाना है जिससे गरीबों को भी खाने को मिल सके तो इस देश से भूमिहीनों में बंटवारा किया जाय तभी इस देश से गरीबी का खात्मा हो सकता है। यही मुझे आप से कहना था।

*श्री किशनलाल (जिला पीलीभीत)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का मौका दिया है। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो कृषि का विषय इस सदन के समक्ष उपस्थित किया है मुझे उसी विषय में कुछ कहना है। मैं उस अनुदान का विरोध करना चाहता हूं जो मंत्री जी ने रखा है। सदन की गरिमा और सदन की मर्यादा को माननीय सदस्य बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि घटा रहे हैं। यह सदन की गरिमा बराबर घटती चली जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विषय पर आ जाइये।

श्री किशनलाल—

मैं कहना चाहता हूं कि जो कृषि उत्पादन की बात बताई, गंगवार साहब ने कि खेती में ६०–७० मन प्रति एकड़ का गेहूं बताया तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनके खेत में उनके फ़ार्म के बराबर होता है, कितना उनके फ़ार्म में होता है और कितना दूसरों के खेत में होता है? अपने मुंह से अपनी खेती की तारीफ़ करते हैं जब कि उन्हीं किसानों से पैदा कराते हैं। इस सरकार ने आज तक कोई गरीब किसानों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया है। महात्मा गांधी के लक्ष्य और परम्परा पर अगर सरकार चलती तो देश इतने पीछे नहीं होता। जिनको बापू, भगवान कहकर मानते हो उन्हीं की मर्यादा और परम्परा को घटा रहे हो, मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात को पसन्द नहीं करता हूं। अगर गरीब किसानों के हित की बात करते हो तो जरा आत्मा पर हाथ रख कर देखो कि क्या किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हो? आप नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ें, यह आज राष्ट्र की परम्परा और पालिसी है। छोटे किसान, छोटे मजदूर और हरिजन भूमिहीन, गरीब हरिजन उनकी तरफ़ देखना नहीं चाहते हैं। जिन किसानों की आलोचना करते हो सदन में, जरा सदन को छोड़कर लखनऊ के चौतरफ़ा में चलकर उनकी हालत देखो कि क्या हालत बना रखी है। मैं पीलीभीत का रहने वाला हूं हिमालय की तराई में और शारदा नदी के तट पर हमारा जिला बसा हुआ है। बतायें मंत्री जी कि सन् ४७ के बाद उन्होंने कौन-सा कदम उठाया है, जिस पीलीभीत जिले में हजारों एकड़ के फ़ार्म हैं, आज कौन से भूमिहीन काश्तकार को भूमि दी है? कौनसा भूमि का बटवारा भूमिहीन हरिजनों के लिये किया है। यहां नारा लगाते हो कि किसान बड़ा मालदार है और बड़ा गेहूं और गन्ना पैदा करता है। मगर वास्तव में किसान को खाद नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। बीज नहीं मिलता है। सन् ४७ के बाद हमारा देश अमर हो सकता था लेकिन गरीब किसानों को रोटी तक नहीं देना चाहते हो, किसान को फ़ालीभूत देखना नहीं चाहते हो, भरे-पूरे हालत में देखना नहीं चाहते हो कि कहीं किसान का बच्चा आगे न बढ़ जाय। आज हरिजनों के नाम पर बड़े नारे लगाये जाते हैं। पीलीभीत में कितनी जमीनें उनको दी गयीं? १८ प्रतिशत रिजरवेशन के हिसाब से अगर मंत्री जी जमीन बांट देते तो किसान दुखी नहीं रहता।

यहां नारे लगाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के नाम को डुबा रहे हैं, नेहरू जी की परम्परा को मिटा रहे हैं। मैं इसे तारीफ़ नहीं समझता। माननीय सदस्यों को आप सुनना नहीं चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं और आप सुनना नहीं चाहते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास समय नहीं है और मंत्री महोदय को हमारी बात सुनने में पसन्द नहीं है और माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते। आज मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिये जिस से कि देश की गरीबी दूर हो। १ दिसम्बर सन् ६४ तक पट्टे खारिज हुये और उनमें सभापतियों को नाजायज फ़ायदे हुये। अपने सगे-संबंधियों को जमीन उठा दी। आज हरिजन और भूमिहीन मारा मारा घूम रहा है, उसको जमीन नहीं दी गयी मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हम शासन चलाने में सहयोग देना चाहते हैं लेकिन इस स्थिति में नहीं देंगे कि किसान भूखा मर रहा है, मजदूर भूखा मर रहा है। मंत्री जी इस बात को सुन लें कि पीलीभीत में काफ़ी जमीन पड़ी है, करीब-करीब साठ-पैंसठ हजार एकड़ भूमि पड़ी है। मंत्री जी बतलावें कि वहां भूमिहीनों के कितने फ़ार्म हैं, बाहर वालों के कितने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पीलीभीत को छोड़ दें, यहीं लखनऊ के चौतरफ़ा देखें कि क्या हालत है। लोग टूटी मड़ैया में रहते हैं, बहुत सों को रोटी भी खाने को नहीं है। आप अपनी तारीफ़ अपने मुंह से करना चाहते हैं। आप हमारी बात को सुनें, हमारे दुख को सुनें। मैं कहता हूं कि किसान को खाद मिले, किसान को वक्त पर बैल मिले। अगर यह सब हो तो किसान भी लखपती हो सकता है मैं स्वयं खेती करता हूं। किसान को आगे बढ़ाने का जरिया है कि जो जमीन पड़ी है सरकार उसका फ़ैसला कर दे। अगर वह यह न कर पायी तो बहुत बड़ी गम्भीर घटना देश के सामने खड़ी हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां ५० हजार एकड़ भूमि पड़ी है तो उसका बंटवारा क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

शिक्षा विभाग को ले लें। किसानों के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जैसा माननीय गंगा प्रसाद जी ने कहा हरिजन बच्चों की फ़ीस माफ़ हो और उन्हें वजीफ़ा मिलना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल भी टूटे पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कमाल हो गया। उन्होंने सदन की गरिमा घटा दी, महात्मा गांधी के नाम को बोर दिया और इस पर भी बने बैठे हैं देशभक्त। देश का मजदूर और किसान बेकार है, उसको रोटी नहीं मिल पा रही है। आप यहां चुन कर आये

[श्री किशनलाल]

हैं हजारों रुपया खर्च करके, पचास साठ हजार रुपये खर्च करके, लाख दो लाख तक खर्च करके। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं इसको पसन्द नहीं करता। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी तो हैं नहीं कृषि मंत्री जी मौजूद हैं। मैं अब अपनी बात कह कर समाप्त करता हूं मैं कोई बारीक बात नहीं कहता हूं मैं तो किसानों की मोटी-मोटी बात कहता हूं। सन् १९४७ के बाद आप देखें कि पीलीभीत के किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी है। कितनी कितनी सड़कें और कितनी नहरें वहां बनी हैं। मंत्री जी मोटर पर चलते हैं। जरा-सा खेतों में चल कर देखें तो किसानों की हालात मालूम होगी। उपाध्यक्ष महोदय आपको बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के समय दिया।

*श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सर्वविदित बात है कि हमारे प्रदेश का ही नहीं वरन सारे देश का मुख्य धंधा कृषि है और जब तक खेती में परिवर्तन न आवे किसानों में परिवर्तन न आवे तब तक हमारे देश में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। यह निर्विवाद सत्य है। हमारे किसान अपने पुराने हल बैल से खेती करने और रूढ़िवादी विचार के किसान रहे हैं लेकिन अब उनमें महान परिवर्तन आया है। हमारे किसानों के विचारों में परिवर्तन आया है। जब वह चाहता है कि उसे अच्छा खाद मिले, रासायनिक खाद मिले, उत्तम बीज मिले और सिंचाई की उसके लिए अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार की ओर से सतत प्रयत्न हुआ है और अब किसानों के रूढ़िवादी विचारों में परिवर्तन आ गया है। गांव के स्तर तक जो अधिकारियों द्वारा उन्नत बीज, रासायनिक खाद आदि के प्रयोग के संबंध में तथा जो अभियान चलाये जा रहे हैं उनका सब का असर पड़ा है। आज हमारा किसान प्राणपण से लगा हुआ है कि उसकी पैदावार कैसे बढ़े? आज किसान आतुर है उसमें अच्छे बीज, रासायनिक खाद तथा सिंचाई के लिये स्पर्धा जगी हुई है। आज किसानों में खाद और बीज के लिए झगड़ा होता है। आज किसानों में जागृति आई है और उत्पादन में भी सफलता मिली है। यह जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है, जो लोग गांव में रहते हैं, खेती में रुचि रखते हैं या खुद खेती करते हैं वह प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि किस तरह से परिवर्तन आया है, किस तरह से हमारी पैदावार बढ़ी है और किस तरह से किसान रूढ़िवाद को छोड़कर नये यंत्र, खाद और बीज का उपयोग कर रहा है और उनको प्राप्त करने के लिए सचेष्ट है।

एक बात भूमिहीनों की कही जाती है। भूमिहीन के माने हैं साधनहीन। अगर उसे गांव समाज में भूमि मिल भी जाती है तो भी वह उसके पास नहीं रह पाती है। या तो गांव के साधन सम्पन्न व्यक्ति होते हैं वह उसको खरीद लेते हैं या सामीदार बन जाते हैं, या फिर लेखपाल के कागजों में उलट फेर करा देते हैं जिससे कुछ दिनों बाद वह जमीन उसके पास नहीं रह पाती। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से छोटे उद्योगों को साधन और सहायता दी जाती है, जैसे उन्हें बिना ब्याज या कम ब्याज पर रुपया दिया जाता है, बिजली दी जाती है उसी तरह से भूमिहीनों को साधन और सहायता दिये जाने चाहिए, तब ही भूमि उनके पास रह सकेगी। जब तक बैल, हल, यंत्र, बीज, सिंचाई आदि के लिए साधन उन्हें हम मुहैया नहीं करेंगे तब तक उनके पास भूमि नहीं रह पाएगी। यह मेरा निजी अनुभव है कि भूमिहीनों को जमीन देकर भी वह उनके पास नहीं रह पाती है। इसलिए उनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिस तरह से हम उद्योगों के लिए कहते हैं कि इतने दिन तक सेल्स टैक्स नहीं लेंगे, बिजली सस्ती देंगे या ऋण बिना ब्याज देंगे, उसी तरह से भूमिहीनों को जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा, सहायता नहीं मिलेगी, उनकी समस्या हल नहीं होगी। भूमिहीनों को केवल भूमि देकर उनका संकट नहीं टाला जा सकता। वह तभी टल सकता है जब हम उन्हें एक विशेष वर्ग मानें। जैसे हरिजन या पिछड़े वर्ग की बात हम कहते हैं कि छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, पुस्तकें मिलनी चाहिएं, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसी तरह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से भूमिहीनों को भी एक विशेष वर्ग मानकर उन्हें विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो सहानुभूति और प्रेम हम उनके प्रति यहां दिखाते हैं वह तभी सार्थक हो सकता है।

खेती के साथ ही पशुओं का भी बड़ा भारी महत्व है। हमारे देश में बड़े-बड़े फार्मों के लिए आज ट्रैक्टरों की बहुत मांग है। जितनी मांग है उतने उपलब्ध नहीं हैं। ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध हो भी जाय तो भी अगर किसान को हम सम्पन्न और सुखी देखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उसके पशुधन की ओर भी ध्यान दें। आज हमारे बहुत से पशु चिकित्सालय हैं, स्टॉकमैन हैं जो पशुओं की बीमारी का इलाज करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से पशुओं की नस्ल सुधारने का कार्य हो रहा है। यह सराहनीय कार्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन फिर भी पशुओं की तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये क्योंकि पशुधन और कृषि धन का बड़ा ही घनिष्ट संबंध है। कृषि का विकास जितना आवश्यक है, उतना ही पशु का विकास भी आवश्यक है। यदि हमने ट्रैक्टर आदि पर ही ध्यान दिया, और पशुओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो कृषि की उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि इन्हीं से किसानों के बच्चे हृष्ट पुष्ट होते हैं, दूध और घी मिलता है, तथा कृषि के कार्यों में भी यह अधिक सहायक होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के जंगल में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि अगर इसमें फंस गया तो जो सही बातें हैं वे धरी रह जायेंगी। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज किसानों के ऊपर दो तरफ से विकट संकट आया हुआ है, एक तो कस्टोडियन की तरफ से और एक वन विभाग की तरफ से। कस्टोडियन की तरफ से जो जमीनें किसानों ने खरीदी थीं, आज बेईमान लोग उन पर अपना कब्जा किये बैठे हैं। इन जमीनों के संबंध में आज भी मुकदमें चल रहे हैं और किसान बुरी तरह इस मुकदमें के दल दल में फंसे हैं। इनके मुकदमें दिल्ली में चल रहे हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। सरकार को इन किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिये और किसी तरह से इन किसानों को मुकदमों से छुटकारा दिलाना चाहिये तथा उनकी जमीनें उनको दिलवाना चाहिये।

इसके अलावा, श्रीमन्, आज वन विभाग ने भी किसानों को परेशान कर रखा है। वन विभाग ने जमीन को कांटेदार तारों से घेर रखा है। उस जमीन पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है जिस जमीन का किसान लगान दे रहे हैं और वह जमीन उनके किसानों के नाम से कागज में दर्ज है। लेकिन इस तरह से उस जमीन को तारों से घेर रखा है कि न तो किसान अपना हल वहां ले जा सकता है और न बैलों को ही ले जा सकता है। तमाम वर्षों से जिस भूमि पर किसानों का कब्जा रहा है, आज उसे वन विभाग ने हड़प रखा है। इस जमीन पर न तो मेड़ ही हो सकता है और न कोई बीघा जम सकता है, किन्तु उस जमीन पर हजारों मन धान पैदा किया जा सकता है। सब जानते हैं कि जहां पर पानी आसानी से पहुंच जाता है वहां पर धान की पैदावार आसानी से हो सकती है। किसानों ने तमाम एकड़ भूमि को जो ऊसर थी, बंजर थी, अपने परिश्रम से खेती योग्य बनाया था, किन्तु उसको वन विभाग ने अपने कब्जे में कर रखा है। मैं माननीय कृषि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और जिन किसानों ने अपने परिश्रम से उस जमीन को खेती योग्य बनाया है उनको उन्हें इनाम देना चाहिये। खेतों से संबंधित जो झगड़े हैं वे २० साल से चल रहे हैं और अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। खत आज किसी के नाम है और लगान कोई और दे रहा है और जमीन को कोई तीसरा ही लिये भाग रहा है। मंत्रीजी को चाहिये कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को अपना हक मिले और वे यह समझें कि यह उनका ही खेत है।

खाना कैफियत के अन्तर्गत देखा गया है अक्सर चालाक किस्म के लोग कब्जा लिखा लेते हैं और गरीब आदमी मारा मारा फिरता है। अदालतों के चक्कर काटता है। वकीलों पर

[श्री सजीवन लाल]

पैसा फेंकता है। इसकी तरफ भी कदम उठाया जाय ताकि इस तरह की बेईमानी उन गरीबों के साथ न हो सके। बाज वक्त हमने यह भी देखा है कि बड़े-बड़े चक बंजर, तालाब या ऐसी कोई जमीन जिसका एक ही नम्बर है और वह भूमि पचास या ६० बीघा है उसमें छोटे-छोटे कड़े करके ये गरीब आदमी जोते हुए हैं और बेईमान किस्म के आदमी भूतपूर्व जमींदार जब चाहते हैं तब कब्जा कर लेते हैं और इतने बड़े-बड़े प्लाटों में वे कहते हैं कि किस जगह पर नम्बर है, वह जोत नहीं पाता क्योंकि पूरे प्लाट का नम्बर एक है। उसमें किसी एक जगह का पट्टा नहीं पड़ा है। तो ऐसी हालत में गरीबों के खेत छीने जा रहे हैं और इस तरफ सरकार का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय मुकदमों के जरिये से किसान परेशान किया जा रहा है। उसकी एक तरफ से अदालतों में लूट हो रही है और उन मुकदमों में जिनमें दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह साल तक लगातार पेशियां ही पड़ती रहीं हैं, ऐसे मुकदमों का निपटारा जितनी जल्द हो सके किया जाय ताकि किसानों को कुछ राहत और सुविधा मिल सके। जब किसी को तहसीलों के अन्दर रजिस्ट्री आफिस में जब कोई बैनामा या हिबानामा करना होता है तो यह सरकार से यह परम्परा पड़ गई है कि उसका बीस गुना जमा करे और फिर रजिस्ट्री आफिस में इतनी लूट होती है कि कहा नहीं जा सकता। इसका असर किसानों पर पड़ता है। इस पर विशे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो इससे हमारा और समाज का नुकसान हो रहा है और किसानों का भी नुकसान हो रहा है। नहरों के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि यह बात खास तौर से कही गई है और सर्वविदित है सिंचाई, खाद और बीज तीनों चीजें किसानों की आवश्यकता की हैं। सिंचाई के संबंध में नहरों की सफाई बहुत मुश्किल से हो पाती है और अगर हुई तो ज्यादातर पैसा केदारों की जेब में चला गया और मिट्टी फसली कुलाबों में पड़ी रह जाती है और इस तरह और भी ज्यादा किसानों पर आफत आ गई है। १५ जून को फसली कुलाबे दिये जाते हैं लेकिन १५ जून से कितना अधिक समय हो रहा है फसली कुलाबों का पता नहीं है कब मिलेंगे। यहां नहर विभाग के अधिकारियों के पास लिस्टें अभी तक पहुंची हैं या नहीं। यही कारण है कि इस बार धान की पैदावार कमजोर होगी और यही नहीं इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि फसली कुलाबों का आर्डर १५ जून तक पहुंच जाना चाहिये और अगर नहीं पहुंचता तो उसका असर धान की पैदावार पर खासतौर से पड़ता है।

मुझे यह भी कहना है कि जिन जगहों में चकबन्दी हुई है वहां जमीन किसानों ने या और लोगों ने तोड़कर मिला ली है। किसानों की पहुंच वहां मुश्किल हो रही है। एक और निवेदन करना है कि ब्लाकों के जरिये से घनघोर लूट हो रही है। पम्पिंग सेट के लिये जब पैसा किसान मांगता है तो उनको पांच-पांच सौ या चार-चार सौ रुपये घूस देकर कर्जा मिलता है। मैंने मंत्री महोदय के पास दरख्वास्त दी थी और उसकी आज तक जांच नहीं की गई। उसका प्रथम नम्बर था हसनगंज ब्लाक में कि इसको रुपया पहले दिया जाय। वह पांच सौ रुपया, बी० डी० ओ० को नहीं दे सका उसकी वजह से वह पंपिंग सैट उसको नहीं मिल सका। इस तरह से भ्रष्टाचार श्रीमन, बढ़ रहा है। किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिये जो उचित कदम हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। जानवरों की नस्ल सुधार के लिये हर पंचायती क्षेत्र के अन्दर एक सांड छोड़ा जाय जो उत्तम किस्म के हों ताकि जानवर अच्छे पैदा हो सकें और दूध दही अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। गांव-गांव के अन्दर कोआपरेटिव सोसायटीज और सीड स्टोर खोले जाय जिससे शुद्ध गल्ला गांवों में मिल सके। एक मकूर गांव है और वह उत्तर प्रदेश का मशहूर गांव है। वहां पर ४ बार चौधरी चरणसिंह जी हो आये हैं और यहां के गवर्नर साहब भी हो आये हैं और वहां का उन्होंने मुआयना किया है। यह प्रदेश का मशहूर गांव है जो धान के मामले में इनाम पा चुका है। वहां पर सीड स्टोर की मांग है, जानवरों के अस्पताल की मांग की गई लेकिन आजतक न मालूम किस कारण से उस गांव की तरफ से मुख मोड़ लिया गया है। जहां के किसान प्रगतिशील हैं, खेती में आगे हैं और सुविधायें चाहते हैं तो सरकार की तरफ से उनकी मांगों की ओर तो विशेष ध्यान दे ा चाहिये। हम चाहते हैं कि वहां सड़कें बनाई जाय ताकि गांव की उपज आसानी से

मंडियों तक जा सके और उन्हें ठीक दाम उन के गल्ले के मिल सकें। पक्की सड़कों का प्रबन्ध वहां के लिये बहुत ही जरूरी है। अस्पताल और खास तौर से मवेशियों के अस्पताल की बहुत ही आवश्यकता है, चूंकि उन का सीधा संबंध पशुपालन से है। आजकल पशुओं के अस्पताल भी ज्यादातर शहरों और कस्बों में या वहां की सड़कों के किनारे बना दिये जाते हैं ताकि डाक्टरों को सुविधा हो। केवल डाक्टरों की ही सुविधा नहीं देखना चाहिये बल्कि जिस उद्देश्य से यह डाक्टर रखे गये हैं वह सिद्ध होता है या नहीं यह देखना चाहिये। जरूरी है कि यह अस्पताल गांवों के अन्दर बनाये जायं ताकि पशुओं की चिकित्सा ठीक से हो सके।

नहरों के संबंध में मेरा कहना है कि नहरों की सफाई अगर समय से जल्दी नहीं कराई जाती है तो उस से कृषि को बहुत नुकसान होता है और समय से पानी नहीं पहुंच पाता। दूसरे खास तौर से हमारे उन्नाव जिले में सरकार की ओर से एक भी नलकूप नहीं बना है, वहां पर ड्रिलिंग कराई जाय और देखा जाय कि वहां नलकूप लग सकते हैं या नहीं। प्राइवेट नलकूप बने हैं और उनसे वहां सिंचाई हो रही है। मैं चाहता हूं कि वहां भी नलकूप बनवाये जायं ताकि सिंचाई के लिये कृषकों को सुविधा हो।

दूसरे पंचायतों के विषय में मेरा कहना है आज भी हमारे यहां जमीनें परती पड़ी हैं। आपको उपध्यक्ष महोदय, मालूम है कि ऊसर बंजर जमीनें पड़ी हैं। वहां अगर पाताल तोड़ कुएं और पानी के साधन दिये जायं तो लाखों मन धान गेहूं पैदा हो सकता है। यह जमीनें इन सुविधाओं को देकर अगर भूमिहीन किसानों को दी जायं तो उन का भला हो सकता है क्योंकि वह लोग मेहनत और अपने बाहुबल से खेती से सम्पर्क रखते हैं। उनको अभी तक जमीनें नहीं मिली हैं। भूमिहीनों को जमीनें दिलाना बहुत ही आवश्यक है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री गोपाल दत्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जिन सदस्य का अभी आपने नाम पुकारा है वह बैठे थे और आप की आई ने भी उन को कैच नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष—

कांग्रेस के कोई दूसरे सदस्य अभी नहीं बोले थे।

श्री जगवीर सिंह—

श्रीमन्, नियमावली के हिसाब से तो आपको केवल उसी को बुलाना चाहिये जो खड़ा हो और जिसको आपकी आई कैच करे....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें...

श्री चेतराम गंगवार—

उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

मैं कई बार उठा बैठा, लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया। ४-६ बार मैं खड़ा हुआ लेकिन आपने समय नहीं दिया, इधर के लोगों को एक बार तो समय मिल जाया करे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस बार कांग्रेस के सदस्य के बोलने का समय था। यह जरूर है कि वह थोड़ा सा हिचक के साथ उठे, मेरी नजर घूमी, आप की तरफ भी मैंने देखा अगर आप कहते हैं कि हम में से बुलाया जाय तो मैं देखता, लेकिन उससे पहले ही मैंने श्री गोपाल दत्त का नाम पुकार दिया। अबकी बार कांग्रेस पक्ष के सदस्य को समय देना था। किसी ने एतराज किया होता कि कोई नहीं खड़ा होता और विरोधी पक्ष को मौका देना चाहिये लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया तो मैंने उनको समय दिया। मैं यह जरूर चाहूंगा कि सिर्फ नाम देना ही काफी नहीं है। माननीय सदस्य को खड़ा भी होना चाहिये।

श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनदान की मांग का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, यह बात निर्विवाद है और माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों का यह कहना सर्वथा गलत है कि २० साल की इस अवधि में कृषि की कोई उन्नति नहीं हुयी है। मैं यह किसी भी दशा में मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कृषि की दशा बहुत ही खराब है। यहां पर माननीय शिवराज सिंह जी, जो सदन के बड़े पुराने और वयोवृद्ध सदस्य हैं, ने यह साबित करने के लिए बड़े-बड़े आंकड़े प्रस्तुत किये कि इस २२ वर्ष की अवधि में कृषि में कुछ तो प्रयत्न किए गये पर जितनी उन्नति होनी चाहिए वह नहीं हो सकी। अगर वे संतुलित विचार सोचें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस अवधि में कृषि में जरूर उन्नति हुयी है। मैंने अभी हाल में आधुनिक खेती के बारे में एक पुस्तक पढ़ी। उसके पढ़ने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरे देश में जो गल्ला पैदा हुआ है हमारे प्रदेश में उसका १८.४८ प्रतिशत पैदा हुआ, आलू ३३.०५ प्रतिशत पैदा हुआ और गन्ना ४७.३५ प्रतिशत यहां पर पैदा हुआ। जितनी तिलहन हिन्दुस्तान में पैदा होती है सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में हुयी है। अगर इन आंकड़ों का मूल्यांकन करते हैं तो विदित होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गल्ला पैदा हुआ है।

यहां पर विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं गया। हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं एक कृषक हैं, उन्हें पुरानी जानकारी है। उन्होंने जो माननीय सदस्यों ने सदन में कहा, उसे सुनने की कोशिश की परन्तु इस सदन की मर्यादा, और हमारी भी परम्पराएं हैं, इस दृष्टि से उन तथ्यों को सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रथम पंच वर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी, द्वितीय और तृतीय पंच-वर्षीय योजना में भी दी गयी। आज हमारे सामने चौथी पंचवर्षीय योजना है। इसमें भी खेती को प्राथमिकता दी गयी है। इस वर्ष का बजट हमारा १६० करोड़ रुपये का है। अगर इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें भी सबसे बड़ी रकम सिंचाई और बिजली के लिए रखी गयी है जिससे कृषि आगे बढ़ सकती है। प्रदेश में एक निगम बनाया गया है (एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन) जिसमें हमें ट्रैक्टर आदि मिलते हैं आज पहाड़ी क्षेत्रों में ३०-३० मील पर फूट बैल्टस बने हुए हैं।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनकी आवाज सुनायी नहीं देती है। या तो वे स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं और या लाउड-स्पीकर की आवाज खराब है। कृपया उसे ठीक करवाने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया जरा माइक से हट कर भाषण दें?

श्री गोपाल दत्त—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जिस प्रकार से हिमांचल प्रदेश में फलों के उत्पादन की उन्नति हुयी है उसी प्रकार से हमारे यहां पर फलों की बैल्ट्स बनायी गयी हैं, हमारे कृषि उद्योग निगम से बड़े। आप देखते हैं कि बड़े-बड़े ट्रैक्टर आज दिये जा रहे हैं और आशा की जाती है कि जापान की तरह से यहां भी पैदावार बढ़ जायगी। वहां पर १५ प्रतिशत जमीन में खेती की जाती है और १० करोड़ आदमी के लिये उसमें खाना हो जाता है। कहा जाता है कि पहाड़ों में खेती नहीं हो सकती लेकिन आपको वहां का तजुर्बा नहीं है। पिथौरागढ़ में २७ परसेंट की कमी खाद्य की है और अगर सिंचाई के साधन मुहैइया कर दिये जाय कृषि उद्योग निगम के द्वारा जापानी हल दे दिये जायं जो एक बैल से चलता है तो कृषि में वहां जरूर उन्नति होगी।

उत्तराखंड के लिये सदन की एक समिति बनी। उसने बताया कि वहां नदियां तेजी से चलती हैं जिनसे बड़ा कटान हो रहा है और उससे मैदान में बाढ़ आ जाती है। आज तक वहां भूमि संरक्षण कार्य किया जा रहा है जो कि तीन ढंग से होता है कृषि योग्य भूमि के द्वारा, ब्लाक द्वारा और फारेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें कोआर्डिनेशन होना चाहिये। कृषि मंत्री ने हमारे वहां सबसे पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भूमि संरक्षण की योजना चलाई है। इसके लिये ३ लाख ५३ हजार की व्यवस्था की है। इस योजना में कुछ इंस्पेक्टर और चार क्लर्क रखे गये हैं। क्या यह रुपया कार्यालय के लिये रखा गया है? हजारों एकड़ भमि कटकर बेकार हो गयी है। भूमि संरक्षण के कार्य को नये ढंग और नये तरीके से सोचना चाहिये और आगे के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

बहुत अर्से से यह बात कही जाती है, विरोधी पक्ष भी कहता है कि फसल का बीमा कर दिया जाय किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अगर हमारे यहां १०० में ७४ आदमी खेती के कार्य पर हैं तो पंजाब में ६४, अमेरिका में १२, इंग्लैन्ड में ५ आदमी हैं। अगर किसान की सुरक्षा के लिये फसल का बीमा करना सम्भव है जिससे उसे सामाजिक सुरक्षा मिल सके और उसकी उन्नति हो सके तो माननीय मंत्री जी इसको लागू करने की कोशिश करेंगे।

पहाड़ों में कृषि की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि वहां लिफ्ट इर्रीगेशन की सुविधा दी जाय। इससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी और खेती को वहां के लोग आगे बढ़ा सकेंगे। लिहाजा लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम उत्तराखंड में जगह-जगह लागू की जानी चाहये।

उपाध्यक्ष महोदय, पंतनगर में जो यूनिवर्सिटी है वहां पर विद्यार्थी ४ घंटे खेती का काम भी करते हैं। सीखो और काम करो वहां पर इसकी व्यवस्था है। विद्यार्थी हल चलाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। वहां बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। अल्मोड़े में विवेकानन्द लेबोरेटरी है। संकर मक्का, मेक्सिकन गेहूं, ताईचून वगैरह में सर्वेक्षण होता है, उनको और उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न होता है। पंतनगर में भी यह सब होता है? वहां पर फूड टेक्नोलाजी एन्टीमोलोजी भी शामिल कर दी जाय। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन से मिला एरिया है धारचूला वहां एक हजार मन हाल में आलू का बीज खराब हो गया कीड़ा लगने से जिससे सारा आलू खराब हो गया। उन भोटियों को बड़ी परेशानी हो गयी। इसलिये मेरा कहना है कि पंतनगर में हाई आल्टीट्यूड पर फसल लगाने का एक शोधशाला बनाया जाय, एक माडल फार्म बनाया जाय जहां बीज पैदा किये जा सकें और उनसे उत्तराखंड के जिलों में खेती कराये जाय। होता यह है कि लखनऊ में बैठ कर जो बीज पैदा किया जाता है वह ऊंचाई पर काम नहीं आता।

[श्री गोपाल दत्त]

अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया और मंत्रीजी से आशा करता हूं कि वे पहाड़ी जिलों की समस्याओं की ओर ध्यान देंगे ताकि वहां खेती की पैदावार बढ़ सके ,

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आज सुबह से इस सदन में बी० के० डी०, जनसंघ और सं ोपा के लोग लगातार बोल रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बराबर खड़े होते रहे हैं, परन्तु अभी अवसर नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जो अब व्यवस्था है, उसके अतिरिक्त अन्तर्द्वन्द ऐसा है कि जो पैदावार है उसमें भी हानि हो जाती है। जो लोग खेती करना जानते हैं उनको खेती का कोई लाभ नहीं मिलता। खेती बड़े किसान तिकड़म बाजी से ही बनाये हुये हैं। वे लोग खेती के नजदीक नहीं जाते। यहां तक कि सब खेतों की मेड़ नहीं जानते किस खेत का कितना रकबा है, किस में कितना बीज पड़ता है, यह उनको कुछ नहीं मालूम लेकिन पैदावार का सारा अंश अपने घर में उठा ले जाते हैं और जो किसानी करता है उसके भरण-पोषण के लिये कोई चीज नहीं मिलती। उसको अपने जीवन में निराशा ही दिखायी देती है जिसके कारण वह मन से खेती नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि जो पैदावार बढ़ाने की सरकार की स्कीम है वह भी नहीं पूरी हो पाती। दूसरी बात यह है कि जैसे गाय के पीछे कुट्टा बैल कितने ही टहला करें लेकिन बछड़ा नहीं दा हो सकता उसी तरह से जबतक खेती में काम करने वालों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा खेती की पैदावार बढ़ नहीं सकती सरकार चाहे जितनी कोशिश करें। मैं जब रेल में सफर करता हूं तो देखता हूं कि रेलवे लाइन या पक्की सड़क के किनारे हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है। उसको सरकार अपने पास रख कर बिला वजह बेकारी बढ़ाती है। सरकार को चाहिये कि उस जमीन को पट्टे के रूप में दे दिया करे। इसके अलावा जो बंजर, परती या भीटा खेती करने के योग्य जमीन है उसको खेती के अन्दर जरूर लाया जाय ताकि पैदावार में वृद्धि हो। देहात में आम तौर से चौथाई खेती विवादग्रस्त होती है और दोनों गोल-वादी और प्रतिवादी मेहनत से बुआई करते हैं लेकिन जब फसल तैयार होती है तो कागज पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उसके अभाव में फसल को काट कर नष्ट कर देते हैं। इससे पैदावार को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके लिये सरकार को कोई सक्रिय कदम उठाना चाहिये। ताकि इतने अधिक अन्न की रक्षा हो सके।

जलमग्न भूमि की ओर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। उनमें बुआई होती है लेकिन जो बीज वह अधिक पानी को बरदाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे बीजों का आविष्कार होना चाहिये जो अधिक पानी को बरदाश्त कर सकें। वह बीज किसानों को दिया जाना चाहिये। जब भूमि जलमग्न हो जाती है तो उसमें पैदावार नहीं होती, लेकिन आपके कर्मचारी अपनी कारगुजारी दिखाने के लिये फसल लिख देते हैं जिसके कारण उसको छूट भी नहीं मिल पाती है एक तरफ तो उसकी फसल चली जाती है और दूसरी ओर उसको मालगुजारी भी देनी पड़ती है हानि में हानि उठने के कारण किसान की कमर टूट जाती है। सरकार को इस ओर भी ध्यान ना चाहिये।

मैं गोरखपुर की बांसगांव तहसील का रहने वाला हूं। वहां की आबादी बहुत घनी है। लगभग ३० मील लंबा और ६ मील चौड़ा एक भूमि का टुकड़ा है। वहां पानी की बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमी है। कोई ट्यूबवेल नहीं है। वहां सिंचाई मंत्रीजी और कृषि मंत्री जी ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करें।

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं घुरियापार क्षेत्र से चुना हुआ सदस्य हूं। सरजू कुआनों नदियों का क्षेत्र है। वहां न कोई सड़क है और न कोई बिजली का खंभा है। मेरी प्रार्थना है कि इस दुआबा के क्षेत्र में बिजली जल्द से जल्द दे दी जाय। रोहिन, राप्ती, आमी और कुआनों नदियों का पानी उठा कर सिंचाई के लिये किसानों को दिया जाय। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारी तहसील में कोई उद्योग धंधा नहीं है। मेरा सरकार को सुझाव है कि बांसगांव तहसील के ४ विधान सभाई क्षेत्रों में ५ नहीं तो २–२ उद्योग धंधे अवश्य खोल दिये जायं।

भूमिहीनों की समस्या बहुत विकट है। उनको केवल शब्दों के जालों से प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। उनमें दिनों दिन निराशा बढ़ती जा रही है। भला कैसे उनको संतोष हो सकता है। स्वराज्य उनको नहीं मिला है। स्वराज्य का लाभ तो मोटरों वाले और बड़े-बड़े लोगों को ही मिला है। उनका स्वराज्य तो पहले ही था वही आज भी है। जो दुखी था, स्वराज्य से उसका दुख दूर होना चाहिये, वह नहीं हुआ उसको तो अब भी वही निबुआ और नून तोड़ना पड़ रहा है। ऐसी दशा में ज्यादा ध्यान देना चाहिये अन्यथा किसी दिन यह घाटा हमें कस कर उठाना पड़ेगा। मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह से चौधरी साहब के मंत्रित्वकाल में जमींदारी टूटने से देहात में चर्चा चली आती है उसी तरह से आज जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों के संबंध में अपना कदम उठाया है उसको हमारे देश के इतिहास में एक बड़ा ऊंचा स्थान मिलेगा। ऐसी दशा में जाती हुई कांग्रेस के मंत्रित्वकाल में माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जमीन का बंटवारा करें जिससे उनका नाम देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा रहे।

श्री जगवीरसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी ने जो सदन के समक्ष अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि हम आज ऐसे अनुदान पर वाद-विवाद कर रहे है, जिस पर कटौती का प्रस्ताव लाते हुए बड़ी झिझक होती है। क्योंकि यह हमारे जन जीवन से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत आशा नही है इस सरकार से कि यह कृषि के क्षेत्र में कुछ कर सकेगी। मुझे आशा नहीं है कि सरकार का मुख्य मंत्री किसान का बेटा न हो, जिस सरकार का कृषि मंत्री किसान का बेटा न हो जिस महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी किसान का बेटा न हो, वह कृषि में कुछ कर सकेगा इसमें संदेह होता है। अध्यक्ष महोदय मैं अपने कर्त्तव्य पालन में कुछ बातें आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि महकमे का काम करने में सुधार कर सके, प्रदेश की पैदावार बढ़ाने में कुछ सफलता प्राप्त कर सकें ताकि हम अपना सिर ऊंचा करके दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में कुछ कह सकें।

अध्यक्ष महोदय, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कहां है और क्या इसकी नीति है जो हमारे कृषि मंत्री चलाना चाहते है उसका एक पैमाना हुआ करता है और वह आंकड़े होते हैं। मैं आप के द्वारा कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो इस बात को निर्विवाद सिद्ध करते हैं कि हमारा प्रदेश आज दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पैदावार में पिछड़ा हुआ है। आखिर कारण क्या है। कांग्रेस बेंच से एक मित्र बोल रहे थे। ग्रीन रिवोल्यूशन का बड़ा जिक्र किया जाता है। मैक्सीकन वैराइटी बड़ी पैदावार बढ़ गयी है

[श्री जावीर सिंह]

टाइप्ड नम्बर १ का बड़ा जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा बतलाऊं कि पैंडो में हमारा प्रदेश दूसरे सब प्रदेशों से पिछड़ा है। मैसूर की पैदावार १५.८४ क्विन्टल प्रति हेक्टर है जबकि हमारे प्रदेश की ७.३६ क्विन्टल प्रति हेक्टर है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा शोर है कि हमारी पैदावार बढ़ गयी है। सब प्रदेशों से पिछड़ा होना ही हमारी सफलता का द्योतक है। इसके लिये हमारे दोस्त कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। इतना ही नहीं हमरा सिर शर्म से झुक जाता है कि केवल नागा लैण्ड को छोड़ कर बाकी सब प्रदेशों से हमारा प्रदेश पीछे है। मैसूर और मद्रास से पैदा में हम बहुत ज्यादा पीछे है फिर भी सिर ऊंचा करके हम कहते है कि हमारी पैदावार बढ़ गयी है। यहां पर अध्यक्ष महोदय, शंकर मक्का भी खेती का बड़ा जिक्र किया। मैं नहीं जानता कि ऐसा कहने वाले मित्र शंकर मक्का की खेती करते हैं या नहीं। अगर कोई चीज हमारे यहां नाकामयाब हुई है तो वह शंकर मक्का है— और मैं आप के द्वारा एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। उस महकमें के एक बहुत बड़े अफिसर को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं जिनको खेती में बहुत दिलचस्पी है। उनको भी शौक हुआ शंकर मक्का बोने का। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नतीजा शून्य और फिर कहां है हम सबके मुकाबले मक्का की पैदावार में पंजाब में १६.४८, राजस्थान में १३.७५, महाराष्ट्र में १३.५५, आंध्र प्रदेश में १२.१४। गुजरात में ११.७०, बिहार में जो बहुत गरीब प्रदेश है वहां ११.४२ हरियाना में १०.९८, उड़ीसा में ९.९३ और वेस्ट बंगाल में ८.८९ और उत्तर प्रदेश में ७.९३, फिर हमारे अधिकारी और हमारे सामने बैठे हुए मित्र जो कहते हैं उस पर आप ही स्वयं विचार करें।

अध्यक्ष महोदय यहां बहुत चर्चा मैक्सिकन गेहूं का किया लेकिन उसके बावजूद हमारे यहां उसका उत्पादन उतना बढ़ा नहीं है। एक माननीय मित्र कह रहे थे कि केवल गेहूं की पैदावार से ही प्रदेश की गरीबी दूर हो गयी। उनका कहना था कि गेहूं का उत्पादन इतना अच्छा था कि राख की मुट्ठी डालने से वह नीचे नहीं गिर सकती थी लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि हम गेहूं की पैदावार में कितने पीछे है। पंजाब में गेहूं की पैदावार की हेक्टर है १८.८५ क्वीन्टल, हरियाना में १७.३४, गुजरात में १२.६ और हमारे यहां ११.८२। इसी तरह से ज्वार की पैदावार के सम्बन्ध में बतलाऊं कि पंजाब में ९.९५, महराष्ट्र में ६.६३, मद्रास में ५.४४, मध्य प्रदेश में ५.३९ और यू० पी० में ५.२६। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े केवल इसलिये दे रहा हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी समझें और सोचें कि हमारा प्रदेश पैदावार में क्यों पीछे रहता है जबकि और प्रदेश तरक्की करते जाते हैं। यहां गन्ने का भी जिक्र आया। तो गन्ने के आंकड़े भी मैं आप के द्वारा दे देना चाहता हूं। हमारे यहां पहली, दूसरी और तीसरी योजनाएं चलाई गयी और चौथी योजना में हमारा पदार्पण है। मुझे तीसरी पंचवर्षीय योजना के केवल तीन वर्ष के ही आंकड़े मिले है। आंकड़े क्या कहते हैं ? आंकड़े कहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सन् ६२–६३ से आरम्भ हुई और कांग्रेस को ही उस वक्त सौभाग्य प्राप्त था, इन कुर्सियों पर बैठने का। मैं भी उस समय कांग्रेस में ही था परन्तु मेरी बात मानी नहीं जाती थी। उस वक्त गन्ने की पैदावार फी बीघा ४१६.४६ मन–सन् ६२–६३ में लेकिन ६३–६४ में वह घटी, बढ़ी नहीं। वह ४.९. मन हो गयी ६४–६५ में वह और घटी और ४००. मन हो गयी। बाद के आंकड़े मुझे उपलब्ध न हो सके, हो सकता है कि इधर पैदावार बढ़ा हो। लेकिन ट्रेंड था तीसरी योजना में गन्ने की पैदावार घटने की–कुल क्राप्स की पैदावार में यह प्रदेश और प्रदेशों से बहुत पीछे है। कारण क्या है यह सोचना पड़ेगा। अगर यही हालत रही तो हमारे प्रदेश का होना क्या है ? मैंने पहले भी कहा हमें किसान को इंसेंटिव देने होंगे नहीं तो खेती की पैदावार बढ़ेगी नहीं। हमारे आर्म चेयर पालिटीशियंस और आर्म चेयर आफिसर्स खेती की पैदावार नहीं बढ़ा सकते। हमारी सरकार ने इंसेंटिव देने के बजाय क्या किया है। फर्टलाइजर की मांग १९६६ से आज तक २५ प्रतिशत हर वर्ष बढ़ गयी है। हमारे यहां कम्पोस्ट खाद चलती थी, ए०डी०ओज कम्पोस्ट की छटनी कर दी और कम्पोस्ट पर जो पहले सब्सिडी मिलती

थी वह समाप्त कर दी। गर्मियों में जो लेगुमनस क्राप्स बोई जाती थी उन पर सिंचाई कर नहीं पड़ता था वह लागू कर दिया। यह इंसेटिव है, हमारे सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी। उन्हें एलान करना होगा कि हमें किसान को मिनिमम इकानमिक फेयर प्राइस देनी है। जब किसान को यह यकीन होगा कि उसको एक निश्चित मूल्य मिलेगा तो वह पैदावार बढ़ायेगा। हमें करना होगा कि कैटिल इंश्योरेन्स लागू करनी है। हमें तय करना होगा कि ट्यूबवेल का इंश्योरेन्स होना चाहिये, क्राप का इंश्योरेन्स होना चाहिये। कुछ दोस्त कहते हैं कि क्राप्स इंम्योरेन्स का जहां तजुर्बा किया गया वहां नाकामयाब रहा। हमें तजुरबा करना होगा और यदि किसान की खातिर हमें नुकसान भी पड़ जाय तो भी तजुर्बा करना होगा। हमें विचार करना होगा कि किसान जो चीजें खरीदता है उसकी गेरांपिंग कीमतें बढ़ी हैं। जिस समय किसान बाजार में जाता है वह अपनी पैदावार होलसेल प्राइस पर बेचता है और जिस समय वह दूसरी चीजें खरीदता है तो वह रिटेल में खरीद कर लाता तो किसान की पैदावार क होलसेल प्राइस की पैरीटी अन्य चीजों की रिटेल प्राइस से दिलानी होगी। आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। हमारी जरूरियात की चीजों की रिटेल कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं बनिस्बत किसान की पैदावार की होलसल प्राइस के। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि रिसर्च का जिक्र किया गया। ठीक है मैं रिसर्च वालों को धन्यवाद देता हूं जो रिसर्च के मुहकमें ने किया है। लेकिन उसका असर क्या है? हमारे यहां राधा चना पैदा किया गया क्या हमारा मुहकमा उसे आज तक किसानों तक पहुंचा पाया? शोभा अरहर पैदा की गयी। यह विभाग उसको किसानों तक पहुंचाने में आज तक नाकामयाब रहा।

इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी अपनी मूल नीतियों को बदलें और किसान को इंसेटिव दें और पैदावार बढ़ाएं ताकि हमारा प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में सर ऊंचा करके रह सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिव राज सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लालसा प्रसाद (जिला बस्ती)––

माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के साथियों मैं आप बीती बताना चाहता हूं। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं और जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं, पहले मैं सी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जिस गांव में मैं रहता हूं वह गांव बड़ा दरिद्र था, उस एरिया में हमेशा बाढ़ आया करती थी, बाढ़ के एरिया म १०० गांव थे, और उन्हीं में मेरा गांव भी एक था। लेकिन ४–५साल से बाढ़ नहीं आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना दरिद्र गांव रहा कि दूसरे गांव से जो गल्ले का व्यापार करते थे सूद पर गल्ला देते रहे और उनके यहां से ४–४ कोस से गल्ला ला के खाया करते थे। आज वह करीब ४–५ साल से लेने नहीं जाते हैं। हमारे पास ६ एकड़ जमीन है, जब से मैं काम करने लायक हुआ हूं तब से वह जमीन हमारे पास है उस जमीन से जो पैदावार हमारे घर हो रही थी कभी भी बची नहीं सिवाय अलसी के, न कभी धान बचा, न मटर बची, खाने के लिये हम पूरा नहीं कर पाते थे, दूसरे के यहां से खरीद कर खाते थे। लेकिन आज हालत यह है कि कोई किसी से कर्ज नहीं ले रहा है, जो सूदखोर गल्ला वाले थे उनके बखार वैसे पड़े हुए हैं और उनसे कर्ज लेने वाला कोई नहीं है। कर्ज इस तरह से देते थे २० सेर देते थे, २५ सेर वसूल लेते थे। जिस किसान के पास खेत नहीं है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसे मजदूरी कम मिलती है, लेकिन मेरे गांव के पूर्व गांव में एक ईंट का भट्ठा खुल गया, पश्चिम और दक्षिण तरफ में एक एक भट्ठा खुल गया तो मजदूरों की भी कोई समस्या नहीं है तो जब मैं मजदूर बुलाने

[श्री लालसा प्रसाद]

अपने गांव में पहले जाता था तो एक को बुलाता था तो ५ आदमी जाया करते थे और आज जब जाता हूं तो ५ को बुलाता हूं तो कहीं एक मिलता है। मैं किसी दूसरे जिले या क्षेत्र की बात नहीं बताना चाहता हूं, मैं अपने ही क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं, आज यह हालत पैदा हो गयी है कि जो ८-८ मील जाकर कर्ज लेते रहे, १० आदमी ऐसे थे, जो कर्ज सूद पर दिया करते थे,आज उनका गल्ला पड़ा हुआ है मेरे पास मेरे एक पट्टीदार आए हुए हैं उनके पास भी २ बखार धान के पड़े हुए हैं जिसको किसान ने लिया नहीं है। वह कह रहे थे कि आज गांव के आदमी सूद पर गल्ला नहीं ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि प्रदेश की गरीबी दूर नहीं हुई है, पूरा देश ऐसा नहीं हुआ है। मेरे यहां अब कोई गल्ला दूसरे के यहां से कर्ज नहीं ले रहा है, तो उसी तरह से और क्षेत्रों के बारे में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि सूबे का हर क्षेत्र मेरे क्षेत्र की तरह हो गया है। मैं अपने खेत को कल ही देखने गया---

(व्यवधान)

श्री रुद्रपाल पाण्डेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष, हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारे गांव में, जवार में ५ साल से कोई गल्ला कर्ज नहीं ले रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि भूमिहीन किसान कहीं से लेते हैं या नहीं ?

श्री लालसा प्रसाद--

मजदूरी करके गल्ला खरीद कर खाते हैं। मैं ५० साल से राजनीति में काम करता हूं, घास नहीं खोदता हूं। खेत पर गया और मैंने अपने खेत पर देखा है। मेरे खेत पर नौकर था, उससे मैंने पूछा कि खेत निराया गया या नहीं तो उसने कहा कि नहीं निराया गया। मैंने तुरन्त चार मजदूरों को ले जाकर उस खेत की निरवायी करवाई। मैं शाम तक उसके बाद घर रहा और गांव से चल कर रात को गाड़ी से यहां आया हूं। मैं एक खेतिहर आदमी हूं। मेरे पास छः एकड़ खेत है। मैं आपको बतला दूं कि हम ने कभी गल्ला नहीं बेचा, लेकिन इन पांच सालों से गल्ला बिकता है। मैंने अभी पिछले साल एक हजार रुपये का गल्ला बेचा। कभी मैंने सोचा नहीं था लेकिन पिछले साल मैंने एक हजार का गेहूं बेचा और बैल खरीदे। अगर मैं गेहूं न पैदा करता तो मैं गरीब आदमी बैल नहीं खरीद सकता था। अभी इस साल मेरा एक बैल बीमारी की वजह से मर गया और मैंने फिर १४०० रुपये का गेहूं बेचा। मैं झूठ नहीं कहता। आप मेरे साथ चल कर जांच कर लीजिये। मैंने १५०० रुपये का गल्ला इस साल बेचा और फिर एक जोड़ा बैल खरीदा और आप कहते हैं कि पैदावार नहीं होती है। मैं खुद खेती करता हूं और मैं पैदा करता हूं। जो लोग खेती नहीं करते हैं सिर्फ बहस करते हैं वह पैदावार नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया कि पचास सालों से मैं खेतों पर काम करता हूं। अब की चुन कर आ गया हूं नहीं तो मैं खेती का काम करता हूं। कभी हम ने गल्ला नहीं बेचा लेकिन चार-पांच सालों से हम गल्ला बेचते हैं। मैं आपको निश्चित बात बतलाता हूं और कोई सदस्य चाहें तो चलकर देख सकते हैं कि मैंने गलत नहीं कहा। इन शब्दों के साथ माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है आपके सामने मैं आप से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप उतनी की उतनी धनराशि का प्रस्ताव पास करें।

*श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी तक प्रदेश के काश्तकारों को जो इन २२ सालों में सुविधायें प्राप्त हुई हैं पहुंचाना चाहता हूं। अध्यक्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय, आपके प्रदेश में सरकारी ट्यूबवेल जो काश्तकारों के लिये लगे हुये हैं उन पर करीब, करीब ८००–९०० एकड़ जमीन है और प्रति एकड़ के लिये लगभग १४ या १५ मिनट का समय पड़ता है। इसके साथ ही साथ काश्तकारों को सिंचाई करने हेतु उसके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिये गूलों में तीन-तीन घंटे का समय लगता है जो प्रति एकड़ के लिये १४–१५ मिनट सिंचाई की आवश्यकता है। साथ ही आपके जो सरकार इन्द्र महाराज ट्यूबवेल्स आपरेटर वह मेहरबानी करके काश्तकारों से दो रुपये से लेकर दस रुपये प्रति एकड़ तक ले कर पानी देते हैं। मैं आपके माध्यम द्वारा कृषि मंत्री जी तक देहातों की यह बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारे जिला मैनपुरी में जितने ट्यूबवेल्स लगे हुये हैं। आप १० वर्ष के सिंचाई के आंकड़े मंगा कर देखिये तो पता चलेगा कि ८० प्रतिशत काश्तकारों को सिंचाई के लिये एक ही पानी उपलब्ध हुआ है। इसका साफ अर्थ यह है कि छोटे काश्तकारों के साथ अनियमिततायें बरती गयी हैं। छोटे काश्तकार अपनी सिंचाई के लिये तड़पड़ाते हैं, लेकिन एक ही पानी पाते हैं। उनको ट्यूबवेल्स से भी पानी नहीं मिलता। तीन-चार वर्षों से नहरों और बम्बों में पानी नहीं है। बेचारे छोटे काश्तकार तड़पते हैं और अपना सिंचाई का साधन नहीं जुटा पाते। रासायनिक खादों के दाम इतने बढ़ गये हैं। यह बात एक ओर है कि वह उनको खरीद नहीं पाता और दूसरी ओर उसको तीन या चार मिनट ही सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो पाता है। जो सीड आपके सीड स्टोर से लेकर डालता है उस पर कहीं वर्षा न होने से, कहीं ओले ज्यादा पड़ने के कारण और कहीं सिंचाई हीन खेती के कारण उसको उपज नहीं मिलती तो फिर सिंचाई के लिये जो पैसा, रिश्वत का पैसा जो साकार इन्द्र महाराज को उसने दिया वह सब बेकार चला जाता है। और इसके बाद आपके अमीनों द्वारा वसूली में छोटे-छोटे किसानों को जेल अलग से जाना पड़ता है।

इसके अलावा मैं यह भी बता दूं कि आपके सीड स्टोरों से या कोआपरेटिव सीड स्टोरों से जो बीज उसको मिलता है वह उसको सवाई देना पड़ता है और इतना अधिक तो किसी प्रदेश में देश भर में नहीं है। वह आदमी किसी किसान की मुसीबत को क्या समझ सकता है। अगहन के महीने में कड़कड़ाते हुये जब किसान अपने धान को काटता है जबकि आप और सब लोग चादर लपेटकर सोते हैं। अगर हमारे प्रदेश का मुख्य मंत्री किसान का बेटा होता तो इन २० सालों में किसानों की हालत सुधर जाती। इस तरह से किसानों की हालत में सुधार नहीं हो सकता जब तक कि किसान का बेटा ही इस प्रदेश का मुख्य मंत्री न हो। जो इन्सान जानता ही नहीं कि किसान किस तरह से मुसीबत उठाकर अपना काम करता है वह उनकी भलाई के लिये क्या करेगा। किसानों की जो २० सालों में हालत हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर है क्योंकि केवल ९ महीने छोड़कर उस समय से कांग्रेस ही बराबर इस प्रदेश पर राज्य करती चली आयी है। मैंने अकसर देखा है कि २०–२० महीने तक ट्यूबवेल्स से पानी नहीं मिलता। कागजों पर लिख दिया जाता है कि गूलें बनी हैं लेकिन वास्तव में वह बरसों टूटी पड़ी रहती हैं। इसके लिये हमारी कांग्रेस सरकार ने आजतक कोई ध्यान नहीं दिया है। जिस प्रदेश का ८५ या ८६ प्रतिशत काश्तकार सिर्फ खेतिहर मजदूर है जब तक उनके लिये पूरी मात्रा में वे चीजें नहीं होंगी जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, सिंचाई की दरों में कमी नहीं होगी, रासायनिक खादों पर जो कर बढ़ा दिया गया है वह कम नहीं होगा तब तक प्रदेश के बड़े काश्तकारों की आमदनी भले ही बढ़ गई हो लेकिन ६० परसेंट बेचारा काश्तकार अपने बैलों को खरीदने के लिये कर्ज लेता रहा है और आज तक लेता चला जा रहा है।

साथ ही साथ में यह भी बतलाना चाहता हूं कि सरकार को पशुओं की नसल सुधारने की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। जिस बीहड़ इलाके में हमारे काश्तकार साकार इन्द्र की

[श्री मुंशीलाल चमार]

नहीं बल्कि निराकार इन्द्र के भरोसे रहते हैं, उस इलाके का भी सरकार को ख्याल करना चहिये। वे इलाके ऐसे हैं कि वहां पर बिजली की लाइन नहीं है। वहां पर अगर बरसात हो जाय तो उन काश्तकारों को खाने के लिये मिल जाता है और अगर बरसात न हो तो वे बेचारे मजदूरी करने के लिये बाहर जाते हैं। इसलिए सरकार को वहां पर बीहड़ इलाके में नलकूप की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें। साथ ही साथ यह भी कि जिन ट्यूबवेल्स पर ९०० या ८०० एकड़ जमीन है उनको काटकर उतनी रखी जाय जितनी जमीन को उस नलकूप से सिंचाई सही रूप में हो सके। जिन काश्तकारों की जमीन काटी जाय उनको ३ या ६ महीने पहले इत्तिला दी जाय ताकि वे अपना इन्तजाम दूसरा कर सकें जिससे उनके खेत की सिंचाई हो जाय। तभी इस प्रदेश के काश्तकारों की हालत सुधर सकती है और तभी वे निजी नलकूप लगा सकते हैं और ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। प्रदेश के काश्तकारों की उन्नति के लिये कृषि यंत्र देना भी जरूरी है। इससे काश्तकारों की उन्नति हुई है। जब उनकी दशा ऐसी हो जायेगी तभी वे अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये भेज सकते हैं। इन शब्दों के साथ में उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो विरोधीदल के नेताओं ने सदन के सामने पेश किया है। मैं आपका भी बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और साथ ही साथ मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि नलकूप लगाने, सिंचाई का रेट कम करने और सिंचाई के साधन जुटाने का प्रयत्न करें तो तभी प्रदेश की कृषि उन्नति हो सकती है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५६ की दो सूचनायें आई हैं। एक तो दीपनारायण मणि त्रिपाठी जी की है और दूसरी सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और त्रिवेणी सहाय जी की है। दीपनारायण मणि जी ने लिखा है कि बलिया-बेरिया बांध को गंगा की बाढ़ से टूटने का खतरा पैदा हो गया है। बाढ़ के ऊपर राजस्व मंत्री जी से मैंने कहा था कि कई प्रस्ताव इस संबंध में आए हैं तो वे सबके ऊपर अपना एक वक्तव्य दे दें। उन्होंने १४ तारीख को वक्तव्य देने के लिये कहा है। तो उसी में इसको वह शामिल कर लेंगे अब हम उनको भेज देते हैं....

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

वह बांध टूट सकता है। यह तो बहुत महत्व और तुरन्त कार्यवाही करने का है।

श्री अध्यक्ष—

हम उनके पास भेज देते हैं तो वह इस पर कार्य आरंभ कर देते हैं। दूसरा माधव प्रसाद जी त्रिपाठी और त्रिवेणी सहाय जी का है। उसमें उन्होंने योजना आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालने को लिखा है। यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं हो सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सारे प्लान क्यों फेल हो रहे हैं, यह महत्व की बात है।

श्री अध्यक्ष—

यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

कानपुर में केसा कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद नियम ५१ में मुझे १० सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उसमें श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री गोविंद सिंह, श्री दुर्जन सिंह, श्री सजीवन लाल और मनोहर लाल जी ने केसा के संबंध में दिया है कि वहां पर हड़ताल चल रही है। इसको मैंने स्वीकार कर लिया है। इस पर संबंधित मंत्री कब वक्तव्य देंगे यह बिजली के विषय में हड़ताल है तो यह महत्व का है।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

१३ तारीख को इस पर वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं १३ तारीख का दिन उसके लिये निश्चित करता हूं।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

उसके बाद जो अन्य सूचनायें जो स्वीकार नहीं की गई वह मैं पढ़े देता हूं—

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

बलिया बेरिया बांध को गंगा की बाढ़ से टूटने का खतरा। इस पर राजस्व मंत्री १४ तारीख को वक्तव्य देंगे।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा भूख हड़ताल।

श्री रामगोपाल सण्ड ने जो दिया है, इसके ऊपर भी बहस हो गई।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)

यह बहुत महत्वपूर्ण है। ३ दिन से हड़ताल चल रही है। शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री जी बीच-बचाव करें तो हड़ताल वापस हो जाय.....

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि माननीय बोरा जी ने यह कहा कि आज इसको ले लेना चाहिये परसों नरसों कहा था। मैंने उसको तत्काल स्वीकार किया क्योंकि हड़ताल होने वाली है। उन्होंने कहा कि वक्तव्य हो जाय तो ठीक है। तो उसके ऊपर वक्तव्य दिलवा दिया। फिर यह हुआ कि इसके ऊपर प्रश्न पूछे जायं। तो मैंने इजाजत दे दी कि प्रश्न पूछ लें। इसके बाद नित्यानन्द जी ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को छोड़कर जो और लोग हैं उनके बारे में भी वक्तव्य होना चाहिये। वह भी हो गया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम जी का है—तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर में नक्सलपंथियों द्वारा भूमि पर जबरन अधिकार किया जाना। इस पर आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करें, क्योंकि मैं अन्य स्वीकार कर चुका हूं, यह आज स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैंने अल्पसूचित तो दे ही दिया है, यह महत्व का प्रश्न है, जंगल की भूमि और..... ऐडमिनिस्ट्रेटिव समस्या बन गई है।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

इसे आप आज ले लें, बहुत महत्वपूर्ण है। जिला मैजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई।

श्री अध्यक्ष—

आज ले लें तो जवाब नहीं मिल सकेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय जी का है—गोंडा जिले के तुलसीपुर नामक स्थान पर श्री माताश्वरी प्रसाद द्वारा श्री महीलाल पर गोली चलाया जाना।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता ने एक हरिजन को घायल कर दिया है गोली मार कर। बनारसीदास, भूत र्व मंत्री ने बलरामपुर अस्पताल जाकर इसको दबाया....

श्री अध्यक्ष—

श्री राम सागर का है—शिक्षा संस्थाओं में हरिजन छात्रों से नाम लिखाते समय शिक्षा शुल्क का लिया जाना। यह दूसरा प्रश्न है, गोली का सवाल नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, गोली चलाई जा रही है, एक आदमी के पैर में चोट आई है और गोली के छर्रे निकले, रिपोर्ट नहीं हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि वह एस०डी०एम० से मिले, कलेक्टर से मिले, मामला दबा दिया.....

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी के पास मैंने भेज दिया है।

एक सदस्य—

बहुत महत्वपूर्ण मामला है, कांग्रेसी लोग कब्जा कर रहे हैं——

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

चाहे आप आज न लें, लेकिन १८ तारीख लगा दें। गोली चली, स्कूल में चली। बहुत बड़ा काण्ड है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास गोली का नहीं है। हरिजन छात्रों का नाम लिखाते समय.....(व्यवधान) अगर गोली से कोई मारा गया है तो १८ तारीख को ले लेंगे। (व्यवधान) माननीय गोपाल सिंह का है इलाहाबाद बिजली घर द्वारा बिजली सप्लाई में गड़बड़ी। आप प्रश्न पूछ लें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, प्रदेश के अन्दर नक्सलबाड़ी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको लिखकर भी दूंगा। मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। आप आज्ञा दें तो नियम ५२ के अन्तर्गत ढाई घंटे का डिस्कशन हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी खुद की जानकारी के ऊपर ही दें, यह नहीं कि अखबार की या सुनी हुई बात पर।

श्री रियासत हुसैन—

मैं अपनी जानकारी पर ही दूंगा। मुरादाबाद में भी कुछ घटना हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, यह सवाल बड़ा गंभीर है। इसकी काफी रिपोर्ट है। आप ढाई घंटे का समय किसी दिन दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि आप लिख कर दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

बलिया की विशेष परिस्थिति है। वहां सारे स्कूल बन्द हो गए हैं और लोग हटाये जा रहे हैं। बांध टूटने वाला है और शायद १४ तारीख तक टूट जाय जब कि मंत्री जी अपना वक्तव्य दें। इसीलिये ५१ सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है। श्रीमन्, आपने अखबारों में देखा होगा, कलेक्टर ने हिदायत की है कि स्कूल खाली कर दिये जायं। इसलिये बलिया की स्थिति विशेष गम्भीर है। इसके लिये कल ही विचार करने के लिये समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह वक्तव्य जब दे सकते हैं तभी देंगे। वक्तव्य देने के लिये उन्हें सारी सूचना प्राप्त करनी पड़ती है। जहां तक कार्यवाही का सवाल है कार्यवाही हो रही है आपने खुद ही कहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहां जन जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय यह करोड़ों नर नारियों के जीवन का सवाल है अगर ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम बात न कर सकें तो फिर सदन में बैठकर क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना मंत्री जी के पास तक पहुंचा दी गई है और सूचना पहुंच जाने पर उनका कर्तव्य है कि वह कार्यवाही शुरू कर दें। जहां तक वक्तव्य देने का सवाल है कई महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं आपका बलिया का ही नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इतना महत्वपूर्ण और न होगा यहां लोगों के बह जाने का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा कई जगह है। १४ तारीख को वक्तव्य देने के लिये निश्चित कर दिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जहां जन जीवन पर संकट हो और बहस न करें तो यह ठीक नहीं है। या तो मंत्री जी, आश्वासन दें कि वह बांध टूटेगा नहीं। (व्यवधान)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ) --

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ मेडिकल कालेज में मरीजों की देख-रेख नहीं हो रही है और सुबह से अभी तक कई मरीज मर चुके हैं यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

उप मुख्य मंत्री। अब उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, बलिया बेरिया बांध की ही समस्या नहीं है। बस्ती, गोरखपुर और गोंडा की भी समस्या है। घाघरा नदी में बाढ़ आ गई है कटान हो रहा है। बस्ती तहसील,

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

हरैया तहसील और खलीलाबाद तहसील सभी बरबाद हो रही है। इनके लिये भी समय निश्चित करें।

श्री अध्यक्ष—

१४ तारीख उसके लिये भी निश्चित कर दिया गया है।

बलिया बेरिया बांध के बाढ़ से टूटने के खतरे के सम्बन्ध में वक्तव्य

उप-मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया और माननीय राजस्व मंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया है। जहां-जहां बाढ़ की समस्या है उसके संबंध में वक्तव्य देने के लिये १४ तारीख मान ली गई है।

जहां तक बलिया बेरिया बांध का सवाल है यह बात सही है कि गंगा जी की बाढ़ खतरनाक हो गई है। यह बांध बलिया बेरिया बहुत समय से बना हुआ है। गंगा जी वहां रास्ता बदलती रहती हैं। एक साल और खतरा पैदा हो गया था और इस साल भी खतरा पैदा हो गया है। विभाग वहां काम कर रहा है। करीब-करीब पांच लाख रुपये की स्कीम इस वक्त है कि इस समय जो बाढ़ वहां आई है उससे इस बांध को सुरक्षित कर लिया जाय। इस बांध को सुरक्षित करने के लिये एक और योजना बनी है। वह योजना भारत सरकार के पास गई है। उसमें करीब डेढ़ पौने दो करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है। उसमें और भी झगड़ा है। उस योजना के तहत में स्पर्श बनाने हैं। अगर गंगा के इस पार स्पर्श बनाया जाय तो पानी बिहार की ओर जायेगा और बिहार का भूमि को नुकसान पहुंचेगा तो बिहार की सरकार ने विरोध भी किया है कि यहां स्पर्श न बनाये जांय। यह भी योजना थी कि एक रिटायर्ड बांध बना दिया जाय लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि उसमें उनकी जमीन जा रही थी। लोगों ने कहा कि अगर यह बनेगा तो भूख-हड़ताल करेंगे और वे हाई कोर्ट गये और रिट ले आये और इस कारण रिटायर्ड बांध की योजना रुक गई। उसको इस ख्याल से बनाया जा रहा था कि अगर यह बांध टूट जाय तो दूसरी लाइन आफ डिफेंस रहे। लेकिन वह हो नहीं सका। इसलिये कि रिट थोड़े दिन हुए खारिज हुई। लेकिन फिर भी बड़ा भारी विरोध है। जो हमारे एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी चिट्ठी आई कि अगर रिटायर बांध बनाओगे तो हम भूख-हड़ताल करेंगे। वह आज आए हुए हैं, मैं उनसे बात भी करने वाला हूं। संप्रति बाढ़ का काबला कर सके उसका प्रयास किया जा रहा है, ५-६ लाख रुपया उसमें खर्च होने वाला है। अब मैं कौन-सा आश्वासन यहां दूं, लेकिन उम्मीद मेरी यह है कि यह बांध इस बार हम बचा ले जायेंगे जिसके बारे में आशंका आपको भी और हमको भी पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य राजस्व मंत्री जी देंगे। यह तो उन्होंने अपनी जानकारी दे दी।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें (क्रमागत)

एक सदस्य—

शिवसहाय इन्टर कालेज में जो गोली चली है कृपा कर उसको स्वीकार करें। बड़ा गंभीर मामला है, विद्यार्थी अस्पताल में पड़े हैं....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

दो-दो लोग बोल रहे हैं, मुझे कैसे सुनाई देगा ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

दो स्कूलों में गोली चली है, अलग-अलग प्रश्न हैं। मेरी प्रार्थना है कि दोनों को मिलाकर समय दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो १८ को मैंने कहा।

एक सदस्य—

१८ तारीख को बहुत देर हो जायेगी।

एक सदस्य—

इलाहाबाद में गंगा नदी में बाढ़ आ गई है। इस सिलसिले में सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि १४ तारीख के वक्तव्य में इलाहाबाद के किले को जो खतरा पैदा हो गया है उसके संबंध में भी बतावें कि उसे बचाने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है। गंगा नदी का वेग इतना अधिक है कि लगता है कि १/२ दिन में किले के पास पहुंच जायेगी...

एक सदस्य—

पहुंच नहीं जायेगी, पहुंच गई है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उसके लिये भी कह दिया है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, घाघरा नदी बहुत वेग से बढ़ रही है। जिला देवरिया में बरहज के क्षेत्र में और आस-पास बहुत खतरा है। उस पर भी मंत्री जी वक्तव्य देते समय जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष—

जो बाढ़ के प्रश्न हैं वह सब मैंने दे दिए हैं, वह सब पर वक्तव्य देंगे।

अब १० मिनट रह गए हैं इलाहाबाद वाला मामला लेने के लिये। आप चाहें तो १० मिनट किसी और को बजट पर बुलवा दूं या फिर इलाहाबाद वाले मामले को ले लूं।

बजट साहित्य विलम्ब से मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

एक सदस्य—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जो बजट लिटरेचर हमको पिजन होल में दिया जाता है वह बहुत देर से दिया जाता है, जिससे हम बजट पर तैयारी नहीं कर पाये। जब ग्रांट का डिस्कशन हो जाता है तब मिलता है। जो डिमांड डिस्कस होने वाली है उसका लिटरेचर एक-दो दिन पहले मिल जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैं समझता हूं कि पहले दे दिया जाता है।

कई सदस्य--

नहीं मिलता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन, जिन दो माननीय सदस्यों के नाम उस प्रस्ताव में नहीं आए हैं, उनके नाम भी आ जायें, इसलिये आप उनके प्रस्ताव को कृपया पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष--

उनको भी, जब वह प्रस्ताव आयेगा, बोलने का समय मिल जायेगा ।

एक सदस्य--

जब आपने नियम ५१ में स्वीकार किया है तो मेरा नाम भी उसमें आ जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

आपको समय मिल जायेगा । उसमें आपको दिक्कत क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

श्रीमन, आपने आदेश दिया था कि मंत्रिगण अपने-अपने विभागों से संबंधित साहित्य को, अनुदान पेश करने से पहले माननीय सदस्यों को दिलवा दिया करें । आज इतनी महत्वपूर्ण मांग प्रस्तुत है, मगर उससे संबंधित सामग्री किसी सदस्य को नहीं मिली है । उद्योग से संबंधित सामग्री तो मिल गई थी, क्योंकि माननीय गुप्ता जी और शान्ति प्रपन्न शर्मा जी उद्योग में इन्टरेस्ट रखते हैं, कृषि में उनको कोई इन्टरेस्ट है नहीं, इसलिए यह नहीं मिली ।

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

कृषि मंत्री जी इस वक्त यहां हैं नहीं, मगर मैं इतना प्रयास करूंगा कि वह मिल जाया करे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

विवाद होने के पेश्तर, एक रोज कम से कम वह मिल जाया करे । जो नहीं मिला है इसके लिये आप कम से कम खेद तो प्रकट करें ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

मैं पसंनजी भी इसको देख लूंगा । अगर साहित्य नहीं मिला है तो मुझे अफसोस है । मैं कोशिश करूंगा कि आइन्दा साहित्य माननीय सदस्यों को पेश्तर ही उपलब्ध हो जाया करे, और खासतौर से आपके दफ्तरों में भी पहुंच जाया करे ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

श्रीमन, आज जब प्रांट पेश हुई तो उससे संबंधित कोई लिटरेचर नहीं मिला । जो लिटरेचर होता है वह विभाग के कार्यकलापों के संबंध में होता है । श्रीमन्, यह जो लिटरेचर बांटा गया है यह वह लिटरेचर है जो ग्राम सभाओं या किसानों की जानकारी के लिये तो उपयोगी हो सकता है, हमारे लिये भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसका आज के विषय की जानकारी से कोई ताल्लुक नहीं है । इसमें पिछले साल का कोई कार्य-कलाप नहीं है और न उसका जो इस सदन में ये लेना चाहते हैं । तो आइन्दा जो लिटरेचर बांटा जाय उसमें विषय का पूरा कार्यकलाप होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

कृषि के संबंध में डेढ़ रोज और है । जो लिटरेचर आपके पास हो वह बांट दिया जाय ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जो सामान उपलब्ध हो सकेगा वह हम कल बांट देंगे और ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर आपको दे सकें यह कोशिश करेंगे। यह जरूरी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा जानकारी विभाग के संबंध में देनी चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

खेद तो प्रकट कर दीजिये...

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

हमने खेद तो प्रकट किया और आपको हम इतना लिटरेचर देंगे कि आप पढ़ भी नहीं सकेंगे।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी को यह नहीं कहना चाहिये कि हम नहीं पढ़ सकेंगे।

इलाहाबाद में श्री रामकृष्ण राय की गोली से मृत्यु तथा नगर महापालिका कर्मचारियों के द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गत ७ मई को हुई इलाहाबाद में स्वर्गीय रामकृष्ण राय की निर्मम हत्या जो एक पुलिस के दारोगा द्वारा की गई, उसकी घटना के संबंध में कुछ कहने से पूर्व मैं आज इलाहाबाद शहर में जो चिन्ताजनक स्थिति वहां के महापालिका के प्रशासक श्री महमूद बट्ट के कारण है, वह मैं सदन में सम्मुख, मान्यवर, आपकी आज्ञा से उपस्थित करना चाहता हूं। जैसा कि अखबारों में सबने देखा होगा कि इसी महीने के शुरू में, दूसरी तारीख को सारे शहर में हड़ताल थी, सारी दुकानें बन्द थीं, रिक्शा वाले हड़ताल किये थे, सारी जनता तथा जनसेवियों में भारी असंतोष है वहां के जो एम०एल०ए०, हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जहां तक मुझे जानकारी है इस विषय में एक राय के हैं और सभी इस अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध हैं। महमूद बट्ट का जो तरीका इलाहाबाद में चल रहा है वह एक अजीब तानाशाह का सा है। उनका अपना एक प्राइवेट गुट बना है। इलाहाबाद में पचासों जो गुंडे-बदमाश हैं, उनको पैसे दे-दे करके और उनको अपने साथ में लेकर फरसा लिये, बल्लम लि , लाठी लिये, उनकी सेना चला करती है और मान्यवर, किसके खिलाफ चला करती है उनकी सेना। उनकी सेना चला करती है रिक्शेवालों, दूकानदारों के खिलाफ, गरीब क्लार्क्स और टीचर्स के जो वहां बेबसी बस अपना मकान बना लिये हैं उनके मकान गिराने के लिये। मान्यवर, यह समझ में नहीं आता कि लखनऊ और दिल्ली से किस का वरदान इस महमूद बट्ट को प्राप्त है। जैसे पुराने जमाने में सुना जाता था कि कोई राक्षस, रावण या खर-दूषण अपनी सेना लेकर चला करता था और विध्वंसकारी लीला किया करता था उसी प्रकार यह लीला कर रहे हैं। ऐसा लोगों का विश्वास हो रहा है कि इनके ऊपर किसी का, किसी देवता का वरदान है। तो मान्यवर, आज इलाहाबाद की दशा बहुत चिन्ताजनक है। जनता में और जनसेवियों और हर पार्टी के लोगों में भारी असंतोष है और तमाम वहां जुलूस निकल रहे हैं। अभी "महमूद बट्ट हटाओ" का जुलूस निकला था जिसमें काफी जनता की भीड़ थी। एक जुलूस निकला था जब तमाम शहर की दूकानें बन्द थीं और तमाम रिक्शावाले हड़ताल कि हुए थे। इस तरह से सब चाहते हैं कि महमूद बट्ट हटा जायं। आज कहीं अगर मकान बनवाना हो तो गृह सबसे बड़ा पाप हो गया है। इस तरह से हमारी जो टाउन प्लानिंग की योजनायें हैं, वह विकास जनायें हैं वह अगर नागरिकों और निरीह हरिजनों के सीने में गोली मार कर पूरी होंगी तो यह लोकतंत्र तो राजसत्ता से भी बदतर हो जायेगा। ऐसे तरीके न अपना जायं कि गरीब निम्न श्रेणी के लोग, टीचर्स, क्लर्क्स अपने मकान कर्ज लेकर बनवायें, उनको पहले तो इंजीनियर-ओवर-

[श्री सर्वसुखसिंह]

सीयर नक्शे के बहाने से लूटें, जब तक वह खासी रकम न पा जायं तब तक नक्शे पास न करें और बुरे से बुरे नक्शे पास हो जायेंगे अगर इंजीनियर की जेब गर्म हो जाय।

अब मैं इस घटना के संबंध में आपके माध्यम से कुछ तथ्य उपस्थित करना चाहता हूं। स्वर्गीय राम कृष्ण राय का यह मकान सड़क की पटरी से हटकर बना है और उसमें सड़क पर एन्क्रोचमेंट का प्रश्न नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि नक्शा पास न होने के कारण यह मकान गिराया गया। यह एक गरीब हरिजन था जो एक निष्कलंक चरित्र का आदमी था जिस पर कभी कोई केस नहीं चला और न वह कभी सजायाब ही हुआ और वह नगरपालिका का सभासद भी रह चुका था। वह भारतीय क्रांति दल की स्थानीय समिति का उपाध्यक्ष था। उसने अपने मेहनत की कमाई से पचासों हजार रुपये की जायदाद बनाई थी, उस का अपने टोले-मुहल्ले में बड़ा सम्मान था। कितना परिश्रम करके सड़क से बाहर हटकर स्टेनले रोड पर जो मास्टर प्लान के अन्दर बताई जाती है और कहा जाता है कि यह १२० फुट चौड़ी सड़क है और आसपास के तमाम मकान गिराये जायेंगे, लेकिन इस सड़क पर सिवा इसके कोई और दूसरा मकान नहीं गिराया गया और अब भी हजारों मकान सड़क की पटरी पर खड़े हैं। इस हरिजन के मकान के ठीक सामने ही सड़क के नजदीक पटरी पर आज भी एक सरकारी कर्मचारी का मकान बना है, उसको एगजेम्ट कर दिया गया लेकिन द्वेषपूर्ण भावना से इस गरीब हरिजन का मकान गिरा दिया गया। मैं यहां तक कहूंगा कि जिस अदालत ने उन के खिलाफ फैसला किया वह अदालत भी होस्टाइल थी...

श्री अध्यक्ष—

अदालत के बारे में ऐसी बात न कहें।

श्री सर्वसुख सिंह—

ठीक है, मैं नहीं कहता लेकिन इसका प्रमाण है कि इस गरीब हरिजन का मकान सड़क पर एन्क्रोचमेंट में नहीं था और उसको गिरा दिया गया जिसकी कीमत पचासों हजार थी, इसमें ८ कमरे, १० बाई १० फ़ुट के थे और सबके सामने ८० फ़ुट का बरामदा था और सबके सामने जिस तरह से आजकल शटर लगते हैं वह लगे हुए थे। इस गरीब का कम से कम ५० हजार रुपये का नुकसान किया गया। उसका एक बड़ा सा हाता था उसकी सारी बाउन्डरी वाल गिरा दी गई...

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिये।

श्री सर्वसुख सिंह—

यह सब केवल महमूद बट्ट के कारण से ही हुआ, सही तौर पर विषय को समझाने के लिये ही मैं यह चर्चा कर रहा था। यह तो मानव का साधारण मनोविज्ञान है कि अगर मेरी साइकिल है और उसकी सुई चुभा कर कोई हवा निकालता है तो यह स्वाभाविक है कि मैं इसका विरोध भी तक करूंगा। किसी गरीब आदमी का पचासों हजार रुपया का मकान अन्यायपूर्ण ढंग से उसकी आंखों के सामने ढाया जाय तो उसको क्रोध आ सकता है और वह उसको रोकेगा।

अध्यक्ष महोदय, २४ अप्रैल को कमिश्नर ने मकान गिराने का फ़ैसला लिया। उसके बाद ४ तारीख को सूचना जाती है स्व० श्री राम कृष्ण राय के पास। ३, ४ और ५ को राष्ट्रपति के निधन के कारण छुट्टी हो जाती है। ६ तारीख को वह फ़ैसले की नकल लेने के लिये गये लेकिन न मिल सकी। असल में इस मकान को गिराने की योजना ६ तारीख को ही बनी थी, लेकिन चूंकि उस दिन पुलिस स्क्वायड नहीं मिल पाया था इसलिये ७ तारीख को वे लोग पहुंचे। सामान्य तया यह देखा जाता है कि १ हफ्ते का टाइम सूचना देने से दिया जाता है किसी भी आर्डर के कार्यान्वयन के लिये। इसलिये १०–११ तारीख तक मकान का ढहाया जाना रोका जा सकता था। इसके बाद केस की अपील जब गवर्नमेंट में हो सकती थी तो जब तक अंतिम

निर्णय न हो जाता तब तक मकान को इस निर्दयता से और अन्यायपूर्ण ढंग से गिराया जाना अनुचित था। करीब साढ़े ९ बजे महापालिका के ओवरसीयर श्री नवलकिशोर कुछ महापालिका के अन्य कर्मचारियों को लेकर और साथ में दारोगा, हेड कांस्टिबिल और ६–७ सिपाहियों को लेकर वहां पर पहुंचते हैं। उस समय वहां पर स्व० श्री राम कृष्ण राय मौजूद नहीं थे। वे कचहरी गये हुए थे। उनको वहां पर सूचना मिली और वे अपने घर आये। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी और बच्चे भी। श्रीमन्, जब कोई झगड़ा करने जायेगा तो औरतों को न लेकर १०–२० आदमियों को लेकर जायेगा। स्व० श्री रामकृष्ण एक प्रभावी व्यक्ति थे और वे अपने साथ सैकड़ों आदमियों को ले जा सकते थे। वे शान्तिपूर्ण ढंग से गये और बड़ी नम्रता से उसने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कि इस मकान में हमारे खून पसीने की कमाई लगी है, इसको न गिराओ। वह १०–१२ मिनट तक हाथ जोड़ता रहा। उसके बाद उस पर लाठी चार्ज हुआ, उसकी औरत पर लाठी चार्ज हुआ। दरोगा ने गोली चलाई, वह उस के बच्चे को लगी। तब उसको गुस्सा आया उसने भी अपनी बन्दूक उठाई। उस पर दारोगा ने उसको एक गोली मार दी। दारोगा उस समय सशक्त था क्योंकि उसके साथ पुलिस फ़ोर्स थी और नगर महापालिका के कर्मचारी थे। अगर दारोगा साहब चाहते तो उसे गिरफ्तार करवा सकते थे और इस प्रकार से निर्मम हत्या न होती और वह हत्या किसी भी तरह से की जा सकती थी।

इस प्रकार दारोगा और अन्य कर्मचारियों ने जानबूझकर हरिजन की हत्या की। इसके बाद वहां पर एक पुलिस फ़ोर्स पहुंची और उसने आसपास के लोगों को आतंकित किया कि खबरदार बयान इस तरह से देने चाहिये। थाने में एफ़० आई० आर० नहीं लिखी गई। जब वहां पर माननीय गुप्ता जी गये तो इनसे कहा गया कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाय नहीं तो सारे शहर में असंतोष फ़ैल जायेगा। जिस तरह से कोई मच्छर मर जाता है और उसकी परवाह नहीं की जाती है उसी प्रकार से माननीय गुप्ता जी ने किया। यह इस राज्य में मानवता का मूल्य है। जो राज्य हरिजनों और जनता का सब से बड़ा हितैषी बनता है उसके समय में स्व० श्री राम कृष्ण राय जी की मृत्यु एक मच्छर के समान हुई और इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। इन्होंने वहां पर केवल यह कहा कि हम सी० आई० डी० द्वारा इसकी जांच करवा रहे हैं। क्या हुआ अभी तक पता नहीं है। इतनी बड़ी-बड़ी चीजें हमारे यहां होती हैं और हमारे मुख्य मंत्री इनको हजम कर जाते हैं। जिसकी सारे शहर में चिल्लाहट मची हुई है, वहां पर वह दारोगा मूंछे ऐंठता हुआ बैठा है।

श्रीमन्, इस तरह की निर्मम हत्या करने पर भी कोई सजा अथवा ट्रांसफ़र तक नहीं हुआ। यह चीज पराकाष्ठा पर पहुंच रही है। कहीं भी इस तरह का दृष्टांत पेश नहीं हुआ होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस काण्ड के लिये कम से कम ढाई घंटे का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

श्री श्यामसूरत जी, आप मल्लाहों के बारे में कहेंगे। मैंने दोनों प्रश्न एक साथ ले लिये हैं।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद की जनता पर जितना अत्याचार हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वह सारा अत्याचार सदन के सम्मुख रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

बहुत ब्यौरे से श्री सर्वसुख सिंह जी ने सदन के सामने बातें रख दी हैं।

श्री श्यामसूरत (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह बट्ट साहब इलाहाबाद में करीब दो साल से आये हुए हैं और दो साल से वहां इतना अशान्त वातावरण पैदा हो गया है कि गरीब मजदूर, किसान का इलाहाबाद में रहना मुश्किल हो गया है। उनका कानून दो तरह का है। बड़े आदमियों के लिये एक कानून और छोटे व गरीब लोगों के लिये दूसरा कानून। बड़े आदमी जैसे निरंजन सिनेमा के मालिक ने ५ फ़ुट का बारजा चौक में सड़क के सामने बढ़ा लिया है। उसको गिराने की हिम्मत बट्ट साहब ने इसलिये नहीं की कि १० हजार रुपये निरंजन सिनेमा ने श्री बी० एम० सिंह को खासतौर से दे दिये। दूसरी तरफ़ छोटे-छोटे दुकानदार, चाट बेचने वाले, खोंचा लगाने वाले—इनके लिये बट्ट साहब की फ़ौज दिन दहाड़े आती थी उनकी साइकिल व खोमचा तथा अन्य सामान मोटर में रख कर उठा ले जाती थी और उसके लिये कोई रसीद नहीं देते थे। इस तरह से लाखों रुपये का नुकसान गरीबों का बट्ट साहब ने इलाहाबाद में किया है। वहां की कहानी बड़ी दर्दनाक है।

श्री अध्यक्ष—

वह स्वयं भी जाते थे।

श्री श्यामसूरत—

जी हां। सब से दर्दनाक कहानी औरतों की है। शहर से दूर नगरपालिका के अन्दर जो बस्ती है वहां पर बट्ट साहब ने शौचालय का कोई प्रबन्ध नहीं किया, जहां गरीब रहते हैं लेकिन दूसरी तरफ़ अपनी फ़ौज उन गांवों में लगा दी। औरतें घर के बाहर निकल कर शौचादि के लिये निकलती हैं तो उनको वह रोकें। इस तरह से वहां के गुंडे उस गांव में रहने वाली औरतों के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं। मुख्य मंत्री को इस पर शर्म आनी चाहिये और इस पर उनको कड़ा कदम लेना चाहिये था और मुख्य मंत्री को कई बार इस संबंध में याद दिलाई गई, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगी।

इसके अलावा बट्ट साहब ने अपने शासन काल में नगरपालिका में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में ऐसे लोगों की भरती की जिनका दफ़ा ९ में चलान हुआ, दफ़ा १० में सजा हुई, १०७/१७७ में कई बार जमानत मुचलके हुए, कई बार जो चोरी में तथा डकैती में पकड़े गये अथवा चालान हुआ। नौकर रखने के लिये जो कायदा कानून है उसको बट्ट साहब ने लागू नहीं किया जैसे या तो नगरपालिका में लिस्ट बनती है अथवा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगा जाता है। एक मेहरोत्रा साहब महापालिका के वकील हैं और बी० एम० सिंह ऐडमिनिस्ट्रेटर और महापालिका के मैजिस्ट्रेट, इन तीनों आदमियों का एक गुट है। यह गुट करता क्या है कि बी० एम० सिंह ने तो किसी को नोटिस दिया कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। अगर उससे घूस मिल गया तब तो मुकदमा नहीं चलेगा और अगर घूस देने से उसने इंकार कर दिया तो १७–१७ मुकदमे उसके विरुद्ध ये तीनों मिल कर चलाते हैं। एक डाक्टर हैं सरवनसिंह। इनका मामला असेंबली में भी आ चुका है उसका सिल्का सेंड से कोई मतलब नहीं लेकिन बी० एम० सिंह साहब ने उनके खिलाफ़ फ़रजी १७ मुकदमे चला रखे हैं और मुझे डर है कि सजा जरूर दिलायेंगे। अब मैं गरमियों की हालत जरा बता दूं . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

जरा संक्षेप में कहें। आप मल्लाहों के बारे में कहें।

श्री श्यामसूरत—

संक्षेप में ही कहूंगा। जो महापालिका के नल चौराहों पर लगे हुए थे, जिनसे गर्मियों में गरीब मजदूर, रिक्शा वाले पानी पीते थे, जिनको कूलर का पानी नहीं मिलता है, उन नलों को बट्ट साहब ने उखड़वा लिया।

अब मैं मल्लाहों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस जगह गोली चली क्या वहां महमूद बट्ट साहब और उनके नौकरों को जाने का अख्तियार था ? अगर नहीं तो उन्होंने बड़ी गलती की है और सरकार को उन्हें तुरन्त बरखास्त करना चाहिये था। किला क्षेत्र, मुख्य मंत्री जी जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो यह उनकी बहुत बड़ी कमी है कैन्टूनमेन्ट एरिया के अन्दर आता है। तो उस किला क्षेत्र में रामघाट पर नावों को अपनी ट्रक में लदवाने के लिये बट्ट साहब ३० जुलाई को वहां खड़े थे। वहां नगरमहापालिका अधिनियम के अन्तर्गत नगरमहापालिका को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जब वहां टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है तो गलत तरीके से टैक्स लगा कर वसूल करने क्यों गये ? उन्होंने दूसरे के अधिकार क्षेत्र में ट्रेसपास किया। सेल्फ डिफेंस में भी इनको गोली चलाने का कोई अधिकार नहीं था अगर ऐसा कहा भी जाता है तो। दूसरे, अगर नाविक लोग टैक्स नहीं देते थे तो इनको चाहिये था कि शो काज नोटिस देते और फिर भी न देते तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम करते। लेकिन सरकार की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि २८ जुलाई को नगरमापालिका वाले दो ट्रक लेकर संगम पर गये और उनकी पतवार, बांस बल्ली, सब करीब तीन हजार रुपये का सामान उठा कर ले गये। २९ जुलाई को पूर्णिमा स्नान था। उस दिन भी हजारों रुपये का सामान जबरदस्ती नगरमहापालिका वाले उठा ले गये। रिपोर्ट से यह बात साफ जाहिर है कि जबरदस्ती, बिना कोई रसीद दिये हुए, बिना शो काज नोटिस दिये हजारों रुपये का गरीब मल्लाहों का सामान उठाये लिये जा रहे थे। तो अगर वह उनको मारते हैं तो क्या बेजा करते हैं ? मैं तो कहता हूं कि मल्लाहों ने बड़ी गलती की। उन्हें २८, २९ जुलाई को ही मारना था क्योंकि बिना रसीद दिये हुए उनका सामान उठा ले गये। जो नियम ५१ के अन्तर्गत रिपोर्ट दी गई है उसमें सरकार ने खुद तसलीम किया है कि फलां फलां सामान मल्लाहों का नगर-महापालिका के कर्मचारी उठा लाये रसीद दी गई या नहीं, इस बारे में रिपोर्ट में कोई चर्चा नहीं है। अगर आज भी बता दिया जाय कि रसीद उनको दी गई, तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। यह आपकी रिपोर्ट से साबित है कि चार राउन्ड फायर लाइसेंसिंग आफीसर ने और २ राउन्ड फायर लाइसेंसिंग इन्सपेक्टर ने चलाये। कहा यह गया कि पहले नाविकों की तरफ से गोली चलाई गई और उससे कर्मचारियों को चोटें लगी, इसलिये उन लोगों को सेल्फ-डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। पुलिस में इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं है कि नाविकों के पास से कोई फायर आर्म्स बरामद लिये गये। एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई और ७–८ आदमी गिरफ्तार भी किये गये यानी इमीजियेट ऐक्शन भी लिया गया लेकिन फिर भी मल्लाहों के पास से कोई फायर आर्म्स रिकवर नहीं हुए। ६ राउन्ड जो गोली चलती है उससे नाविकों को कोई चोट नहीं लगती। जब सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई होगी तो कर्मचारियों को घायल देखकर गुस्से में तो चलाई गई होगी, लेकिन किसी नाविक को चोट नहीं लगी। लाइसेंसिंग आफीसर और नगर अभियन्ता ने जो गोली चलाई उससे चिरौंजी लाल और चन्द्र शेखर महमूद बट्ट के रिवाल्वर से घायल हुए। अगर उनके रिवाल्वर की गोली को देखा जाय और घायलों के जख्मों में जो गोली निकली है उसकी जांच कराई जाय तो मालूम होगा कि वह गोलियां नगर अभियन्ता और महमूद बट्ट के रिवाल्वरों की थीं।

दूसरी बात यह है कि घटनास्थल जो कहा जाता है, उससे दारागंज पुलिस स्टेशन मुश्किल से दो फर्लांग होगा और उससे १ फर्लांग दूर बख्शी का नाका है। घटनास्थल पर महमूद बट्ट मौजूद हैं, सारे आफीसर भी मौजूद हैं, पुलिस आफीसरों का भी वहां पहुंच जाना रिपोर्ट से साबित होता है। लेकिन रिपोर्ट जो लिखाई गई वह ३–४ घंटे के बाद लिखाई गई। बात यह है कि घटनास्थल से बट्ट साहब नगरपालिका आते हैं। वहां वकील साहब और सारे साथियों को बुलाया जाता है। उसके बाद सलाह करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। यह सब बिलेटेड एफ० आई० आर० से साबित हो जाता है। यह सब फर्जी कार्यवाही मल्लाहों को फंसाने के लिये ही की गई है। यह बहुत गंभीर मसला है। गरीबों पर गोली

[श्री श्याम सूरत]

चलाई जा रही है। जिन गरीबों के बल पर मुख्य मंत्री जी चुनाव जीत कर आये हैं, उनके ऊपर ज्यादती हो रही है। मुख्य मंत्री जी आप अपने अफसरों की तानाशाही पर गौर करें। उनकी ही हिफाजत मत कीजिए, उनकी ही बात मत मानिये। जिन्होंने आपको मुख्य मंत्री बनाया है, उनकी रक्षा करने के लिये आप न्यायिक जांच करायें। मैं आप से गुजारिश करता हूं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई मंत्री इलाहाबाद नहीं पहुंच पायेगा। रास्ते में ही उसका घिराव हो जायेगा।

श्री रामगोपाल सण्ड—

अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद नगर से विधायक हूं। मैं कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के बाद आप बोलें।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मल्लाहों के मामले के बारे में बोलूं उससे पहले मैं यह अर्ज कर रहा था, क्योंकि समय कम है और बहुत से लोग बोलना चाहेंगे, इसलिये मैं अपने आपको महदूद रखूंगा जो ऐतराजात उठाये हैं उन्हीं तक। अगर आप तफसील चाहेंगे तो मैं अर्ज करने के लिये तैयार हूं लेकिन आपने सब से पहले जो....

श्री अध्यक्ष—

दोनों को आपको लेना होगा। पहले मल्लाहों के मामले के बारे में कहिए। उसके बाद दूसरा मामला है इलाहाबाद के तेलियरगंज में श्री रामकृष्ण राय के मकान के गिराने के संबंध में, उसके बारे में भी आपको वक्तव्य देना है।

श्री अतीकुर्रहमान—

दूसरे मामले के बारे में मुझे जितनी सूचना है वह यह है कि सी० आई० डी० की जो रिपोर्ट है, उससे साबित है ....

श्री अध्यक्ष—

वह तो आप बाद में कहिये। पहले आप मल्लाहों के बारे में कहिये।

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं नहीं समझा कि आपने यह चाहा कि मैं पहले उसके बारे में कहूं...

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, पहले मल्लाहों वाले मामले में कहिये। इसके बाद रामकृष्ण राय के मकान गिराने के बारे में कहिये।

श्री अतीकुर्रहमान—

अध्यक्ष महोदय, पहली इत्तिला यह है कि सबसे पहले यह फरमाया है कि हमारे यहां के श्री महमूद बट्ट और पार्टी, जो मल्लाहों से कर वसूल करने गये थे, जहां वे गये वहां उनको कर वसूल करने का अधिकार नहीं था। यह अनिवार्य कर है, लाजमी कर है, जो सेक्शन १७२ के अन्तर्गत लगाया गया है और लगाया जाता है। दफा १८२ (३) के अन्तर्गत यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई किश्ती और गाड़ी आमतौर पर महापालिका के हद्द के अन्दर चलाई जाती है और हद्द के बाहर रखी जाती है, और इस्तेमाल महापालिका की हुदूद के अन्दर होती है तो महापालिका उसको पकड़ सकती है। इसलिये जहां तक कानूनी पोजीशन का सवाल है मैं इसको मानता हूं कि कानूनी पोजीशन में दो बातें हो सकती हैं। लेकिन १८२ (३) के अन्तर्गत महापालिका के कर्मचारियों को उनको पकड़ने का अधिकार था उन किश्ती तथा गाड़ियों को जो महापालिका की हद्द में आमतौर पर चलाई जाती है, चाहे वह बाहर रखी जाती हों। इस में अब तहकीकात की बात है। जो हद है वह गंगा का किनारा है। बरसात में पानी आ गया है और वह पानी फैल कर कैन्टूनमेंट एरिया तक पहुंच गया है, जहां वे किश्ती पकड़ी गईं, वहां बीच की बार्डर लाइन है और इसमें इस बात का शुबहा जाहिर किया गया है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कहां थे लेकिन मैं इस बात को भी मानने के लिये तैयार हूं कि संभवतः वे कैन्टूनमेंट एरिया में ही पकड़ी गई तो भी दफा १८२(३) के अन्तर्गत.....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अगर कैंटूनमेंट एरिया में पकड़ने की बात मान ली जाती है, तब तो इस मामले की नवइयत ही बदल जायेगी।

श्री अतर कुर्रहमान—

मान लीजिये यह साबित हो जाय--मैं इस बात के लिये इकरार नहीं करता हूं कि कैंटूनमेंट एरिया में नहीं पकड़ी गयीं। बीच का यह इलाका था, ऐडजेसेंटिंग एरिया था, इसलिये मैं उसके मुतल्लिक स्पष्ट नहीं कह सकता हूं वे कैंटूनमेंट एरिया में ही पकड़ी गयीं या उस एरिया में नहीं पकड़ी गयीं। मैं आपकी इस बात को तसलीम करता हूं, फर्ज कीजिये कि वे कैंटूनमेंट एरिया में पकड़ी गयीं तो भी वे कानून के अनुसार सही पकड़ी गयीं।

दूसरा एतराज जो आपने अपने भाषण में फरमाया, वह गोली चलाने के बारे में है। तो ऐडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासक के मातहत जो हैं और महापालिका में जो लोग काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका बयान यह है कि गोली मल्लाहों की भीड़ में से चली और उनके दो आदमी घायल हुए। अभी आपने सदन में फरमाया है और यह कहा है कि बट्ट साहब की गोली से एक आदमी मरा। दो आदमी और थे जो घायल हो गये। जो रिवाल्वर इस्तेमाल किया गया, वह लाइसेंसिंग आफिसर के पास था और बन्दूक रेवेन्यू इंसपेक्टर के पास थी। महापालिका की बन्दूक है और वह पुलिस की कस्टडी में है। चिरंजीलाल जो मरा उसके शरीर से जो गोली निकली वह भी पुलिस की कस्टडी में है। बैलिस्टिक जांच के लिये उसे भेज दिया गया है उससे सिद्ध हो जायगा कि वह कौन सा रिवाल्वर था, वह कौन सी बन्दूक थी जिससे वह गोली चलाई गयी। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी भी हो रही है उससे सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी और एक दूसरे पर हस्तक्षेप करने की बात भी खत्म हो जायेगी।

महापालिका के जो कर्मचारी लोग हैं, उनका कहना यह है कि मल्लाहों की तरफ से गोली चली, फिर मजबूर होकर उन्होंने हवाई फायर किया ४ राउंड और फिर २ राउंड बन्दूक से और तब वे लोग भाग गये। यह भी कहा गया कि उनकी तरफ से पत्थर भी बरसाये गये जिससे ४ आदमियों को चोट लगी। बट्ट साहब को भी चोट लगी और दो रेवेन्यू इंसपेक्टरों को चोट लगी। जो पहले लाइसेंसिंग आफिसर को चोट लगने की बात कही गयी थी, वह गलत थी इसको मैं तसलीम करता हूं। ईंट पत्थर से ४ आदमियों को चोट लगी, दो आदमी बन्दूक से जख्मी हो गये, जिसमें से एक आदमी मर गया।

तीसरा एतराज था कि कई हजार रुपये के सामान वे लोग ले गये। इस सिलसिले में हुजूरवाला मुझे यह कहना है कि डिटेन करने की जहां तक बात है, उनके ऊपर ५ साल का टैक्स वाजिब था सन ६३–६८ साल से, लेकिन उनसे ५ साल का टैक्स न मांग कर केवल एक साल का

[श्री अतीकुर्रहमान]

टैक्स मांगा जाता है। और २८ तारीख को जब वे लोग टैक्स लेने के लिये गये कि इस टैक्स को अदा कर दो तो उन्होंने कुछ सुना नहीं। मल्लाहों की मांग है कि पहली अप्रैल से आधा वाजिब होता है वह न देने की वजह से जो कम्पाउंडिंग से बिल्कुल वाजिब हो गया माफ करने का एलान कर दिया गया। सिर्फ उस साल का टैक्स मांगा जा रहा था। उसमें रूल के अन्तर्गत अगर कोई टैक्स न दे तो उनकी बोट्स को डिटेन करने का कानूनी अधिकार है। उस सिलसिले में जो सामान लिया गया—(व्यवधान)—हुजूरवाला, २८ तारीख को पहले गये थे। २८ तारीख को जो उन्होंने प्रापर्टी सीज की, डिटेन की वह यह थी। पतवार ५४, जिनकी कीमत १६२ रुपये थी।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि रसीद दी गयी। रसीद दी गयी या नहीं।

श्री अतीकुर्रहमान—

जहां तक मुझ को इल्म है रसीद नहीं दी गयी। हुजूरवाला, जैसा वाकया हुआ, उस वक्त रसीद देना सम्भव नहीं था।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

मंत्री, महोदय, यह बतला दीजिये, जितना सामान लूटा जाता है नगर महापालिका द्वारा उसकी किसी को रसीद दी जाती है। (व्यवधान) अगर बहस करनी हो तो इलाहाबाद में चलिये जहां जनता मारी जाती है।

श्री अतीकुर्रमान—

मान्यवर, मैं पूरे वाकये को बयान कर रहा हूं। जो कुछ वाकया है उसको अर्ज कर रहा हूं। इसमें नाराजी का क्या मौका है?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने उधर से जो व्यवहार किया है, जब कि माननीय कन्हैयालाल सोनकर बोल रहे थे, वह व्यवहार सदन में अच्छा नहीं माना जायगा। वह सदन के सामने क्षमा मांगें।

श्री अध्यक्ष—

मैं दोनों से कहूंगा (श्री राजिनरायण पांडे के खड़े होने पर) आप देखिये खड़े हो गये।

श्री अतीकुर्रहमान—

लंगर ४ जिनकी कीमतें ८० रुपये थी, बजौरी ७, जिनकी कीमतें १४ रुपये थी। २८ तारीख को २५६ रुपये का सामान डिटेन किया गया। ३० तारीख को दो बोट्स डिटेन की गयीं उनकी कीमत १,५०० रुपये रोप १, कीमत १५ रुपये, पतवार ४, कीमत १२ रुपये, लंगर १ कीमत २० रुपये। इनका जोड़ है १ हजार ५ सौ ४७ रुपये।

(शोर)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं। सेक्शन ५२ के अन्तर्गत जो श्री राम कृष्ण राय के मारे जाने की सूचना दी गई है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने एक जुम्ला नहीं कहा है। क्या वह बात को टालना चाहते हैं?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं अपने दोस्त के इत्मीनान के लिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। कानून के खिलाफ अगर किसी ने कार्यवाही की है तो गवर्नमेन्ट उसको

सोचेंगी। कानून के मुताबिक अगर कोई दोषी है तो उसको सजा जरूर दी जायगी। उसको बख्शा नहीं जायगा।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप दूसरा सवाल ले लीजिये और संक्षेप में, ब्रीफ में, कहिये।

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं बहुत ब्रीफ में कह रहा हूं। इन्होंने एफ० आई० आर० के मुतल्लिक कहा है। आपका दावा यह है कि चार घन्टे के बाद रिपोर्ट की गई। यह बात गलत है। रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। साढ़े नौ बजे का वाक्या है। साढ़े नौ बजे क्या शुरू हुआ। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर तक यह हुआ होगा। सवा ग्यारह बजे रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप दूसरा मामला लें।

श्री अतीकुर्रहमान—

मेरे आदरणीय दोस्त ने चूंकि कहा था तो मैं मल्लाहों के मुताल्लिक जवाब दे रहा था।

श्री अध्यक्ष—

श्री राम कृष्ण राय की मृत्यु से सम्बन्धित मामला लें। (व्यवधान)

श्री अतीकुर्रहमान—

दूसरा जो मामला हुआ है वह एन्क्रोचमेंट का मामला था। उसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गयी और यह मालूम हुआ कि जिन साहब का नाम लिया जाता है उन्होंने एन्क्रोचमेंट किया हुआ था और जब ये कर्मचारी उस एन्क्रोचमेंट को हटाने के लिये गये तो उन हजरात ने इन लोगों पर गोली चलाई और जब सेल्फ डिफेन्स में इन लोगों ने गोली चलाई तो उनको गोली लग गयी। सी०आई०डी० एन्क्वायरी से साबित हो चुका है कि उन्होंने सेल्फ डिफेन्स में गोली चलाई थी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, इसमें दो मामले हैं। पहले एक मामले को ले लीजिये फिर दूसरे को लीजिये नहीं तो कोई भी मामला स्पष्ट नहीं हो पावेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री अतीकुर्रहमान—

तो मैं कह रहा था कि सेल्फ डिफेन्स में जब गोली चलाई गई तो उनके गोली लग गयी और यह हादसा हुआ।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

इसमें दो मामले उठाये गये हैं जिनके लिये आपने सवा घंटे का समय रखा है। अच्छा यह होता कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले बयान हो जाता.....

श्री अध्यक्ष—

नियम यह नहीं है। नियम यह है कि पहले जिन्होंने मामला उठाया हो वे उसके बारे में अपना वक्तव्य संक्षेप में दे दें। फिर गवर्नमेन्ट की तरफ से कहा जाय और फिर थोड़ी बहुत जिनको टीका करनी हो वह अपनी बात कहें लेकिन संक्षिप्त और फिर जिन्होंने प्रश्न उठाया है वे बोल लें और सरकार फिर उनका जवाब दे।

श्री चरणसिंह—

दूसरा प्रश्न जो था उसके लिये श्री अतीकुर्रहमान साहब ने फरमाया कि सी०आई०डी० एन्क्वायरी द्वारा साबित हो गया कि पहले उन्होंने गोली चलाई, उसके बाद सेल्फ डिफेन्स में जो गोली चलाई गई वह उनके लग गयी, मामला खत्म। अब सोचिये, यह बयान है क्या। इस पर क्या बहस हो। इससे ज्यादा तफसील तो पहले ही अखबारों में निकल चुकी है। सी० आई० डी० की रिपोर्ट होनी चाहिये थी और अगर पूरी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं कर सकते थे, तो फिर उसके एक्स्ट्रैक्ट्स ही होते। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। अगर यही गवर्नमेंट की तरफ से बात हो तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है और न इस पर बहस हो सकती है वरना मेरी दरख्वास्त यह है कि आप चाहे गवर्नमेंट को दरख्वास्त करें या आर्डर दें और जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपके आर्डर्स को माने ही वह इन्कार भी कर सकती है तो चाहे जिस तरह से भी हो आप गवर्नमेंट से कहें कि बाकायदा मुफस्सिल बयान हो, तहरीरी बयान हो और फिर अगर उस पर एतराज हो तो सरकार उनका जवाब दे।

*श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, माननीय बट्ट साहब जब आये थे तो बड़े आदमियों का सुधार करने के लिये उन्होंने कुछ योजनायें बनाई। बहुत सारे लोग जो असामाजिक तत्व कहे जाते हैं और रद्दी भाषा में गुन्डे कहे जाते हैं ऐसे लोगों की एक फौज उन्होंने बनाई और उसको लेकर खोमचे वालों, छोटे दुकानदारों, पटरी पर बैठे हुये लोगों के मकानों पर धावे बोल देते हैं और उनके मकानों को गिरा देते हैं। मैं आपके सामने श्री हरदेव बाहरी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के रीडर हैं, उनका जो बयान है वह अंग्रेजी में है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आप को दे दूंगा, अभी दो महीने तक प्रोफेसरों को वे दी थी आप लोग अपने १० फुट के आगे जो अपने मकान की चहारदीवारी है उसे गिरा दें। इसी प्रकार से चौक के अनेक दुकानदारों की दुकान के चबूतरे तोड़ दिये गये। दुकानों के पटरे तोड़ दिये गये। यह सारा कारोबार वहां पर चल रहा है। बागम्बरी कालोनी में जो कि सन् ५२–५४ और ५६ में मकान बनाये गये हैं वह २५०० के लगभग मकान हैं। वहां सब सरकारी कर्मचारी रहते हैं, और उन्होंने अपने पास से ही उन मकानों को बनाया है। बट्ट साहब ने हुकुम दिया है कि वहां पर एक हजार मकानों को तोड़ दिया जाय। इन मकानों में छोटी आय वाले लोगों ने अपने मकान बनाये हैं, जिनमें सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी हैं। उनको नोटिस दी गई है कि क्यों न तुम्हारे मकानों को तोड़ दिया जाय। इलाहाबाद का जनजीवन इस तरह का हो गया है। कि बट्ट साहब आये दिन नई आज्ञा निकालते हैं।

अभी रिक्शा के लिये उन्होंने आज्ञा निकाली है कि दो आदमी से ज्यादा रिक्शा पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर दो आदमी बैठेंगे तो १५ किलोग्राम सामान होगा तो उसकी आज्ञा भी नहीं है। अगर बाहर से कोई आदमी वहां पर आता है तो सामान भी अपने साथ लायेगा। इलाहाबाद एक तीर्थ स्थान है वहां पर बाहर से यात्री आते रहते हैं। अगर इस प्रकार से वहां पर आज्ञा निकाली गई तो वहां पर यात्री जो आयेंगे उनका जीवन दूभर हो जायेगा और कोई भी यात्री वहां पर नहीं आयेगा। यह मकान जो तोड़ा गया है एक सम्मानित सदस्य थे। इलाहाबाद के नागरिकों ने उनको विरोधीदल में भेजा था। वह हमारे साथी थे। वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दल में बैठते थे। समाजवादी और जनसंघ के लोगों के साथ उनका भाई चारे का व्यवहार था और हम सब मिलजुल कर काम करते थे। इन्होंने अपना मकान बनाया था और नक्शा भी पास कराया था। इसी प्रकार से दरभंगा कैसिल में सन् ५२, ५३ और ५७ में बने हुये मकान थे उन मकानों को १९६९ में गिराया जा रहा है। इसी प्रकार से रामकृष्ण राय के मकान को गिराने के लिये इन्होंने भेजा था। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब किसी के मकान को गिराया जाता तो उसको क्रोध आता है और उसकी भावना बदलती है। वे मर गये और उनकी पत्नी को चोट आई। जनसंघ के लोग और समाजवादी लोगों ने इस घटना के ऊपर बहुत रोष प्रकट किया और वहां पर जुडिशल इन्क्वायरी की मांग की। वहां पर एक मीटिंग हुई और उसमें इलाहाबाद के नागरिकों ने मिल कर सबसम्मति से इस बात की मांग की कि जुडिशल इन्क्वायरी इस मामले में की जाय।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

प्वाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड—

उसमें विश्वम्भर दयाल पांडे भी बोले और दूसरे पार्टी के लोग भी बोले जिसमें समाजवादी के लोग भी थे और सब ने मिल कर यह मांग की कि इस मामले में जुडिशल इन्क्वायरी की जाय पर तब भी अगर जुडिशल इन्क्वायरी न हो तो यह कितने खेद की बात है। पुलिस के हाथ में इन्क्वायरी दे दी और पुलिस की रिपोर्ट आने पर एकतरफा फैसला दे दिया गया और उसने लिख दिया कि राम कृष्ण राय के जो गोली लगी है वह सेल्फ डिफेन्स में गोली चलाई, तो वह गोली उसके लग गई। नगर महापालिका के अधिकारी की गोली से ऐसा हो गया तो क्या सही कहा जा सकता है? क्या किसी भी आदमी को बिना सिटी मैजिस्ट्रेट की अनुमति लिये गोली चलाने का अधिकार है? किसी आदमी को गोली चलाने के लिये सिटी मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेनी चाहिये। इस प्रकार से किसी भी मकान के लोगों के ऊपर गोली चलाना कहां तक उचित है? क्या महापालिका के प्रशासक बट्ट साहब की इस कार्यवाही को कोई भी उचित बतला सकता है?

इसी प्रकार से मल्लाहों से १० रुपया लिया जायगा। सन् ६७ के अन्दर यह तय हुआ था कि १० रुपया नाविक माघ महीने में देंगे जिसमें से कुछ हिस्सा महापालिका को मिलना चाहिये लेकिन अब यह बट्ट साहब नया टैक्स लगा रहे हैं। जो पहले समझौता हुआ था सन् ६७ में उस समझौते को भंग करके यह नया टैक्स सामने आया तो यहीं से वह नींव पड़ी और बाद में इसके परिणाम स्वरूप गोली चली। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से चिरंजी लाल की मृत्यु हुई उन लोगों ने बताया कि यह गोली नगरमहापालिका के अधिकारियों की ओर से आई थी। वह बेचारा मर गया, लेकिन उसके बारे में कोई जांच नहीं की गई। जिनके गोली लगी उसकी गलती को ही सिद्ध किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का अन्याय आज इलाहाबाद में हो रहा है कि वहां पर जनजीवन बिलकुल ही कठिन हो गया है, जहां टंडन जी, जहां नेहरू जी रहते थे, आज वहां चुना हुआ बोर्ड नहीं है। सन् ६५ से ४ वर्ष हो गये। मैं चुनाव की मांग करता हूं। उसके पहले आप प्रशासक महोदय को ट्रांसफर कीजिये। मुख्य नगराधिकारी जो आयेगा.....

श्री अध्यक्ष—

देखिये आप बैठिये। माननीय मुख्य मंत्री (मुख्य मंत्री खड़े हुए)।

श्री रामगोपाल संड—

जुडीशियल इंक्वायरी होने के पहले तमाम अधिकारियों को स्थानान्तरित कीजिये, सस्पेंड कीजिये तभी न्याय हो पायेगा ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

मैं निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद का नागरिक होने के नाते मुझे बोलने का अवसर दीजिये। समय खत्म हो रहा है। आप समय बढ़ा दीजिये ताकि ज्यादा लोग बोल पायें। एक घंटे का समय और दीजिये। अगर मुख्य मंत्री बोलने के लिये खड़े हो गये तो सारा समय ये ही ले जायेंगे ताकि प्रश्न करने का अवसर न मिल सके....

श्री अध्यक्ष—

अभी बहुत वक्त है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। दफा ५२ के अन्तर्गत चर्चा हो रही है। इसमें पहले प्रश्न रखे जाने के बाद मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिये था, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो गयी कि वह परा नहीं हो सका और गड़बड़ी हो गयी। तो आप व्यवस्था करें....

श्री अध्यक्ष—

मैं क्या करूं। मैंने मुख्य मंत्री जी को बुलाया, लेकिन वह बोलते रहे। आप भी बोल रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के नेता ने कुछ रामकृष्ण राय जिसकी मृत्यु हो गयी, उनके संबंध में प्रश्न उठाया और उसमें सरकार से यह चाहा कि सरकार अपने केस को सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि आप मुझे आज्ञा देंगे तो जो क्वेरीज उन्होंने मुझ से या सरकार से की हैं मैं उन्हीं शब्दों में जो कि अनुसंधान विभाग ने दिये हैं उनके अन्दर उनकी क्वेरीज का जवाब देना चाहूंगा। माननीय विरोधी दल के नेता पुलिस विभाग के मंत्री बहुत जमाने तक रहे हैं। वे मुख्य मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने अनुसंधान विभाग से बहुत समय तक इंक्वायरियां इत्यादि भी कराई हैं। यदि जो इंक्वायरी अनुसंधान विभाग के जरिये से हुई है और जो वाकयात अनुसंधान विभाग के सामने आये और जिस पर उसने टिप्पणी दी है उससे वह संतुष्ट होते हैं या कोई और प्रश्न पूछते हैं तो मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं तमाम उनके जो शकूकात हैं उन्हें कदाचित दूर करने की कोशिश करूंगा। ७-५-६९ को गृह सचिव को पी० टी० आई० से सूचना मिली कि इलाहाबाद में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से भारतीय क्रान्ति दल के एक कार्यकर्ता श्री राम कृष्ण की मृत्यु हो गयी। गृह सचिव ने उसी दिन अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक से कहा कि वे अपराध अनुसंधान विभाग के एक पुलिस अधीक्षक को रात को गाड़ी से इलाहाबाद भेज दें ताकि वे दूसरे दिन प्रातः काल से ही मामले की जांच प्रारम्भ कर दें।

८-५-६९ को रेडियोग्राम द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद को निदेश भेजा गया कि उक्त घटना के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रशासनिक जांच प्रारम्भ की गयी है, को तुरन्त रोक दिया जाये।

अपराध अनुसंधान विभाग ने जांच से जो तथ्य और घटना का जो तारतम्य पाया, वह इस प्रकार है :

श्री रामकृष्ण ने जुलाई, १९६६ में नगर महापालिका को बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृति के लिये भेजा था किन्तु उसके पास होने के पूर्व ही जुलाई, १९६६ से अक्टूबर, १९६६ के बीच उन्होंने

कई दूकानें बना लीं। अनधिकृत रूप से बनाई गई इन दोनों के सम्बन्ध में बिल्डिंग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी (कांपीटेंट अथारिटी) ने नक्शा नामंजूर कर दिया। श्री रामकृष्ण को कई बार नोटिस भेजे गये कि वे अनधिकृत रूप से बनायी गयी दूकानों को गिरा दें किन्तु कोई परिणाम न निकला। अन्त में नगर महापालिका ने नियमानुसार दुकानों को गिराने के हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। इस कार्यवाही के दौरान कोई स्पष्टीकरण देने के बजाय श्री रामकृष्ण ने कई एडजर्नमेंट मांगे। उन्होंने बहुत विलम्ब के बाद १४-१२-६७ को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना केस प्रस्तुत किया। सक्षम अधिकारी ने मामले की सुनवाई करके उनके विरुद्ध फैसला दिया और दूकानों को गिराने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरुद्ध श्री रामकृष्ण ने कमिश्नर, इलाहाबाद के यहां अपील की, जो २४-४-६९ को खारिज हो गयी। जांच के दौरान ऐसा कोई रेकार्ड सामने नहीं आया कि श्री राम कृष्ण ने कोई स्टे आर्डर किसी सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया हो।

७-५-६८ को नगर महापालिका, इलाहाबाद का डिमालिशन स्क्वाड श्री रामकृष्ण द्वारा अनाधिकृत रूप से बनाई दूकानों को गिराने के लिये गया। साथ में पुलिस फोर्स (एक सब इन्सपेक्टर, एक हेड कांस्टेबिल, चार सिपाही) जो रिक्वीजीशन किया गया था, भी था। केवल सब इन्सपेक्टर के पास उसकी सर्विस रिवाल्वर थी। डिमालीशन स्क्वायड साइट पर १० बजे प्रातः काल पहुंचा और दूकानें गिराने का काम प्रारम्भ किया। एक घंटे तक काम चलता रहा। श्री रामकृष्ण, जो इस स्थान से ६ फर्लांग की दूरी पर रहते थे, लगभग साढ़े ग्यारह बजे घटना स्थल पर डी० बी० बी० एल० बन्दूक लेकर पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने एक हवाई फ़ायर किया। भय के कारण डिमालीशन स्क्वायड के लोग इधर उधर भागे। सब इन्सपेक्टर करीब २०० गज की दूरी पर था। फायरिंग की आवाज सुनकर वह उस ओर भाग आया। श्री रामकृष्ण तब तक नगर महापालिका के कर्मचारियों की ओर पहुंचे जो एक खाट पर बैठे थे। उन्होंने उन्हें धमकाया। कर्मचारी इधर-उधर छिपने लगे। उस स्थान से श्री राम कृष्ण ने ३ बार गोली चलाई। चश्मदीद गवाहों के अनुसार पहली गोली से श्री राम कृष्ण के पुत्र (गोपाल कृष्ण) जो वहां पहुंच गया था और अपने पिता को गोली चलाने से मना कर रहा था, को चोट आई। दूसरी गोली से नगर महापालिका के इन्सपेक्टर को चोट आई। तीसरी गोली प्रभावहीन रही। इसी बीच सब इन्सपेक्टर श्री राम कृष्ण की ओर दौड़े और गोली चलाने को मना किया। इस पर श्री रामकृष्ण ने अपनी बन्दूक का निशाना सब इन्सपेक्टर की ओर किया। अपने को तथा अन्य व्यक्तियों को बचाने का और कोई रास्ता न देख कर सब इन्सपेक्टर ने अपने सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई जिससे श्री रामकृष्ण आहत हुए और गिर पड़े। इस पर नगर महापालिका के कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया और उनकी बन्दूक छीन ली। वे लोग भी कुछ उत्तेजित हो गये थे। सब इन्सपेक्टर ने नगर महापालिका के कर्मचारियों को श्री रामकृष्ण को मारने के लिये मना किया। श्री रामकृष्ण की चोटों के फलस्वरुप उसी दिन मृत्यु हो गयी।

इस बात का साक्ष्य मिला है कि श्री राम कृष्ण की पत्नी भी उनके घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पीछे पीछे आई। इससे यह स्पष्ट है कि उनको आशंका थी कि श्री रामकृष्ण बल प्रयोग करेंगे और इसलिये वे उन्हें रोकने के विचार से आई थीं।

अपराध अनुसंधान विभाग ने इस घटना के सम्बन्ध में निम्नांकित मुख्य बातों के बारे में जांच की :

(१) क्या महापालिका तथा पलिस के कर्मचारी विधिवत् पारित आदेशों का पालन कर रहे थे ?

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

(२) क्या गोली पहले श्री राम कृष्ण द्वारा चलाई गयी थी ?

(३) क्या नवल किशोर, महापालिका इन्सपेक्टर तथा गोपाल कृष्ण (श्री रामकृष्ण का पुत्र) को गोली की चोटें श्री रामकृष्ण द्वारा पहुंचाई गयीं ।

(४) क्या पुलिस द्वारा श्री रामकृष्ण पर गोली चलाना न्यायोचित था ?

५—इन बातों के बारे में जांच अधिकारी निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे:

(१) दूकानों को गिराने के बाबत आदेश का नगर महापालिका के कर्मचारियों द्वारा अनुपालन न्यायोचित था । नगर महापालिका द्वारा पुलिस की सहायता लिया जाना उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५६६ के अन्तर्गत न्यायोचित था और उसी नियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा सहायता दिया जाना अनिवार्य था ।

(२) प्राप्य साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि श्री राम कृष्ण ने ही पहले गोली चलाई थी ।

(३) इस बात के समर्थन में बहुत अधिक साक्ष्य पाया गया कि नवल किशोर इन्सपेक्टर तथा गोपाल कृष्ण को चोटें श्री राम कृष्ण द्वारा चलाई गई गोलियों से लगीं ।

(४) पुलिस के सब इन्सपेक्टर द्वारा गोली चलाया जाना न्यायोचित था ।

६—जांच के दौरान निम्नांकित शिकायतों की भी जांच की गई:

(१) मृतक के बादर इन ला ने एक तार भेजा था, जिसमें यह कहा गया था कि श्री राम कृष्ण ने अपने बचाव में गोली चलाई थी ।

जांच के दौरान मृतक के पुत्र, उनकी पत्नी तथा उनके बादर इन ला ने यह कहा कि लोगों को चोटें पुलिस की गोली से लगीं और श्री राम कृष्ण ने गोली चलाई ही नहीं । अब वे किसी कारण से तार में कही गई बातों को भी कहने को तैयार नहीं हैं । जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है मृतक के संबंधियों का कथन सही नहीं है क्योंकि नगर महापालिका के इन्सपेक्टर को बंदूक की गोली से चोटें लगीं और पुलिस के किसी कर्मचारी के पास बन्दूक नहीं थी । पुलिस के सब इन्सपेक्टर को निरीह बालक और नगर महापालिका के इन्सपेक्टर पर गोली चलाने का कोई कारण नहीं था । इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर प्वाइंट १२ बोर की बंदूक के चार खाली कारतूस तथा ३ भरे कारतूस बरामद हुए । इससे स्पष्ट होता है कि डी० बी० बी० एल० बन्दूक चलाई गई थी । श्री राम कृष्ण की बंदूक तथा खाली और भरे कारतूसों की जांच बैलिस्टक एक्सपर्ट द्वारा कराई गई थी जिससे यह मालूम हुआ कि चारों खाली कारतूस श्री राम कृष्ण की बंदूक से फ़ायर किये गये थे ।

(२) मृतक की पत्नी तथा बादर इन ला ने यह शिकायत की कि पुलिस वालों ने मृतक की अंगूठी तथा कलाई घड़ी ले ली और १,१०० रु० के नोट मृतक की जेब से निकाल लिये ।

इस बारे में मृतक की पत्नी तथा पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य नहीं मिला। प्रथम सूचना के गवाहों तथा बस्ती के लोगों ने इसके विपरीत कहा। पंचायतनामा बनाये जाते समय मैजिस्ट्रेट तथा इंक्वेस्ट के गवाहों के सामने किसी ने इस प्रकार की शिकायतें नहीं की थी।

(३) नगर महापालिका के इन्सपेक्टर श्री नवल किशोर के विरुद्ध मृतक के परिवार के लोगों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी कि मृतक का कहना था कि उक्त इंस्पेक्टर ५००० रु० मांग रहा था।

जांच से यह पाया गया कि डिमालिशन के आदेश हो जाने के उपरान्त श्री नवल किशोर इन्सपेक्टर का इस मामले से कोई वास्ता नहीं रहा। अतः शिकायत सही नहीं पाई गई।

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय, मेरा नम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

इसको सवा सात बजे तक कर लीजिये। आध घंटे बढ़ा दिया गया।

श्री चरण सिंह—

जो रिपोर्ट मेरे मित्र ने सुनाई अच्छा होता कि उसकी एक प्रति मुझे मिल गई होती। एक तो रिपोर्ट आपने पढ़ कर सुनाई और उसमें जो तर्क या कुतर्क दिये गये हैं, उसके बारे में मुझसे यह उम्मीद करना कि मैं उनका जवाब दूं यह मुनासिब नहीं है। तो अगर इसको आप कल के लिये रख दें और मुझे एक कापी मिल जाती तो मैं जवाब सकूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, कल के लिये रख लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

नेता विरोधी दल चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, तो यह तय हो जाय कि कल बहस होगी और मुझे एक कापी दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

एक क्यों दो चार कापी आप ले लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मल्लाह वाला मामला आज ले लें, श्रीमन्।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो दारागंज में ३० तारीख को गोली चली, उस सिलसिले में कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। यह एक बड़ा मौलिक सवाल, है, जिस पर सदन को विचार करना चाहिये कि क्या आज इस प्रजातंत्र के युग में सोलहवीं सदी की तरह टैक्स वसूल करने का रवैया अख्तियार कर सकते हैं? (मेजों की थपथपाहट की आवाज) क्या यह उचित होगा कि प्रजातन्त्र के सारे उसूलों को ताक में रख कर एक अधिकारी मनमाने ढंग से काम करे? मैं समझती हूं कि इस गोली कान्ड के सम्बन्ध में कुछ तथ्य यहां सामने आ जाने चाहिये। सन १९६२ के दिसम्बर में महापालिका ने यह टैक्स लगाने की बात कही थी। उसी वक्त यह सवाल उठाया गया

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

था कि क्या महापालिका और माघ मेला अधिकारी दोनों यह टैक्स लगा सकते हैं एक ही नाव वाले के ऊपर और इसमें में आरम्भ से ही पड़ी। बोटमैन एसोशियेशन की तरफ़ से समय-समय पर डैप्यूटेशन लेकर हम मंत्रियों से मिलते रहे और उनके ध्यान में इस बात को लाते रहे कि इसका निवारण होना चाहिये। बहुत बातचीत के बाद अन्त में ३१ अगस्त, सन् १९६८ को एक पत्र वहां के माघ मेला अधिकारी की तरफ़ से प्रशासक, महापालिका को दिया गया था जो मैं सुनाना चाहती हूं:—

"महोदय, उपयुक्त विषयक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में निवेदन है कि महापालिका का पैसा चालू वर्ष से दिया जायगा और विगत वर्षों के सम्बन्ध में शासनादेश की प्रतीक्षा की जा रही है। अतः महापालिका स्वयं कोई टैक्स पूर्व निर्णय के अनुसार न लगावे। नाविकों के प्रतिवेदन की प्रति भी आपको सूचनार्थ संलग्न की जाती है।"

जो पूर्व निश्चय हुआ था वह इस प्रकार था कि यहां से एल० एस० जी० डी० के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उस समय शायद मेहरोत्रा जी थे, उनकी तरफ़ से कोई पत्र गया था और धर साहब, माघ मेला अधिकारी को श्री एच०एन० अग्रवाल, मुख्य नगर अधिकारी ने एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था:—

"Please refer to Sri S. S. Mehrotra s d. o. no. 3065N/IX-A28/63, dated 5.9.65 regarding imposition of tax on the boatmen plying boats within the jurisdiction of this Mahapalika and copy endorsed to me. As desired by the Govt. I propose to discuss all the points in this connection with you and the Secretary, Nishad Sabha on 12th October, 1965 at 11-00 A.M. in my office. I hope this will suit you. This may kindly be confirmed."

यह पत्र श्री अग्रवाल ने श्री धर को लिखा। उसके बाद निषाद सभा के प्रतिनिधियों और मेला आफ़िसर और महापालिका के बीच बातचीत हुई और यह तय हुआ कि जब तक शासन से यह निश्चय नहीं हो जाता है कि यह टैक्स अलग-अलग लगाया जाय तब तक केवल माघ मेला अधिकारी ही लगायें और उसमें से महापालिका को हिस्सा दे दिया जायगा और उसके बाद सन् ६५ से कोई टैक्स महापालिका ने इन बोटमैन से नहीं लिया। जो मैंने पत्र पढ़कर सुनाया उसमें भी यह साफ़ था कि पूर्व निश्चय के अनुसार महापालिका कोई टैक्स नहीं लगाएगी लेकिन उसके बावजूद शासन की आज्ञा का इन्तजार किये बिना वहां के प्रशासक श्री बट्ट ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि लखनऊ में भी कोई शासन है और उन्होंने आव देखा न ताव और आज्ञा जारी कर दी कि इन नाविकों से टैक्स वसूल किया जाय पहले ढाई रुपया टैक्स था, अब सवा ८ रुपये टैक्स बढ़ाकर कर दिया गया।

नाविकों के पास इसके लिये कोई अलग से सूचना नहीं भेजी गयी। केवल अखबारों में विज्ञप्ति निकली थी। २८ तारीख को लोग जाते हैं और टैक्स की बात करते हैं। उस वक्त बहुत से मल्लाह थे भी नहीं। उनकी नावें खड़ी थीं। यह लोग वहां पर गये और जो नाव पर उनकी पतवार, डन्डे आदि थे वे ट्रक पर लाद कर चले आये। जब नाविकों ने देखा कि उनकी चीजें नहीं हैं, तो उनमें बैचेनी का होना स्वाभाविक था। २९ तारीख को महापालिका के अधिकारियों ने, दरिया गंज के दरोगा से कहा कि हमको पुलिस की मदद चाहिये। उस दिन पूर्णिमा थी, एस० ओ० ने कहा कि आज हम मदद नहीं दे सकते, और आज तो भीड़ भी वहां बहुत होती है। उस दिन वह बात टल गयी। फ़िर ३० तारीख को यह लोग पुलिस की मदद लेकर वहां पहुंचे। एक नाव को ट्रक में लादा, उस पर नाविकों ने विरोध किया। इस पर महापालिका के कर्मचारियों ने आक्रमण किया। नाविक लोग भी गुस्से में भरे हुये थे। महापालिका के कर्मचारी बन्दूकों से लैस थे। उनको इन सब चीजों से लैस करके भेजा जाता है। वे सादी वर्दी में होते हैं। और इस कारण आम जनता में घुल मिल जाते हैं। वर्दी में न होने के कारण उनका पहचाना जाना मुश्किल होता है। यह लोग भी भीड़ में मिल गये और इन्होंने ईंट पत्थर आदि फ़ेंके गोली चली। एक २० वर्ष के नवयुवक के गोली लगी (शोर) मान्यवर, जनतंत्र के इस युग में क्या आप अपने अधिकारियों को यह अधिकार दे सकते हैं कि वे सवा आठ रुपये के लिये एक

हजार रुपये की नाव उठा कर ले आयें और फ़िर उस नाव को वापस लाने में नाविक को डेढ़ सौ रुपया खर्च करना पड़े। वह गरीब मल्लाह कैसे क्या करेगा। क्या यह अन्याय की सीमा नहीं है? इन बट्ट साहब से हम इलाहाबाद के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इनके कारनामों से सारी जनता तंग आ गयी है। (शोर) अगर वे योग्य आफ़िसर हैं आपकी नजरों में तो कृपा कर उनको कहीं और भेज दीजिये, उनको प्रोमोशन दे दीजिये मगर उनको आप वहां से अवश्य वापस बुला लीजिये इलाहाबाद से उनकी फ़ुरसत कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अब कल इस पर चर्चा होगी। अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फ़िर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ४७ मिनट पर अगले दिन के १०–१/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
११ अगस्त, १९६९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६६ पर)

७ जून, १९६९ को सायंकाल बाराबंकी में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय के ट्रक की हुए दुर्घटना में मृत एवं घायल हुए व्यक्तियों के नाम तथा पतों की सूची :

१—मृतकों की सूची

प्रशिक्षणार्थी

(अ) १—श्री कलक्टर सिंह, प्रशिक्षणार्थी आई० टी० आई० सीतापुर । — पुत्र श्री नारायन सिंह, ग्राम जमादार पुरवा, पो० ओ० बजीर गंज, गोंडा ।

२—श्री मन्ना, प्रशिक्षणार्थी, आई०टी०आई० सीतापुर । — पुत्र गनेस प्रसाद, ग्राम रामपुर गिरान्ट, डा० फुलरुवा, जिला सीतापुर ।

बाहरी व्यक्ति

(ब) १—श्री राज करन सिंह .. पुत्र राम बहादुर सिंह, निवासी भीटिया, पुलिस स्टेशन बजीरगंज, गोंडा ।

२—श्री बाबू .. .. पुत्र राम सहाय, ग्राम रसौली, पु० स्टेशन सफदरगंज, बाराबंकी ।

२—घायलों की सूची

प्रशिक्षणार्थी—

(अ) १—श्री अमर सिंह, प्रशिक्षणार्थी आई० टी० आई०, गोंडा । — पुत्र जानकी प्रसाद, ग्राम जमादार पुरवा, पु० स्टेशन बजीरगंज, गोंडा ।

(ब)—बाहरी व्यक्ति ।

१—श्री बैकुण्ठ नाथ सिंह .. स्टेट यू० पी० कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट बैंक, फतेहपुर ।

२—श्री काजिम मेंहदी नकवी .. ब्रांच मैनेजर उपरोक्त बैंक ।

३—श्री नियाज अहमद .. .. यू० डी० सी०, ए० जी०, यू० पी०, इलाहाबाद ।

४—श्री अब्दुल खालिक .. .. पुत्र—जुम्मन, ग्राम लालापुर, पो० ओ० देवा, बाराबंकी ।

५—श्री शिव प्रसाद .. .. पुत्र राम समझ गराया, ग्राम निनौरी, पु० स्टेशन छावनी, जिला बस्ती ।

६—श्री राम धनी .. .. पुत्र शिव राम, ग्राम निनौरी पु० स्टेशन—छावनी, जिला बस्ती ।

७—श्रीमती भूरी .. .. पत्नी बाबू, निवासी रसौली, बाराबंकी ।

दुर्घटना के बाद ३—४ व्यक्ति भाग गए जिनमें एक निम्नलिखित विभागीय कर्मचारी था और बाकी बाहरी व्यक्ति थे जिनके नाम मालूम नहीं ।

१—श्री सुधीर चन्द्रा .. .. सुपरवाइजर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लखनऊ जो गाड़ी चला रहे थे ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७१ पर)

सन् १९६९ में जिला परिषदों में शासन द्वारा मनोनीत किये गये सदस्यों की सूची

१—जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर	..	श्री राम किशन, पुत्र श्री प्यारे लाल, शामली, जिला मुजफ्फरनगर।
२—जिला परिषद्, बदायूं	..	श्री सैयद शकीर अहमद नकवी, आत्मज श्री सैयद मोहम्मद ताहिर, निवासी काजी मोहल्ला, सहसवान, जिला बदायूं।
३—जिला परिषद्, शाहजहांपुर	..	(१) श्री ठाकुर प्रसाद, निवासी ग्राम व पोस्ट देवकली, जिला शाहजहांपुर। (२) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, निवासी ग्राम सुरजूपुर, पोस्ट जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर।
४—जिला परिषद्, फर्रुखाबाद	..	(१) श्री सुरेश चन्द्र मिश्र, रामगंज, गुरसहायगंज, जिला फर्रुखाबाद। (२) श्री असद अली खां, एम० ए०, एल-एल० बी०। कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद।
५—जिला परिषद्, हमीरपुर	..	श्री लोक नाथ द्विवेदी, प्रेसीडेन्ट, सैनिक स्कूल, चरखारी, जिला हमीरपुर।
६—जिला परिषद्, जालौन	..	श्री खादिम हुसैन, ग्राम मोहम्मदाबाद तहसील उरई, जिला जालौन।
७—जिला परिषद्, बस्ती	..	श्री काशी प्रसाद पान्डे, ग्राम तारीजोत, पोस्ट महसों, जिला बस्ती।
८—जिला परिषद्, आजमगढ़	..	श्री श्रीनाथ, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा जिला आजमगढ़।
९—जिला परिषद्, नैनीताल	..	श्री कुंवर करणसिंह, ग्राम हजोरों, पोस्ट जसपुर, जिला नैनीताल।
१०—जिला परिषद्, बहराइच	..	श्री मदन लाल, एडवोकेट, बहराइच।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७४ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६९ के तीसरे सोमवार के लिए श्री शम्भनाथ चौधरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या ११ के उत्तर से संलग्न तालिका :

१—आर ५७/नौ–४६७–४९, दिनांक २२ जून, १९४९

२—२७४२ ए–९ए/(४४)५७, दिनांक १० दिसम्बर, १९५७

३—१५९० ए/अ–१बी (२०४)-५९, दिनांक २३ जुलाई, १९५९

४—३६१३ ए/९–१(२६७)-६०, दिनांक २८ दिसम्बर, १९६०

५—१०३४-क/३३–९४ बी-६२, दिनांक २१ फरवरी, १९६५

६—१७५-क/३३–१९६७, दिनांक १२ जनवरी, १९६७

७—२०८८-क/३३–१–२२–५-६५, दिनांक १२ जून, १९६८

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७२ एल० ए०—१९७०—८७०।